सप्तम माला, 24 जनवरी, 1980/1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पहला सत्र)

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 4, गुरूवार, 24 जनवरी, 1980/4 माघ, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं आदि के संबंध में	1–3
सभा पटल पर रखे गये पत्र	3–10
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
आसाम और मेघालय में हिंसात्मक आंदोलन से उत्पन्न स्थिति का समाचार—	
श्री अमर राय प्रधान	10–13
श्री पी० वेंकटसुब्बैया	11–13
श्रीमती इन्दिरा गांधी	14–22
श्री सोमनाथ चटर्जी	14–17
श्री जैल सिंह	17–19
श्री एम० रामन्ना राय	19–20
श्री के० एन० राजन	20–21
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया—	
श्री आर० वेंकटरमन	22
भारत कि आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण—	
श्री आर० वेंकटरमन	23
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) बरौनी उर्वरक कारखाने में नेप्था की कमी—	
श्रीमती कृष्णा साही	23
(दोन) संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की समस्या में—	
डा० वसंत कुमार पंडित	23
(तीन) दिल्ली में लूटमार की घटनायें—	
श्री एच० के० एल० भगत	23–24
(चार) अभ्रक के सामान के मूल्य में वृद्धि के बारे में अधिसूचना का जारी किया जाना—	
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	24
(पांच) केसोराम कपड़ा मिल में तालाबंदी का समाचार—	
श्री ज्योतिर्मय बसु	24
संविधान (45 वां संशोधन) विधेयक—	
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	
श्री जैल सिंह	26, 44–47
श्री जयपाल सिंह कश्यप	26–27
श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर	27–28
श्री कुसुमा कृष्ण मूर्ति	28–29

1—547 LSS/ND/79

	पृष्ठ
श्री बापूसाहेब परूलेकर	30–31
श्री बूटा सिंह	31–32
श्री थाझाई करुणानिधि	33
श्री पी० के० कोडियन	33–34
श्री सी० चिन्नास्वामी	34–35
श्री सुंदर सिंह	35
श्री चित्त बसु	35–36
श्री पी० एम० सुभा	36
श्री फ्रैंक एन्थनी	36–37
श्री अरविन्द नेताम	37–38
श्री बाजुवन रियान	38
श्री रामलाल राही	38–40
श्री विरधी चंद जैन	40
श्री उत्तम भाई पटेल	40–41
श्री चंद्रपाल शैलानी	41–43
श्री सुरज भान	43–44
खंड 2 और 1—	
पारित करने का प्रस्ताव—	
श्री ज्योतिर्मय बसु	61–64
श्री रामावतार शास्त्री	62
श्री केयूर भूषण	63
श्री जैल सिंह	60–65
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	
श्री जे० बी० पटनायक	71–81
श्री जार्ज फर्नांडिस	71–75
श्री नीरेन घोष	75–77
प्रो० मधु दंडवते	77–78
श्री गिरधारी लाल व्यास	78–79
श्री नारायण चौबे	79
खंड 2, 3 और 1	
पारित किये जाने का प्रस्ताव—	
श्री रामावतार शास्त्री	83–84
श्री जे० बी० पटनायक	83–84
संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक—	
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	
श्री योगेंद्र मकवाना	84
श्री एडुआर्डो फैलीरो	85–87

लोक-सभा

गुरुवार, 24 जनवरी, 1980/4 माघ, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री प्रभुनारायण रामधन (दमोह)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं आदि के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री जे० वी० पटनायक।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है और हाउस में कांग्रेस के लोगों ने अध्यक्ष और राज्यपाल के विरुद्ध नारे लगाये हैं ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी अनुमति लेनी चाहिए। सभी लोग बैठ जायें। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी।

माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आकर अनुमति ले सकते हैं। कृपया बैठ जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसपर विचार करूंगा। **(व्यवधान)** किसी को भी अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना बोलना नहीं चाहिए। कृपया बैठें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 10 बजे से पहले लिखित नोटिस दे दिया गया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। कृपया सभी बैठ जायें। **(व्यवधान)**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। आपको मेरी अनुमति के बिना नहीं बोलना चाहिए। श्री वेंकटासुब्बय्या अपना व्यवस्था का प्रश्न रख रहे हैं। **(व्यवधान)**

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटासुब्बया) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आन्दोलन वैधानिक था तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से चलाया गया था। यह राज्य का मामला है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य बैठ जायें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? श्री रामावतार शास्त्री, कृपया बैठ जायें। अब हमें उत्तरदायी व्यक्तियों की तरह कार्य करना चाहिए। एक ओर से आप खड़े हो जाते हैं तथा दूसरी ओर से अन्य सदस्य खड़े हो जाते हैं। माननीय सदस्यों को ऐसे उपाय करने चाहिये कि सभा का कीमती समय नष्ट न हो। यह राष्ट्र का समय है। सभा में कार्य करने के नियम और विनियम हैं।

2—547 LSS/ND/79

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको लिख कर भेजा था ।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस दिये जाते हैं। प्रस्ताव रखे जाते हैं। हर कार्य मेरी अनुमति से होता है। मेरी अनुमति पहले ली जानी चाहिए। यह सत्र पर लागू होता है। मुझे इसका निर्णय लेना है। आपने मुझे अधिकार दिया है। क्या यह सही नहीं है। मुझे निर्णय लेना है कि क्या यह सही है अथवा गलत।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, मैंने आपको नोटिस दिया था। आप अधिकारियों को बतायें कि आपने क्या निर्णय लिया है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, पहले आप यह व्यवस्था दीजिए क्या वे लोग ही मेम्बर हैं? या हम लोग भी सदस्य हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री, कृपया बैठ जाइए। हमें नियमों से चलना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें नियमों के अनुसार चलना है। ये सभी सदस्यों पर लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सब सज्जन बैठ जायें। मुझे नियमों के अनुसार सभा चलानी है। आपने मुझे नोटिस दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दस बजे से पहले।

अध्यक्ष महोदय : अभी मुझे निर्णय लेना है कि इसे स्वीकार किया जाये अथवा नहीं। एक प्रस्ताव नियम 377 के अंतर्गत मैं पहले स्वीकार कर चुका हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये और सुनिए। आपको मेरी अनुमति लेनी है। श्री राम विलास पासवान, आपने मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। मुझे उसपर अभी निर्णय लेना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कल की बात है। आज मैंने उत्तर प्रदेश विधान सभा के बारे में सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : उसे आज लिया जा रहा है। आपके दोनों प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जा सकते। मुझे नियमों के अनुसार चलना होगा **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े होने की चेष्टा न करें। कृपया बैठ रहें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक एक करके बात करें। मैं ध्यान दूंगा। श्री बसु मैंने आपके नियम 377 के अंतर्गत नोटिस को स्वीकार कर लिया है। इसे आज लिया जा रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह कल का प्रस्ताव था। आज के प्रस्तावका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : आपका केवल एक नोटिस स्वीकार किया जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया पहले नियम 377 पढ़े । यह किसी सदस्य पर एकाधिक नोटिस देने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह प्रथा रही है। श्री बसु आप मेरे साथ सहमत होंगे कि नियम सभी पर लागू किया जायेगा । **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय में बताना चाहता हूं कि... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम उसपर अपने कक्ष में चर्चा करेंगे। आप वहां जा सकते हैं। कृपया बैठ जायें। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : जबतक नियम समिति नियम नहीं बदलती ऐसा नहीं किया जाता।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं जी, आप इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान्, यह मामला नियम समिति में उठाया गया था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। आपके प्रस्ताव पर मैं विचार कर रहा हूं। इसपर मुझे नियमानुसार निर्णय लेना है जोकि मैंने अभी तक लिया नहीं है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : अध्यक्ष महोदय ...

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्हें और आपको नियम पालन करना चाहिए। मैं मामले पर निर्णय लूंगा। आइए अब हम सभा की कार्यवाही करें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति:—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के लेखापरीक्षा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 8/80**]

(**व्यवधान**)

श्री बापूसाहेब पारुलेकर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी अनुमति के बाद बोलना चाहिये । कृपया बैठ जायें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभी माननीय सदस्य बैठ जायेंगे ? मै एक एक करके सबकी बात सुनूंगा। श्री पारुलेकर आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बापूसाहेब पारुलेकर : अध्यक्ष महोदय... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इनमें से किसी ने लिखित नोटिस दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं उन्हें अनुमति नहीं देता।

मैं फिर आप लोगों से बैठने के लिये अपील कर रहा हूं। माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बाद ही बोल सकेंगे। कृपया बैठ जायें। आप मेरी अनुमति के बाद ही बोलें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : यह क्या हो रहा है। आप ने इन को बोलने के लिए पुकारा और ये सब खड़े हो जाते हैं... **(व्यवधान)** आप इन को बैठाइए, साठे साहब। आप तो पुराने ... **(व्यवधान)**

श्री ठाकुर शिव कुमार सिंह (खंडवा) : **आन एप्वाइन्ट आफ आर्डर**

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री ठाकुर शिव कुमार सिंह : आपने पटनायक साहब को पेपर्ज ले करने के लिये जब बुला लिया तो फिर माननीय सदस्य कैसे खड़े हो गये?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं, कृपया बैठ जायें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय मैं खुद करूंगा। श्री पारुलेकर, आप यह सब क्यों कह रहे हैं।

श्री बापुसाहेब परुलेकर : आपने अभी ठीक कहा ......

श्री के० लकप्पा : किस नियम के अधीन?

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय मैं करूंगा।

श्री बापुसाहेब परुलेकर (रत्नागिरी) : अभी आपने हमें यह सही सुझाव दिया है कि कोई प्रश्न पूछने पर कोई मामला उठाने से पहले आपकी अनुमति लेनी होगी। परन्तु ज्योंही हम अनुमति लेने के के लिए खड़े होते हैं त्योंही वे शोर मचाने लगते हैं..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक मामले पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय दूंगा। कृपया मुझसे सहमत हों। अब सब कुछ आ गया है। मुझे ध्यानाकर्षण सूचना के लिए कुछ नोटिस मिले हैं। एक ध्यानाकर्षण सूचना आज आ रही है। मैंने पांच सदस्यों को भी नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है। हमने जिसकी अनुमति दी है उसी मामले को लिया जाएगा। ध्यानाकर्षण एक से अधिक नहीं होंगे यही मेरा विनिर्णय है इस मामले में जिसकी राय भिन्न हो वह मेरे चेम्बर में मुझसे मिले। हम वहां इस पर चर्चा करेंगे। मैंने आज दलों के नेताओं की एक बैठक भी बुलायी है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : हम लोगों की बात तो सुन लीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप फिर ऐसी ही बात कर रहे हैं। यदि आप करेंगे तो दूसरे सदस्य भी ऐसा करेंगे। मैंने बताया है कि मैंने आज दलों के नेताओं की बैठक बुलायी है। हम अपनी कार्यप्रणाली तय करेंगे और तदनुसार कार्य करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कृपया नियमों का उल्लंघन न करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों का उल्लंघन नही करूंगा। मैंने आज एक बैठक बुलायी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिये जाने के बाद ही नियम 377 के अधीन सभा में मामले उठाये जा सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने 10 बजे से पहले सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यह मेरा काम है। आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? यदि मैंने स्वीकृति दी है तो मुझे इसकी अनुमति देनी होगी। मने 5 की स्वीकृति दी है। आप मुझे नियम के विपरित काम करने के लिए क्यों विवश करते हैं? श्री वसु, मने आपसे कहा है कि आप मेरे चेम्बर में आइये और मैं इस पर चर्चा करुंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री जी, कृपया आप बैठ जाइये। श्री पटनायक।

श्री जे० बी० पटनायक : मैं कह चूका हूं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, श्री ए० पी० शर्मा। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : 377(1) और (2) के अधीन मैंने दो लिखित सूचनाएं दी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि ये मेरे पास हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। सीधे सम्पर्क न करें। कृपया मामला मुझे भेजे। कृपया यह सुनिए:

श्री ज्योतिर्मय बसु : बम्वई पत्तन के न्यासी घारी बोर्ड (न्यासधारियों को शुल्क तथा भत्तों का भुगतान) संशोधन नियमों के संवंध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। कलकत्ता पत्तन.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ....जो आज सभा पटल पर रखे जाने हैं। [आज की कार्यसूची का मद 3 (एक) (दो)]

सदस्यों के लिए निर्देशिका (पांचवा संस्करण) का पैरा 38(11) का उल्लेख उचित नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपके पास नवीनतम संस्करण नहीं है। आपको यह नहीं मिली है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नियम 305 क में सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संवंधी समिति के गठन की व्यवस्था है। नियम 305 ग के अनुसार सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के संवंध में प्रश्न उठाने के लिए इच्छुक सदस्य उन्हें समिति के पास भेजेगा और इन्हें सभा में नहीं उठाएगा।

तदनुसार, सदस्य का ध्यान नियम 305 ग की ओर दिलाया जाता है। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, नियम 376 के अधीन......

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : उनका व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न सून रहा हूं। श्री वसू का व्यवस्था का प्रश्न है। उन्हें बोलने दीजिए। इसके बाद हम निर्णय करेंगे। मैंने एक विनिर्णय दिया है... अब माननीय सदस्यों को अध्यक्ष के साथ सहयोग करना चाहिए। आप कृपया बैठ जाइए।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : खड हुए । (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने जो कुछ कहा है, उसके बार में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि आप नियम समिति की कायवाही पढेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है, कार्यसूची का कोई मद नहीं है.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मझे निर्णय करना है, आपको नहीं।

श्री के० राममूर्ति (कृष्ण गिरि) : अध्यक्ष महोदय, उन्हें बोलने की अनुमति देना उचित नहीं है.... (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मुझे आपकी अनुमति चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठ जायेंगे? श्री बसु, मेरी बात सुनिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने मुझे बुलाया है और मैं खड़ा हो गया हूं। नियम 376 के अधीन ...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी आपत्ति रद्द कर दी है। यदि यह किसी और मामले के बारे में हो तो आप मेरे चेम्बर में आ सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी, नहीं। मैं इसे यहां उठाना चाहता हूं और आपके विचार जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। मेरे विनिर्णय के बाद ऐसा नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम आपसे निष्पक्ष बने रहने की आशा करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर आपके साथ चर्चा करुंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर दोपहर बाद आपके साथ चर्चा करुंगा। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपको इसका डर नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : मैं न आपसे और न उनसे डरता हूं। मैं तो केवल ईश्वर से डरता हूं। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो मारतिन्हो फलीरो (मारमागाओं) : श्री ज्योतिर्मय बसु, हम आपको अनुमति नहीं देंगे। आप हर समय सभा में गड़बडी नहीं पैदा कर सकते। (व्यवधान) आप अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकते। हम आपको अनुमति नहीं देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, माननीय सदस्य बैठ जायें। मैं सभा से अपील करता हूं कि मेरे साथ सहयोग करें। जिससे हम सभा की कार्यवाही चला सकें। श्री ज्योतिर्मय बसु मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है और यदि अध्यक्ष एकबार अपना विनिर्णय दे दें तो यह कायम रखा जाना चाहिए। यदि श्री ज्योतिर्मय बसु को कुछ कहना है तो वह मेरे चेम्बर में आ सकते हैं और हम इसके बारे में निर्णय करेंगे। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : हाउस का यह कन्वेंशन रहा है और माननीय सत्ताधारी दल के सदस्य विरोधी दलों में भी रहे हैं और ये जानते हैं कि कोई आपत्ति होती है तो उसको क्लेरिफाई करने का अधिकार माननीय सदस्यों को रहता है।

अध्यक्ष महोदय: इस तरह से बातें नहीं हो सकती हैं कि सभी एक साथ खड़े होकर बोलना शुरु कर दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने मुझे बुलाया है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। अब मैंने निश्चित विनिर्णय दे दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह विनिर्णय सभी पत्रों को पढ़ने के बाद दिया गया है। मामले पर पूरी तरह विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और यह विनिर्णय दिया है। अब मैंने जो विनिर्णय दिया है वह कायम रहना चाहिए। मैं अपना विनिर्णय नहीं बदल सकता और आपको यह मानना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० पी० शर्मा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । **(व्यवधान)**

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) कलकत्ता पत्तन न्यासधारी बोर्ड (न्यासधारियों को फीस और भत्ते की अदायगी) संशोधन नियम, 1979, जो दिनांक 20 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 502 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) बम्बई पत्तन न्यासधारी बोर्ड (न्यासधारियों को फीस और भत्ते की अदायगी) संशोधन नियम, 1979, जो दिनांक 20 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 503 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) मद्रास पत्तन न्यासधारी बोर्ड (न्यासधारीयों को फीस और भत्ते की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 20 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 504(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) तूतीकोरिन पत्तन न्यासधारी बोर्ड (न्यासधारियों को फीस और भत्ते की अदायगी) संशोधन नियम, 1979, जो दिनांक 20 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 505 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) मुरमुगाव पत्तन न्यास (न्यासधारियों को फीस और भत्ते की अदायगी) संशोधन नियम, 1979, जो दिनांक 20 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 506 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) परादीप पत्तन न्यास (न्यासधारियों को फीस और भत्ते की अदायगी) संशोधन नियम, जो दिनांक 20 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 507 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) मुख्य पत्तन न्यास (न्यासधारियों को फीस और भत्ते की अदायगी) संशोधन नियम, 1979, जो दिनांक 20 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 508 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9/80]

(2) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10180]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने मेरी अनुमति ली है। आप खड़े क्यों हैं। मैंने एक व्यवस्था के प्रश्न पर श्री मनीराम बागड़ी को बुलाया है। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। कृपया बैठ जाये।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक बात पहले कहूंगा कि शक्तिशाली लोगों को इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : यह पाइंट आफ आर्डर है ? . . . . **(व्यवधान)**

श्री मनी राम बागड़ी : इस झुण्ड को आप रोकिये। मैं अध्यक्ष महोदय के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता हूं लेकिन अगर इस तरीके से ये लोग करेंगे तो फिर इन में से किसी को बोलने नहीं दिया जायगा। इस तरीके से करेंगे तो हाउस नहीं चलेगा ।

एक माननीय सदस्य : इन को तरीक़ा आता ही नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस तरीके से ये भी नहीं करेंगे और आप भी नहीं करेंगे । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण देखे कि उन के सामने आज कितना जरूरी कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल है? अपनी जिम्मेदारी को आप समझिये । लोग आपकी तरफ़ देखते हैं। इस तरह करने से काम नहीं चलेगा । पाइंट आफ़ आर्डर करते हैं तो आप लेक्चर न करिये । आप अपना पाइंट आफ़ आर्डर बताइये, मैं रूलिंग दूंगा । आप कृपया एक, एक करके बोलिये ।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में यदि आपने कार्यवाही संचालन नियमों के विरुद्ध विनिर्णय दिया है तो क्या यह उचित है ? मैं समझता हूं कि भविष्य में कार्यवाही संचालन के लिए इसे एक पूर्वदृष्टांत नहीं माना जाना चाहिए। यह नियमों के विरुद्ध होगा । अन्यथा आप नियम पुस्तक ही रद्द कर सकते हैं ।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, अगर इस तरह से यह लोग करेंगे तो फिर इनमें से किसी को नहीं बोलने दिया जाएगा। . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाय। मैंने उसे अनुरोध किया है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । मैंने पुस्तक के नियमों के अनुसार अपना विनिर्णय दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न है तो मैं इस बारे में निर्णय करूंगा । मैं प्रत्येक मामले का इस पुस्तक में दिए गए नियमों के अनुसार निर्णय करता हूं । यदि इसके बारे में कोई मतभेद हो, तो इस पर चर्चा की जा सकती है परन्तु इस तरह से नहीं । यदि हम इस तरह से सभा की कार्यवाही का संचालन करेंगे तो हम काम कैसे कर सकेंगे ? आप कैसे अच्छा कार्य कर सकेंगे ? आप सबसे मेरी अपील है कि आप मेरे साथ सहयोग करें । मै आपको एक बात का आश्वासन दे सकता हूं । यहां आने से पहले मैंने हर बात का अच्छी तरह अध्ययन किया है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष होकर कार्य करूंगा ।

श्री रसीद मसूद (सहारनपुर) : स्पीकर साहब, मैं रुल 349 के अन्दर पाइंट आफ आर्डर रेज़ कर रहा हूं ।

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : व्यवस्था का प्रश्न नियम 376 के अन्तर्गत है । यदि हम इस सभा का कार्य पूर्ण सहयोग के साथ विनियमित करना चाहते हैं तो मैं आपसे इस नियम 376 पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं—

"(1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सभा का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।"

अध्यक्ष महोदय : यही मैं करने का प्रयास कर रहा हूं ।

श्री वसन्त साठे : "(2) औचित्य प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा; परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारंभ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेगा यदि वह सभा में व्यवस्था बनाये रखने या सभा के समक्ष कार्य विन्यास के सम्बन्ध में हो । (3) उप नियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेगा और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेगा कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देगा जो अन्तिम होगा ।" **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया, प्रत्येक सदस्य बैठ जाये ।

श्री वसन्त साठे : आप एक बार विनिर्णय दे देते हैं तो यह अन्तिम होगा और इस पर वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी जायेगी । मेरा अनुरोध केवल यह है —

(क) जो व्यक्ति व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता है उसे पहले यह बताना चाहिये कि किस नियम का उल्लंघन हुआ है और उसके बाद अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहिये. . .

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा हूं ।

श्री वसन्त साठे : ऐसा किये बिना व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । केवल यह कहकर कि मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कोई सदस्य खड़ा नहीं हो सकता और सभा में विघ्न नहीं डाल सकता । ऐसा हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रशीद मसूद, आप किस नियम के अधीन बोलना चाहते है ?

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैं रुल 349 के तहत पायंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं। इसके पार्ट (ii) में कहा गया है कि जब सभा की बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेगा। जब बसु साहब ने पायंट आफ आर्डर रेज़ किया तो वह आपका और उनका मसला होना चाहिये। इन लोगों को इस बात का अख्त्यार नहीं है कि वे हाउस में माइनारिटी को इस तरह से सप्रेस कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

संघ राज्य क्षेत्रों सम्बन्धी राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेश

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मैं संघ राज्य-क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अधिन जारी किये गये निम्नलिखित आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हू :—

(एक) सां० आ० 636(ङ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्रक में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले दिनांक 3 नवम्बर, 1979 के राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित किया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11/80]**

(दो) सां० आ० 38 (ङ) जो दिनांक 18 जनवरी, 1980 के भारत के राजपथ में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रपति शासन का निरसन किया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 12/80]**

(तीन) सां० आ० 601 (ङ) जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें पांडिचेरी में 12 नवम्बर, 1979 से 2 महीने और 4 दिन की और अवधि के लिये राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाला राष्ट्रपति का आदेश दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 13/80]**

(चार) सां० आ० 602 (ङ) जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें गोआ, दमन और दीव में 27 अक्तुबर, 1979 से 2 महीने और 20 दिन की और अवधि के लिये राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाला राष्ट्रपति का आदेश दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 14/80]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम और मेघालय में हिंसात्मक आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति का समाचार

श्री अमर राय प्रधान (कूच विहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय पर

एक वक्तव्य दें :

"आसाम और मेघालय में भाषाई अल्पसंख्यकों के विरुद्ध उन्हें "विदेशी" बताकर हिंसात्मक आन्दोलन से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के समाचार और इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : अध्यक्ष महोदय, आसाम और मेघालय में हाल की घटनाओं से हमें बहुत दुःख और चिन्ता हुई है।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम है । मैं आप को सूचित करना चाहता हुं कि उन्होंने पहले अनुमति मांगी है और यह दी जा रही है ।... **(व्यवधान)** आप का कहना ठीक है किन्तु उन्होंने मेरी अनुमति मांगी है। ... **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यह निश्चय करना सरकार का विशेषाधिकार है कि हमारी ओर से कौन उत्तर देगा अथवा कोई अन्य वक्तव्य देगा ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : महोदय, असम और मेघालय में हाल की घटनाओं से हमें भारी दुःख और चिन्ता हुई है ।

असम में कानून और व्यवस्था की हालत अगस्त, 1979 से लगातार बिगड़ रही है । यहां लम्बे समय से आन्दोलन चल रहा है।शुरू में यह आन्दोलन मतदाता सूचियों से विदेशियों के नामों को हटाने के लिए और फिर चुनाव स्थगित करने के लिए और पिछले दो सप्ताह में, आर्थिक गतिविधियों, कार्यालयों के कामकाज और शैक्षणिक संस्थानों में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए बंद, हड़ताल और अन्य प्रयास करने के लिए किया गया । दूसरी तरफ निराशा और पीड़ा के वातावरण में बड़ी संख्या में दुःखद हिंसक घटनायें हुई हैं । अगस्त और दिसम्बर के बीच, 26 व्यक्तियों की जानें गई, 120 आगजनी की घटनायें और लगभग 327 आक्रमण की घटनायें हुई । जनवरी में हालत और बिगडी । कामरूप जिले के सब-डिवीजन नलबाड़ी और बारपेटा में 41 व्यक्ति मारे गए, लगभग 40 गांवों के 3200 से अधिक घरों को आग लगा दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 15,000 से अधिक व्यक्ति बेघर हो गए। कछार जिले में हुए साम्प्रदायिक दंगों में 6 व्यक्ति मारे गए । अभी हाल ही में, 18 जनवरी को, दुलियाजान में तेल कारखाने के घेराव के कारण हुई हिंसक घटनाओं में आयल इन्डिया के वरिष्ठ अधिकारी सहित 5 व्यक्ति मारे गए। मेघालय में भी इसी प्रकार की दुःखद हिंसक घटनायें हुई । अक्तूबर 79 से दिसम्बर 1979 के बीच 20 व्यक्ति मारे गए और 1900 व्यक्तियों को अपने घरों से खदेडा गया और उन्हें राहत कैम्पों में शरण लेनी पड़ी ।

असम और मेघालय में व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सदन इस बात को महत्व देगा कि सरकार का मुख्य कर्तव्य, शांति और व्यवस्था बनाए रखना और लोगों के विभिन्न वर्गों में सुरक्षा की भावना को पुनः स्थापित करना है। कोई भी सरकार अराजकता को स्थिति को, जिसने राज्यों को दल-दल में फंसा दिया है, जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकती । जिनके मकान जल गए है और जिनके मकानों को नष्ट कर दिया गया है, उन निर्दोष लोगों की बड़ी संख्या को राहत देने, उनके घरों को पुनः बनाने और उन्हें उनके सामान्य स्थानों पर फिर से बसाने का कार्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण है । इसके साथ ही सरकार ने उन आशंकाओं को भी ध्यान में रखा है जिनके कारण असम में वर्तमान वातावरण उत्पन्न हुआ है । असम और उत्तरपूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों की समस्यायें जटिल हैं । इन समस्याओं का समाधान शांति और सद्भाव के वातावरण में निकालना होगा । सरकार ने इस दिशा में पहले ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं । असम में अनधिकृत घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से अपनी सतर्कता को कड़ा करने के लिए, 20

[श्री पी० वेंकट सुब्बय्या]

अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करने के लिए कदम उठाकर, सीमा सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत किया गया है । दूसरी तरफ छात्रों और अन्य को जो इस आन्दोलन में लगे हुए हैं, पुन: विश्वास दिलाने के लिए भी कदम उठाए गये हैं और उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रेरक वातावरण बनाने के लिए उनके साथ विचार विमर्श जारी है ।

हमें भलिभांति मालूम है कि विधि और व्यवस्था को सख्ती से लागू करना होगा । हाल के दंगों से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के कार्य को शीघ्रता से पूरा करना है । आगे अनाधिकृत आगमन को रोकने के लिए भी सीमा सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत करने के लिए तुरन्त कदम उठाने हैं । हम असम मेघालय और हमारे देश के उत्तर-पूर्वी भाग के अन्य राज्यों के लोगों के मनोभाव और अपनी संस्कृति की बनाए रखने और इसे विकसित करने की उनकी इर्ष्यालु इच्छा से भी समान रूप से परिचित हैं । उनकी इस आशंका का निराकरण सहानुभति और सद्भावना के साथ करने की जरूरत है । इस कारण हम सहमति और सद्भाव के वातावरण में असम, मेघालय और अन्य राज्यों के लोगों की समस्याओं का स्वीकारणीय हल ढूंढने के लिए तुरन्त अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं । मैं इस प्रयत्न में सदन के सभी वर्गों का सहयोग चाहूंगा ।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, आप, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि माननीय राज्य मंत्री का वक्तव्य एक स्कूल निवन्ध से अच्छा नहीं है । यह एक गम्भीर मामला है और आज का ज्वलन्त प्रश्न है । यह देश की गरिमा का भी प्रश्न है । किन्तु यह एक अस्पष्ट वक्तव्य है । (व्यवधान) . . . जैसा कि आप जानते हैं, पिछले तीन महीनों से आसाम और मेघालय में चिन्ताजनक स्थिति व्याप्त है । वहां गैर-असमियों तथा गैर-खासिमों के साथ विदेशियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है । इस मामले को लेकर आसाम के 12 चुनाव क्षेत्रों में लोक सभा चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं। कोई नहीं जानता कि अव वहां कव चुनाव होंगे । गोलीवारी, आगजनी, लूटमार, बलात्कार और हत्या की वारदातें रोज ही होती रहती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप सही मसले की ओर आयें । मसला क्या है ?

श्री अमर राय प्रधान : वह आतंक ही नहीं अपितु, जंगल का शासन चल रहा है । एक उच्च केन्द्रीय सरकारी अधिकारी और एक विख्यात वैज्ञानिक, डा० राबिन्द्र मित्रा, पर पत्थर फेंक कर उनकी दिन दहाड़े नृशंस हत्या की गई । गैर-आसामी लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है और उनको अपने घरों से बेदखल किया जा रहा है । ऐसा उन लोगों के साथ भी किया जा रहा है जो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। आसाम के हजारों निवासी आसाम छोड़कर भारत के अन्य भागों में आ गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई वक्तव्य पढ़ रहे हैं अथवा प्रश्न पुछ रहे हैं ?

श्री अमर राय प्रधान : आसाम में पृथकतावादी आन्दोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत-विरोधी इस्तहार निकाले जा रहे है। इसके पीछे कुछ विदेशी एजेन्सियों भी काम कर रही हैं। आसाम में अराजकता व्याप्त है और भाषायी अल्पसंख्यकों के जीवन की कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है ।

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह एक वक्तव्य पढ़ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है । आपका प्रश्न क्या है ?

श्री अमर राय प्रधान : इस देश के अन्य भागोमें भी इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है । पश्चिम बंगाल के मख्य मंत्री श्री ज्योति वसु ने तो एक नोट भेज भी दिया है जिसमें उन्होंने केन्द्र से अनुरोध किया है है कि तुरन्त कठोर कदम उठाये जाये किन्तु केन्द्र सरकार जानवूझ कर इस मसले की उपेक्षा कर रही है ।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछे । आप ने प्रश्न नहीं पूछा तो मंत्री महोदय उत्तर क्या देंगे ।

श्री अमर राय प्रधान : मैं अपना प्रश्न पूछता हूं । उपरोक्त परिस्थितियों में मंत्री महोदय निम्नलिखित के बारे में स्पष्ट बताये :

(क) वहां पीढ़ियों स रह रहे लोगों, जिनमें भाषायी अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए कौन से अविलम्ब तथा विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं ?

(ख) मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से बतायें कि हमारे संविधान के अनुसार किन को विदेशी माना जायेगा और यह निर्धारित करने के लिए कि कौन विदेशी हैं, क्या तरीका अपनाया जा रहा है ।

(ग) नये घुसपेटियों को आसाम और मेघालय में घुसने से रोकने के लिए कौन से विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं ।

(घ) क्या प्रधान मंत्री महोदय अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ की जाने वाली बातचीत में गैर-आसामी लोगों के साथ भी बातचीत करेंगी ?

श्री पी०वेंकटसुब्बया : हम माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हैं कि देश के इस भाग में कुछ गड़बड़ी चल रही है । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पिछली सरकार की देन है ... (व्यवधान) ... नयी सरकार के सत्ता में आते ही प्रधान मंत्री ने इस प्रश्न पर विचार किया । हमारे दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं को वहां भेजा गया है । उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों तथा विद्यार्थियों के साथ बातचीत की है और स्थिति का अध्ययन किया है । राज्यपाल यहां आये थे और उन्होंने प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री से बातचीत की थी और वह इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं ।

जहां तक लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के बारे में सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं अपने वक्तव्य में पहले ही बता चुका हूं कि हमने सुरक्षा-व्यवस्था मजबूत कर दी है । सीमा की दूसरी ओर से लोगों के आगे प्रवेश को रोकने के लिए वहां पर करीब बीस और सीमावर्ती चौकियां स्थापित की गई हैं । हमने इस प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और आगे भी इस दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं ।

इश्तदारों के मसले की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया गया है, किन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सरकार कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और पृथकतावादी गतिविधियों को जारी नहीं रहने दिया जायेगा । स्थिति से सही ढंग से निपटने के लिए हमारे लिए जो कुछ भी संभव हुआ है हम करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी ।

श्री अमर राय प्रधान : मेरे प्रश्न का सही ढंग से उत्तर नहीं दिया गया है क्योंकि मैंने स्पष्टतया यह पूछा था कि किन को विदेशी माना जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (बसीरहाट) : विदेशियों के बारे में एक स्पष्ट प्रश्न पुछा गया था। लेकिन उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया । प्रश्न विदेशियों की परिभाषा से सम्बन्धित है, अर्थात् आसाम में विदेशी कौन कौन हैं। यह प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया गया । क्या एक सदस्य को उत्तर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उसका उत्तर देंगी ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति है । माननीय सदस्य इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं कि विभिन्न लोग विभिन्न लोगों को विदेशियों के नाम से पुकार रहे हैं । हमें इसकी जानकारी नहीं है कि विदेशी कौन हैं। सारे मामले की छानबीन की जा सकती है । हमने इसी कारण से इस मामले को विपक्ष के माननीय सदस्यों के समक्ष रखा था और यह स्वीकार किया गया था कि इस प्रस्ताव पर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार किया जाना चाहिये, इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिये तथा इसकी वास्तविकता का पता लगाना चाहिये । बैठक के तुरन्त बाद ही मैंने कुछ लोगों को आसाम भेजा है । मैंने राज्यपाल को दिल्ली में आने को कहा है । हम उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं। यह एक आसान स्थिति नहीं है । हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिये कि कोई इस प्रकार की बात न की जायें, जिससे उग्र भावनायें उत्पन्न हों । हम किसको विदेशी कहें, इसको कितने पूर्व समय से रहने वाले लोगों पर लागू करें, इन सभी मामलों पर हमें कुछ आप लोगों तथा कुछ आसाम के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिये । मैं वहां के विभिन्न लोगों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हूं । हमने यहां पर एक बैठक करने के लिये सहमति दे दी है । लेकिन इस सम्बन्ध में उनसे कोई उत्तर नहीं मिला है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने समय पर इस बारे में ध्यान दिया है । इस सम्बन्ध में कोई भी संदेह नहीं है कि सरकार को अपना प्रतिनिधि चुनने का विशेषाधिकार है लेकिन हम ऐसा महसूस करते हैं कि इस जैसे महत्वपूर्ण मामले में यदि आदरणीय गृह मंत्रीजी अथवा प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया होता तो लोगों को और अधिक विश्वास होता । लेकिन अब चूंकि प्रधान मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया है तो यह सहायक सिद्ध होगा । हमारी यह प्रवृत्ति नहीं है कि भावावेश उत्पन्न किया जाये । यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण तथा नाजुक है तथा वहां की स्थिति विस्फोटक बनी हुई है । हम ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं जिससे असम में स्थिति खराब हो । असम में रहने वाले बहुत से लोगों विशेषकर असामी अल्पसंख्यकों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए तीव्र मनोव्यथा तथा वेदना के साथ हमने यह ध्यानाकर्ष प्रस्ताव का नोटिस दिया है । वहां पर मौजूदा स्थिति के प्रति विवरण में चिंता प्रकट की गई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां की स्थिति तथा समस्या के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । यह केवल तथा-कथित विदेशियों को अलग करने का एक प्रश्न ही नहीं है । ऐसी भी आशंकाए हैं कि उस क्षेत्र में कुछ विदेशी एजेंसियों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है ।

कार्यभार संभालने के पश्चात् जब आदरणीय प्रधान मंत्री ने अपने दल के कुछ नेताओं को वहां भेजा, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उन नेताओं ने प्रमुख रूप से विद्यार्थियों से भेंट की । लेकिन जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनसे न तो परामर्श किया गया है और न बातचीत की गई है, और यह बात समाचारपत्रों में भी प्रकाशित नहीं हुई है । ऐसा प्रतित होता है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रतिनिधियों को विद्यार्थी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिये भेजा था । लेकिन मुझे यह सूचना दी गई है कि देश के उस क्षेत्र में संघ के कौन-कौन नेता हैं, यह बात संदिग्ध है । क्योंकि वहां पर प्रत्येक व्यक्ति नेता बनना चाहता है तथा वहां पर अव्यवस्था है तथा विद्यार्थियों की यूनियनों का मामला भी पूर्णतः नियंत्रण के बाहर है ।

दूसरे, हम यह अपेक्षा कर रहे थे कि यदि प्रधान मंत्री अपने बहुत से कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद असम राज्य का दौरा करके आती तो इससे वहां के लोगों को पुनः आश्वासन मिलता तथा वहां पर जाने से लोगों को काफी सहायता मिलती। अब बात यह है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिन पर अत्याचार किये जा रहे हैं, क्या प्रधान मंत्री उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगी। वहां पर हुए सभी प्रकार के अत्याचारों के बारे में मुझे सूची प्राप्त हो गई है। मैं इन सभी के सम्बन्ध में यहाँ पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं आदरणीय प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे सदन को सूचित करें तथा सदन के जरिये राष्ट्र को सूचित करें कि क्या वहां पर हुए अत्याचारों तथा वहां की स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करने के लिये इस महीने की 15 तारीख को मेघालय अल्पसंख्यक समन्वय समिति ने अभ्यावेदन दिया है। इस समय असम के कच्छार क्षेत्र से भी अभ्यावेदन आ चुका है। वास्तव में विदेशियों का मामला प्रारम्भ में उस समय शुरू हुआ जबकि हमारे मित्र श्री पटवारी की मृत्यु के पश्चात् जो कि इससे पूर्व की लोक सभा के सदस्य भी थे मंगलडोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव क्षेत्र होने वाला था। सर्व प्रथम उसी समय प्रश्न उठाया गया था और यह आरोप लगाया गया था कि नामों को हटाने के लिये असम पुलिस के द्वारा फार्मों को छपवाया गया था तथा तथाकथित विदेशियों के नामों को हटाने के लिये पुलिस द्वारा विज्ञापनों को छपवाया गया था। आज भी भारत सरकार इस बात को स्पष्ट करने में असमर्थ है कि इस देश में विदेशी कौन है। विदेशी कौन है, इस बात पर निर्णय करने सम्बन्धी प्रश्न की समस्याओं की गम्भीरता को मैं कम नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह राजनीति से सम्बन्धित निर्णय नहीं होना चाहिये। इसको देश के संविधान तथा कानूनों के आधार पर तय किया जाना चाहिये। यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसे देश के कुछ लोगों को संतुष्ट करने, तथा जिसे उनकी इच्छाओं के अनुसार निर्धारित किया जा सके। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

आपके माध्यम से मैं सदन क समक्ष विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करता हूं कि "विदेशी कौन है" इस मामले को लेकर क्रोध तथा अकल्पनीय पाशविकता का चक्र चल रहा है। वहां पर लूटपाट, आगजनी तथा मारपीट हो रही है। आयल इण्डिया के एक योग्य प्रबन्धक को बगैर किसी गलती के पत्थर मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। प्रबन्धक को आकर आयल इण्डिया के एक कर्मचारी को अस्पताल में देखने के लिये कहा गया था। कहने के अनुसार वह अस्पताल पहुंचे, अस्पताल के सामने उसकी पिटाई की गई तथा पत्थरों से मार-मार कर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया गया। इस देश में 20वीं शताब्दी में ऐसा हो रहा है। इसी कारण हमें यह आशा है कि सदन में प्रघात, मनोव्यथा, तथा संकल्प की पर्याप्त रूप से अभिव्यक्ति की जायेगी। यही कारण है, जिससे कि हम आदरणीय प्रधान मंत्री अथवा गृह मंत्री जी से ध्यानाकर्ष प्रस्ताव के उत्तर की अपेक्षा करते है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि हमारे बहुत ही घनिष्ट मित्र श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या की गरीमा कम हो। मैं आशा करता हूं कि उनकी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस मामले में केवल देश की उत्कंठा, सरकार की उत्कंठा को प्रदर्शित करना है।

जब वह बात सफल नहीं हुई तब मतदाताओं की सूची में संशोधन करने का तर्क दिया गया। मतदाताओं की सूची में से प्रारम्भ में 35,000 नामों को हटाया गया। जब विभिन्न राजनैतिक दलों, जिसमें मेरा दल तथा सी०पी०आई० भी सम्मिलित है, ने इसका विरोध किया, तब कुछ नामों को पुनः सम्मिलित किया गया। जब उनको मतदाताओं सूचियों में से नामों को काटने में सफलता नहीं मिली, तब चुनावों का बहिष्कार करने का अभियान चलाया गया।

आज, आसाम में लोगों को यह कहने में गर्व हो रहा है कि भारत का संविधान आसाम पर लागू नहीं है। उनका कहना है कि चुनावों को रोकने में उनको सफलता मिल चुकी है। इससे यह बात सामने

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

आती है कि दिल्ली का कानून आसाम में लागू नहीं है । मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उस प्रकाशित, विज्ञापनों, परिपत्रों की ओर सरकार का ध्यान गया है अथवा नहीं जिनमें भारतीय लोगों को "विदेशी कुत्तों" के नाम से पुकारा गया है । आसाम में लोग ऐसे विज्ञापनों का परिचालन कर रहे हैं जिनमें भारतीयों, गैर-आसाम वाले लोगों को "कुत्तों" "भारतीय कुत्तो" के नाम से पुकारा गया है । मुझे बताया गया है कि ऐसे पोस्टरों, विज्ञापनों को गोहाटी विश्वविद्यालय की प्रैस में छापा गया है । यही आरोप है ।

गोहाटी विश्वविद्यालय के प्रांगण में, मेडिकल कालिज में प्रतिभाशाली विध्यार्थीयों में से एक विद्यार्थी श्री अनंत चक्रवर्ती को मार दिया गया । देश के लिये यह शर्मनाक बात है कि उस छात्र की मृत्यु पर उसके साथियों, मित्रों ने कालिज में, विश्वविद्यालय में खुशी मनाई। असम के मोटर वर्कर्स यूनियन के सचिव को मार दिया गया है । नामरूप उर्वरक संघ के सचिव को मार दिया गया है । प्रचार किया जा रहा है . ... (व्यवधान) । मैं अपने माननीय मित्रों से यह अनुरोध करता हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न की जाये, जिससे देश के लोगों में यह भावना आये कि सभा में इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है । मैं अपने माननीय मित्रों से शांति प्रदर्शित करने का अनुरोध करता हूं । हमारे मित्रों के पास शांति बनाये रखने की समर्थता मौजूद है ।

पोस्टरों को छापा जा रहा है तथा "असम संयुक्त राज्य" के नाम से छपे पोस्टरों को परिचालित किया जा रहा है । यह मेघालय तक परिचालित हो चुका है । असम के विद्यार्थी, लोग मेघालय में गये है, उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से मेघालय में क्रोध प्रकट किया है । मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मंत्री महोदय प्रो० मार्टिन माना का नाम अवश्य जानते होंगे जो कि गुण्डों के नेताओं में से एक हैं। असम तथा मेघालय में प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है ।

इसके अलावा, मिजोरम तथा नागालैण्ड के लोगों से भी समर्थन मिला है । एक आंवहान किया जा रहा है, एक ठोस प्रयास किया जा रहा है जिसे देखकर हमें आशंका है—न केवल आशंका वल्कि हमें पूरी आशंका है क्योंकि जिस ढंग से वहां पर घटनायें हो रही है उसे देखकर लगता है कि वहां पर विदेशी शक्तियों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है । वहां पर विदेशी एजेंसी मौजूद है । "असम संयुक्त राज्य" का आवह्‌ान किया जा रहा है । भारतीय लोगों को "विदेशी कुत्ते" के नाम से पुकारा जा रहा है । इस प्रकार की स्थिति वहां पर मौजूद है । मैं आदरणीय प्रधान मंत्री महोदया से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे इस समय सदन में मौजूद हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या "विदेशी" के प्रश्न पर सरकार कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगी । मैं जानता हूं कि इस मामले में वहुत-सी कठिनाइयां हैं । "विदेशियों" के प्रश्न के मामले को किसी निश्चित तिथि तक निपटाया नहीं जा सकता है । लेकिन मंत्री महोदय के वक्तव्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है । उन्होंने कहा है :—

"किसी भी प्रकार की और गैर-प्राधिकृत घुसपैठ को रोकने के लिये सीमा सुरक्षा बल व्यवस्थाओं को मजवूत बनाने के लिये भी तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता है ।"

इस विवरण से यह मालूम होता है कि सरकार का यह विचार है कि उस क्षेत्र में गैर-प्राधिकृत तरीके से लोग दूसरे देशों से वहां आते हैं । इससे कठिनाइयां उत्पन्न होगी । कृपया शव्दों का चयन वहुत ही सावधानी से कीजिये । अगर आप यह कहते है कि वहां पर पहले से ही गैर-प्राधिकृत तरीके से लोग आते है, और आप उसे आगे के लिये रोकना चाहते है तो लोग कहेंगे कि "हमारा दृष्टिकोन सही सिद्ध हुआ है ।"

आज भारत सरकार "विदेशी" कौन है इसकी परिभाषा करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि सरकार किसी प्रकार की अन्य गैर-कानूनी घुसपैठ को रोकना चाहती है? अतः जब तक स्थिति सामान्य हो तब तक यह बहुत ही आवश्यक है कि वहां पर रहने वाले लोगों, अल्पसंख्यकों, आसामी अल्पसंख्यकों की जीवन रक्षा तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिये तुरन्त ठोस कदम उठाये जाये। हम यह जानना चाहते हैं कि जिन बेगुनाहों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है उन लोगों को क्या मुआवजा दिया जायेगा। हम यह जानना चाहते हैं कि इस ओर क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं? वे भारतीय हैं। वे भारत में युगों से वर्षों से रह रहे हैं। पिछले चुनावों में उन्होंने मतदान किया है। इस देश के कुछ समाज विरोधी तत्वों, गुण्डों ने धन लेने के वास्ते उनको रोका है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वहाँ पर रहने वाले लोगों, अल्पसंख्यकों तथा आसामी अल्पसंख्यकों को स्पष्ट रूप से यह वचन देगी कि देश के उस हिस्से के किसी भी व्यवित को हानि अथवा उससे छेड़खानी अथवा उस पर प्रहार नहीं होने दिया जायेगा। तथा उनके जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा की जायेगी तथा इसको सुनिश्चित करने की भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी होगी।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आदरणीय प्रधान मंत्री वहां पर एक सर्वदलीय शिष्टमंडल को भेजने की व्यवस्था करेंगी जो वहां के लोगों तथा पीड़ित लोगों के मन में विश्वास का वातावरण उत्पन्न कर सके तथा देश के उस भाग में मानसिक संतुलन का वातावरण पुनः कायम करने में सहायता कर सके। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री तथा सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वे स्पष्ट रूप से यह बतायें कि उनके अनुसार "विदेशी" कौन है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर किसी को भी क्रोधान्माद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार द्वारा इसका आश्वासन दिया जाना चाहिए तथा यथाशीघ्र ही एक निर्णय लिया जाना चाहिये।

जहां तक मेरे द्वारा उठाये गये क्षतिपूर्ति के प्रश्न का सम्बन्ध है इसके लिये मैं आदरणीय प्रधान मंत्री अथवा गृह मंत्री जो भी प्रस्ताव का उत्तर दें, से यह प्रार्थना करता हूँ कि क्या यथाशीघ्र इस दिशा में कोई सुनिश्चित कदम उठाये जायेंगे?

श्री मुन्दर शर्मा (जबलपुर): असम में जो इश्तहार लगाए गये थे उनकी क्या तारीख थी?

श्री सोमनाथ चटर्जी: मुझे यह मिल गया है। मैं इसे प्रधान मंत्री महोदया को दे सकता हूं। इसे मैं सभा पटल पर रख सकता हूं। ये असमिया भाषा में है।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह): ईस्टर्न ज़ोन के सम्बन्ध में जो कालिंग एटेंशन है उसके बारे में मिनिस्ट्री की तरफ से एक कम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट दिया गया है। मैं आनरेबल मैम्बर्ज़ के सेंटीमेंटस की कद्र करता हूं और उन सेंटीमेंटस में उनके साथ शामिल हूं। लेकिन मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि यह मामला आज से नौ महीने पहले शुरू हुआ और उस वक्त की सरकार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ बातें बेबुनियाद हैं, मिसअंडरस्टेंडिंग पर आधारित हैं। यह जो लीफलैट की बात की गई है, सीसैशनिस्ट्स की, मैं चाहता था कि इसको लेकर जिम्मेवारी से बात की जाती। मैम्बर साहिबान इस बात का यकीन रखें कि सरकार इस हाउस से कोई भी बात छिपा कर रखना नहीं चाहती। लेकिन जो हाउस में बात कही जाती है यह दुनिया में जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि सीसैशनिस्टेस का वहां कोई वजूद नहीं है, वहां कुछ उनकी हस्ती नहीं है, उनकी कोई गिनती नहीं है। उनका जो लीफलैट छपा दिखाया गया है उस में किसी का नाम नहीं है। यह बात-बेबुनियाद है। इस के बारे में आपको और हाउस को चिन्ता नहीं करनी चाहिये। गवर्नमेंट इन बातों पर पूरा गौर करके ध्यान दे रही है। आज से तेरह दिन पहले

[श्री जैल सिंह]

से हमने ईस्टर्न जोन के तमाम स्टेटस के चीफ मिनिस्टर्स से और जहां चीफ मिनिस्टर नहीं है वहां के गवर्नर से बात की, चीफ सैक्रेटरीज से बात करके इन तमाम समस्याओं को, तमाम मामलात को गौर में रखा है और मैं तमाम मैम्बर साहिबान से अपील करना चाहता हूं कि इस समस्या को वे पोलिटिकल पार्टीज के तौर पर न लें। यह मुल्क की बात है, हिन्दुस्तान की बात है। इसके लिए हम उनकी मिलवर्तन चाहते हैं। और वे अपनी मिलवर्तन दें। जहां तक आनरेबल मेम्बर्स ने . . . **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सीधा सा है कि हमें वक्तव्य में बताया गया है कि वहां पर पृथकतावादी गतिविधियां चल रही है और उनका कहना है कि हमें इस पर चिन्ता नहीं करनी चाहिये . . .

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाईये। मंत्री जी को अपना वक्तव्य देने दो।

श्री जी० एम० बनातवाला : सरकार की ओर से यहां पर परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जा रहे हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप उनकी बात नहीं समझ सके हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, हम उनकी बात भली भांति समझ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी उनकी बात समझें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, यह काल अटेंशन नोटिस था। इसके लिए एक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आयी और एक सवाल हो सकता था। लेकिन आपने अलाऊ किया, तीन, चार तकरीरें करा दी। अब जब मैं उनका जवाब दे रहा हूं तो उनको सब्र से, संतोष से सुनना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गृहमंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया कि इसमें विदेशी हाथ था . . . **(व्यवधान)**

श्री जैल सिंह : मुझे इसमें सन्देह है।

अध्यक्ष महोदय : बसुजी, आप उनकी बात नहीं समझ सके है। उनका कहना है कि जैसा कि इसे समझा गया है बात इतनी बड़ी नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : बेबुनियाद के क्या माने हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे उसे बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहते। बात तो बस इतनी ही है। तथ्य से तो उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा है। उन्हें अपना वक्तव्य तो देने दो।

मैं आपको बताना चाहता हूं ग्यानी जी, कि यहां 5 सवाल होते हैं।

श्री जैल सिंह : आनरेबिल मेम्बरान ने यह पॉइंट उठाया था कि लिंगुइस्टिक माइनारिटीज और अदर काइन्ड आफ़ माइनारिटीज़ के जज्बात का भी वहां ध्यान रखा जाय। तो मैं हाउस को यकीन

दिलाता हूं कि हम हर ख्याल के, हर तबके के, हर विचार के, लिंगुइस्टिक हों या रिलीजस हों या ट्राइबल हों, उनके जज़्बात और उनके सेंटीमेंट्स और खायात को पूरा ध्यान में रख कर वहां का इंतजाम करेंगे। किसी को इस बात के लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्षतिपूर्ति के बारे में क्या विचार है ? सर्व दलीय शिष्टमण्डल के बारे में आपका क्या कहना है ? इन बातों का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ग्यानी जी, उन्होंने कम्पेंसेशन के लिये पूछा था उसके बारे में क्या कहना है आपको ?

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, मैंने आनरेबिल मेम्बरान की तकरीर को बड़े ध्यान से सूना। उन्होंने बहुत लम्बी तकरीरें कीं, और मैं सोचता हूं कि कुछ बातें जो उनको हाउस में नहीं कहनी चाहिये थीं, वह उन्होंने कही।

जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है यह सरकार इस मामले पर गौर कर रही है, देख रही है कि कैसे इस मामल को हल किया जाय। यह कोई छोटा मसला नहीं है, इस पर ध्यान दिया जायगा।

एक माननीय सदस्य : सर्व-दलीय शिष्टमण्डल के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं, श्रीमन। मैं नहीं समझती कि किसी सर्व-दलीय शिष्टमण्डल की कोई आवश्यकता है। गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, परन्तु मैं सदस्यों से निवेदन करती हूं कि मुझसे आन्दोलनकारियों को भड़कानेवाले किसी व्यक्ति या पार्टी का नाम लेने के लिए न कहा जाए। अत: कोई सर्व-दलीय शिष्टमण्डल किसी प्रकार का उपयोगी उद्देश्य हल नहीं कर पायेगा। विपक्ष के नेताओं से जिस बात पर सहमति हुई है वह यह है कि हम आसाम में प्रादेशिक राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों बुलायेंगे। मैं माननीय सदस्य का यह सुझाव मानने के लिए तैयार हूं। यदि भुगतभोगी लोगों के कोई प्रतिनिधि मुझसे मिलना चाहे, तो उनसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामन्ना राय।

प्रश्न पूछने से पहले आप कृपया उसे संक्षिप्त बना लें जिससे वे उत्तर दे सकें। यदि यह कोई लम्बा प्रश्न है तो सब गड़बड़ हो जायेगा। और यदि कोई विशिष्ट प्रश्न पूछते हैं तो वे उत्तर दे सकते हैं। अन्यथा, यह वक्तव्य बन जायेगा और उसमें कुछ मुद्दे छूट जायेंगे।

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड) : महोदय यह एक मान्य तथ्य है कि असम के मुख्य सचिव का हीं इस आन्दोलन में हाथ हैं और यदि ऐसी बात है तो क्या यह आवश्यक नहीं हो जाता कि तथ्यों का पता लगाने के लिए सभा की एक समिति का गठन किया जाए अथवा वहां एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा जाए . . .

अध्यक्ष महोदय : उस बात का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री एम० रामन्ना राय : सच्चाई जानने के लिए . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय वे एक नये सदस्य हैं।

श्री एम० रामन्ना राय : अब, मुख्य बात यह है कि भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक और कुछ विदेशी अभिकरण उस क्षेत्र की शान्ति भंग करने पर जुटे हुए हैं। विचारणीय मुख्य मुद्दा यह है कि यदि इस प्रकार की आग देशके अन्य राज्यों में भी फैलती है तो फिर हम इस पर

[**श्री एम० रामन्ना राय**]

नियन्त्रण नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार के आन्दोलन के दक्षिण की ओर फैलने की सम्भावना है। अतः सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए और इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। अब इसके बारे में कोई नई बात नहीं कही गई है... यदि कोई प्रश्न विशेष है तो वह पूछिये।

श्री एम० रामन्ना राय : मेरा प्रश्न है कि क्या इसके पीछे कुछ विदेशी एजेन्ट काम कर रहे हैं और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस मामले में असम के मुख्य सचिव की क्या भूमिका रही है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जो भी शिकायतें की गई हैं हम उनकी जांच कर रहे हैं। जहां तक विदेशी हस्तक्षेप, या विदेशी प्रभाव अथवा विदेशी हाथ होने के प्रश्न सम्बन्ध है तो इन बातों का पता लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कुछ लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हम पूरे मामले पर गम्भीरता से विचार कर रहे और यदि इन आरोपों में कोई सचाई हुई तो हम अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : अपना संगत प्रश्न पूछने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख रहा है कि सरकार की ओर से परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वे किसी प्रकार के सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग होकर कार्य कर रहे हैं। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । ... (व्यवधान) हां, हां वक्तव्य परस्पर विरोधी हैं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : एक भी तो विरोधाभास गिनाइये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वक्तव्य परस्पर विरोधी है। जो कुछ आप बता रहे हैं कृपया उसे पढ़कर सुनाइये।

श्री बूटासिंह (रोपड़) : यदि माननीय सदस्य स्वयंमेव भ्रमित होंगे तो सरकार क्या कर सकती है।

श्री के० ए० राजन : दुर्भाग्य से असम का प्रश्न ऐसी समस्या बन गया है जिससे विस्तारवादियों और सम्प्रदायवादियों ने गुमराह करके अनुचित फायदा उठाने की कोशिश की है। ...

एक माननीय सदस्य : साम्यवादियों ने।

श्री के० ए० राजन : साम्प्रदायवादी ... (**व्यवधान**) आप मुझे धमका कर नहीं बैठा सकते।

अध्यक्ष महोदय : मुझे डर है कि आप कहीं फ़िर से प्रश्न के महत्व न खो दें। कृपया अपना प्रश्न रखें।

श्री के० ए० राजन : मैं तो बस प्रश्न की पृष्ठभूमि में जा रहा था।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न खो बैठेंगे।

श्री के० ए० राजन : प्रश्न की समस्त पृष्ठभूमि में पिछली सरकार द्वारा इस सारी समस्या को सम्भालने .... (**व्यवधान**) कृपया मुझे कहने दें। आप अधीर क्यों हो रहे हैं ?

असम की सारी समस्या के पीछे पहली जनता सरकार और प्रशासन द्वारा सारे मामले के गलत ढंग से सुलझाने की कहानी है। परन्तु हमारे लिए अब जो अधिक चिन्तनीय बात है वह यह है कि हम अब समस्या से कैसे निपटने जा रहे हैं। यह कोई एकमात्र असम की ही समस्या नहीं है। यह महामारी तो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भी फैल चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अब हमें असल मुद्दे की बात करनी चाहिये।

श्री के० ए० राजन : पश्चिमी-बंगाल के मुख्य मन्त्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति ने बिगड़ती हुई स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इस मामले पर पत्र लिखे हैं। दुर्भाग्य से ऐसी घटना घट चुकी है। **(व्यवधान)** मुख्य समस्या तो विदेशियों के घुस आने की है। विदेशियों की क्या परि-भाषा है—यह मेरी पहली बात है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस आशय का कोई मार्गदर्शन कि विदेशी कौन हैं तैयार किया गया है। यही मेरा प्रश्न है।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि लोगों को जिम्मेदारी सौंपने के लिए कौन से सुदृढ़ उपाय किये गये हैं अर्थात चैक-पोस्टों के उन अधिकारियों को जो उनको इस प्रदेश में घुस आने की अनुमति देकर उनसे सांठगांठ किए हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : विदेशियों के बारे में आपके प्रश्न का दो बार पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

श्री के० ए० राजन : उन्होंने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : महोदय, जैसा कि आपने ठीक ही बताया है, इन प्रश्नों का उत्तर भी दिया जा चुका है। परन्तु चूंकि सदस्यवर इस सारे मामले में कुछ भ्रम में है तो विदेशी कौन हैं उस बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहती हूं। यह तो एक अनेक प्रकार का आक्रमण है। प्रारंभ में तो यह उन लोगों के विरुद्ध होना चाहिये था जो कि बांगलादेश से यहां चोरी-छुपे घुस आए हैं। लेकिन बाद में कुछ और व्यक्ति आ मिले। यही बात मैंने शुरू में कही थी कि विदेशियों के रूप में अनेक श्रेणियों के व्यक्ति आते हैं अर्थात जो व्यक्ति वहां काम करने गये हैं क्योंकि और कोई भी व्यक्ति इसे करने के लिए तैयार नहीं था। वे बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ आर्थिक रूप से विछुड़े हुए जिलों से गये हुए लोग हैं। वे वहां कई वर्षों से काम-काज में जुटे हैं। उनमें से बहुत सों को विदेशी कहा गया है। जो लोग असम में सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं उनमें से कुछ को विदेशी करार दिया जाता है। **(व्यवधान)**।

एक माननीय सदस्य : क्या आप उस बात को मानती हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वह बात हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए तो मैं आपके सहयोग की मांग कर रही हूं। हम विपक्षी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि इस बड़े ही नाजुक मस्ले को निपटाने के लिए हमें बैठकर यह फैसला करना होगा कि विदेशी कौन है। वस्तुतः जो पहले मतदान कर चुके हैं या जो कुछ अवधि विशेषतक वहां रह चुके हैं उन्हें नागरिक करार दिया जाता है। परन्तु इस मामले पर बड़े ही विस्तार से विचार करना होगा। जो स्थिति में सहायक न हो वैसा वक्तव्य देने से यहां कोई लाभ नहीं होगा।

हम बता चुके हैं कि हम विभिन्न दलों के नेताओं या उनके प्रतिनिधियों को बुलायेंगे और यहां उनसे इस समस्या पर चर्चा करेंगे। इस बीच हम मामले पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

विचार कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि क्या शिकायत सही हैं। यदि विद्यार्थीयों या किसी अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करन के लिए स्वयं अधिकारी ही जिम्मेदार थे, तो स्पष्टतया उन्हे हटाकर, उनके स्थान पर अन्य लोगों को लगाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्रा माहाटा इसक बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, क्या अभी भी आप कुछ और कहना चाहेंगे ? आप अपने प्रश्न पूछिये।

श्री सी० आर० माहाटा (पुरुलिया) **:** अध्यक्ष महोदय, आसाम और मेघालय की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। इस के सम्बन्ध में मैं दो सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में जो आसाम के रहने वाले आए हैं उनके लिए सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही हैं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि अपर आसाम क बहुत से युवक नागालड और त्रिपुरा हो कर ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर के बर्मा चले गए हैं, क्या यह सरकार को पता है ?

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) **:** उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने आसाम से भाग कर त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल में शरण ले ली है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको उन्हें वापिस लेना पड़ेगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इन सभी प्रश्नों के बारे में आपके साथ विचार-विमर्श किया जायेगा।

भारत की आकस्मिकता निधी (संशोधन) विधेयक

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन) : श्रीमान जी, मैं भारत की आकस्मिता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1950 में और आगे संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमती चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की आकस्मिकता निधी (संशोधन) अधिनियम, 1950 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन) : श्रीमानजी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) **:** श्रीमान, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : आप निवेदन नहीं कर सकते। आप केवल इसका विरोध कर सकते है। आपने मद्द संख्या 6 के सम्बन्ध में मेरे से कुछ उल्लेख किया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा निवेदन है कि . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कृपया मेरी बात तो सुनिये। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि व्याख्यात्मक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है। अब आप मुझे यह बताईये कि कोई सदस्य कैसे इस बात का अनुमान लगा सकता है कि वह व्याख्यात्मक विवरण का समर्थन करे या विरोध करे। यदि व्याख्यात्मक विवरण हमें कल उपलब्ध करवा दिया जाता तो हम इसके बारे में अपना मत बना लेते कि हमें इसका समर्थन करना है या विरोध करना है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपना यह प्रश्न उस समय उठाईयेगा जबकि हम इस मद्द पर चर्चा कर रहे होंगे ।

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

सभा पटल पर रखा गया

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन) : श्रीमानजी मैं भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश 1979 द्वारा शीघ्र विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बरौनी उर्वरक कारखाने में नेप्था की कमी

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, बरौनी खाद कारखाना नेप्था की कमी से प्राय: बन्द है । बरौनी स्थित तेलशोधक कारखाने के भण्डार में नेप्था शून्य है । आसाम आन्दोलन के फलस्वरूप बरौनी के तेलशोधक कारखाना को कच्चे तेल की आपूर्ति एक महीने से नहीं हो रही है । 27 दिसम्बर, 1979 से यह भी कारखाना बन्द है । उस कारखाने पर आश्रित दर्जनों लघु उद्योग के कारखाने जो बैरौनी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं, बन्द हो गए हैं । स्थिति गम्भीर है ।

(दो) संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की समस्याएं

डा० वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ) : नियम 277 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने में एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्रीमानजी, संयुक्त अरब अमीरात जहां कि लाखों भारतीय रह रहे है, वहां बहुत ही गंभीर तथा खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है । हाल ही में 10-1-80 को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने नौकरी बदलने पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन लोगों को 1 मार्च, 1980 तक वहां से चले जाने के लिए कह दिया गया है.। गल्फ इन्डियन वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को एक अपील भेज कर उन्हें शीघ्र संयुक्त अरब अमीरात की इस कार्यवाही से बचाने का अनुरोध किया है । यदि भारत सरकार द्वारा इस मामले में शीघ्र कोई कदम नहीं उठाये जाते हैं तो खाड़ी के देशों में रह रहे एक लाख से भी अधिक भारतीयों को "गैर-कानूनी प्रवासी" घोषित कर, उन्हें भारत वापिस आने के लिए बाध्य कर दिया जायेगा । इसके साथ ही इस नये विनियम के परिणाम स्वरूप संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी करने वाले भारतीयों का अत्याधिक शोषण किया जायेगा । इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार प्राप्त करने वाले भारतीयों पर भी इसका कुप्रभाव पड़ेगा और जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके मन में अनिश्चितता तथा भ्रम पैदा होगा । अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त इस मामले के बारे में संयुक्त अरब अमीरात के साथ बातचीत करें, वर्तमान स्थिति के बारे में किसी प्रकार का समझौता करने का प्रयास करे ।

(तीन) दिल्ली में लूटमार की घटनायें

श्री एच० के० एल भगत (पूर्व दिल्ली) : श्रीमानजी, मैं नियम 377 के अन्तर्गत, अशोक विहार तथा लारेंस रोड़ दिल्ली के क्षेत्रों में हुई लूटमार की घटनाओं जिनके फलस्वरूप अनेक औरतों तथा बच्चों को चोटे आई तथा बहुमूल्य सम्पत्ति की हानि हुई, तथा जो दिल्ली के नागरिकों

[श्री एच० के० एल० भगवत]

की चिंता का विषय बन गई है, की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह हमें यह बताये कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो तथा गत तीन वर्षों से देश में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति जो निरन्तर बिगड़ती जा रही है, में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे है ? इसके साथ ही श्रीमानजी मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि श्री भगत राम की पत्नी, जिसे कि लूटमार के दौरान चोटें आई थी, स्वर्ग सिधार गई है। अतः इस मामले की ओर पूर्ण गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिये।

(चार) अभ्रक के सामान के मूल्य में वृद्धि के बारे में अधिसूचना का जारी किया जाना

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त आश्चर्यजनक तथ्य है कि वाणिज्य विभाग भारत सरकार के द्वारा "फैब्रिकेटेड माइका" का दाम बढ़ाया है किन्तु उस का नोटि-फिकेशन नहीं करने के कारण कस्टम विभाग पुराने दरों पर फैब्रिकेटेड माइका को निर्यात करा कर करोड़ों रुपये की विदेशी मूद्रा से राष्ट्रको घाटे का व्यापार करा रहा है। इस में "माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन" किसी व्यापारी से नये दरों पर किसी निर्यातिक से पुराने दरों पर अभ्रक (तैयार माल) निर्यात की स्वीकृति दे रहा है। ऐसे ही प्रोसेस्ड माइका का भी हाल है। सब मिला जूला कर करोड़ों रुपये की क्षति हो चूकी है। अतः वाणिज्य एवं वित्त विभाग के द्वारा पारस्परिक सहयोग की गुंजाइश कर, संबन्धित अधिकारियों से अविलम्ब जवाब तलब कर राष्ट्रका क्षति से बचाया जाय।

(पांच) केसोराम कपड़ा मिल में तालाबंदी का समाचार

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिमय बसु। नियम 377 के अन्तर्गत।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैंने नियम 377 के अन्तर्गत सूचनायें दी हैं। श्रमिकों पर अत्याचार किये जाने के 3 मामले हैं। एक मामला सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० के बारे में था। श्रीमानजी एकानिमक टाइम्ज, कलकत्ता के कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है तथा उन्हें निठले रहने के लिये वाध्य कर दिया गया है। श्रीमानजी केसोराम कपड़ा मिल विड़ला बन्धुओं के स्वामित्व में है और उन्होंने गार्डनरीच क्षेत्र स्थित फैक्टरी में तालाबंदी की घोषणा कर दी है। इसके परिणामस्वरूप एक ओर तो गरीब मज़दूरों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा दूसरी ओर देश के महत्वपूर्ण उत्पादन, अर्थात् कपड़े जिसके कि हम काफी अधिक विदेशी मूद्रा अर्जित करते हैं, पर उसका कुप्रभाव पड़ेगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके बारे में मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिये कहें क्योंकि इसमें 12,000 श्रमिकों की रोजी बंधी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यहीं हैं। यह पूर्णतया उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके है। अब विधायी कार्य आरम्भ किया जायेगा।

संविधान (45वा संशोंधन) विधेयक

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, विज़नेस एडवाज़री कमेटी की बैठक नहीं हो रही है और न ही उसको गठित किया गया है। इस पर कितना समय रखा गया है ? चूंकि हम लोग भी अपनी तरफ से नाम देना चाहते हैं......

अध्यक्ष महोदय : मैं बता रहा हूं....

अब सदन में संविधान (45वां संशोधन) विधेयक 1980 पर विचार किया जायेगा। मैं समझता हूं कि विधेयक के तीनों चरणों के लिए दो घंटे का समय पर्याप्त होगा।

यदि सदन सहमत हो तो हम एक घंटे का समय सामान्य चर्चा तथा एक घंटे का समय खण्डवार विचार तथा तीसरे पठन के लिये निर्धारित कर लें। समय का काफी अभाव है और दोनों ओर के माननीय सदस्य इस बात की आवश्यकता को समझते हैं कि इसे 26 तारीख से पहले पहले पारित किया जाना है। इसीलिए, मैं इसे आपके समक्ष रख रहा हूं।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, इसे बिना किसी डिस्कशन के पास कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य इससे सहमत हों तो ठीक है, परन्तु फिर भी इसे औपचारिक रूप से सदन के समक्ष रखा जाना तथा उसे पारित किया जाना है।

श्री सूरज भान : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। बगैर डिस्कशन के यह ज़रूर पास किया जाय, लेकिन एक बात ध्यान में रखी जाये कि बिल के यहां पास होने के बाद लाज़मी तौर पर स्टेट्स से इस का रेटिफिकेशन हो।

अध्यक्ष महोदय : वह अपने आप हो जायेगा।

श्री सूरज भान : ऐसा नहीं है। अखबारों में कुछ दूसरी चर्चा चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : हमें अब इससे आगे बढ़ना चाहिये। इसे दो घंटे से भी कम समय लगेगा। अतः इसे आरम्भ किया जाये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, रूल 377 के तहत आल इण्डिया रेडियो के गलत प्रचार के बारे में मैंने एक नोटिस दिया है। मालूम नहीं उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत पहले ही 5 सदस्यों को अनुमति दी जा चुकी है। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम विधेयक का समर्थन करेंगे और वह मतैक्य से पारित हो जायेगा। परन्तु फिर भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिये कुछ समय तो दिया ही जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री समर मुखर्जी : एक या दो घंटे का समय पर्याप्त नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी संभाव्यता देख लेने दीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमानजी, हम जानते हैं कि गत 30 वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु क्या कुछ किया गया है। उसका पर्दाफाश पूरी तरह से किया जाना चाहिये। हम तथा लोग दोनों ही इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके साथ आपने कितना अच्छा व्यवहार किया है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की टिप्पणी मत कीजिये। अब इसके लिये दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद इसे राज्यसभा भेजा जायेगा।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं : . . .

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

आनरेबल मेम्बर साहबान ने ख्याल प्रकट किया है कि **विदाउट एनी डिस्कशन** यह बिल पास किया जाये । तो मैं यही समझता हूं कि इसमें और कोई स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री जयपाल सिंह कश्यप ।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : इस में कुछ संशोधन दिये गये हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : जब संशोधनों पर विचार किया जायेगा तभी उन्हें लिया जायेगा । इस समय तो विधेयक पर विचार किया जा रहा है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

पूज्य महात्मा गांधी जी, बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेदकर, श्री पैरियर रामा स्वामी नायकर और डा० राम मनोहर लोहिया का यह स्वप्न था कि इस देश के करोड़ों करोड़ों शोषितों और हरिजनों को भी वह सम्मान समाज में मिलना चाहिये, जो सम्मान इस देश के दूसरे लोगों को मिला हुआ है, लेकिन इन के 30 साल के शासन के दौरान भले ही कहने के लिये इन को सुविधायें देने का नाम रहा हो, लेकिन आज भी हरिजन अत्याचारों के शिकार हो रहे हैं । कल ही अखबार में एक घटना के बारे में आया है कि बिहार में एक हरिजन मां और बेटी को जिन्दा जला दिया गया ।

इस देश में आज भी करोड़ों-करोड़ों हरिजनों को मानवता का सम्मान नहीं मिल रहा है चाहे वह आर्थिक हालत हो और चाहे सामाजिक हालत हो। ... (**व्यवधान**) इस देश में आज भी वही स्थिति है । 30-35 साल तक आप की हुकमत रही है चाहे दो, ढाई साल तक दूसरों की हुकमत रही हो लेकिन आप यह देखें कि हरिजनों की समस्याए उतनी ही विकट है, आदिवासियों की समस्याए भी उतनी ही विकट है जितनी कि पहले थी । आज समाज में उन को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है । एक कुत्ता तो चारपाई पर बैठ ले लेकिन एक हरिजन को चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं है । जिस देश में ऐसी हालत हो, वहां पर 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग गलत है । मैं तो यह कहुंगा कि कम से कम 30-35 साल तक के लिए और इसको बढ़ा देना चाहिए । इस देश के अंदर आज जो कुछ हो रहा है, उस में यह जरूरी है । आज हरिजनों को उन का हक नहीं मिल रहा है । कुर्सी के स्वार्थ के लिए आप उन की बात कहते हैं लेकिन गद्दी पर बैठ कर हरिजनों का शोषण किया गया है । ... (**व्यवधान**) ...जो यो लोग मेरी आवाज को बंद करने के लिए शोर मचा रहे हैं, मैं उन से कहना चाहता हूं कि वे जा कर उन गरीबों की हालत को देखे । महुआ की रोटी खा कर, घास की रोटी खा कर वे लोग अपना गुजर करते है और उन के बच्चों को एक बार भी दूध नसीब नहीं होता है । इस सब के लिए आप का 35 साल का शासन जिम्मेदार है । इस संशोधन के पक्ष में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संशोधन आबादी के अनुपात से ही नहीं बल्कि इन के लिए 25 परसेंट आरक्षण होना चाहिए और यहि नही, कम से कम 25 और 30 साल के लिए आरक्षण होना चाहिए । आज जो इन के साथ व्यवहार हो रहा है, इस आरक्षण से, इस की थोडी सी सीमा बढ़ाने से, हरिजनों की समस्याओं का समाधान आप नहीं कर पायेंगे । आदिवासियों की समस्याओं का समाधान यह नहीं कर पाएगा । इस देश में करोडों करोड़ो

मल्लाह केवट, कहार, घविर, निसाद आदि समाज के वे लोग भी रहते है जिन की हालत आज इन हरिजनों से भी बढ़तर है, जो बेचारे नदियों के किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले 30 सालों में सरकार ने उन को कोई स्थान दिया है, कोई सुविधा दी है। आप जरा थंडे दिल से इन करोडों-करोडों मछुओं के बारे में सोचो जो पानी में खेती करते हैं। तुमने उनके जीवन, उनकी जिंदगी की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए कभी लढाई नहीं लडी।

इस देश में करोडों दस्तकार है, नाई हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं और लोग हैं। वे गरीब दस्तकार है और बहुत अधिक संख्या में है। लेकिन गरीब होने की वजह से वे यहां नहीं आ सकते हैं। उन कुम्हारों से लेकर, गड़रिओं से लेकर जो भी दस्तकार हैं, उन सभी को आक्षरण मे लाया जाए ताकि वे भी चुन कर यहां आ सकें। इस लोक सभा में आ सके, देश के प्रांतों की विधान सभाओं में आ सके ताकि उनका जीवन भी सुधर सके।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) कि ओर से मैं संविधान (45 वां) संशोधन विधेयक, 1980 का स्वागत करता हूं जिसका उदेश्य संविधान के अनुच्छेद 334 का संशोधन करना है।

कांग्रेस सरकार के 30 वर्षों के शासन और जनता सरकार के $2\frac{1}{2}$ वर्षों के शासन के पश्चात भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित जनजातियों के लोगों की दशा में उतना सुधार नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। इस संबंध में मैं यह उल्लेख भी करना चाहता हूं कि कुछ उपाय निकाले जाने चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जिन लोगों ने नवबौद्ध धर्म या इसाई धर्म अथवा इस्लाम धर्म को अपना लिया है, उन्हें भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाती का माना जाये और उन्हें उनको प्राप्त सुविधायों से वंचित न किया जाये। ये अनुसूचित जनजाती के लोग दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता जैसे बडे-बडे शहरों तथा अन्य शहरों में भी काम करते है और उन स्थानों को स्वच्छ रखते हैं किन्तु यह दुर्भाग्य ही है कि समाज तथा देश उन के साथ मानवों जैसा व्यवहार नहीं करता। अधिकांश अनूसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोग ग्रामिण क्षेत्रों में रहते है और वे खेतिहर मजदूर तथा बटाईदार है, इनमें से लगभग 95 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके आर्थिक उत्थान के लिए उपाय करें और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हमें समुचित सामाजिक तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इनमें से एक उपाय यह है कि हम भूमि सुधार संबंधी कानून को कार्यान्वित करें। मेरे राज्य में जहां, वामपंथी मोर्चे की सरकार है भूमि सुधार संबंधी कानूनों को समूचित रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है और उन्होंने एक विधान पारित कर लिया है कि बटाईदारों के अधिकारों को रिकार्ड रखा जाये और उनकी बेदखली रोकी जानी चाहिए। चुनावों से ही समय से पूर्व श्री भोला पासवान शास्त्री पश्चिम बंगाल गए और उन्होंने जो कि सच्चे गांधीवादी है, कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार भूमि सुधार संबंधी कानूनों को समूचित ढंग से कार्यान्वित कर रही है और उन्होंने बंटाई दारों तथा खेतिहर मजदूरों को उनके अधिकार प्रदान किए है। वास्तव में यही एक मात्र राज्य है जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाती के लोकों की भलीभांती सेवा कर रहा है।

इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण मामला भी है। पश्चिम बंगाल के नामशूद्रों को अनुसूचित जनजाती समझा जाता है किन्तु बिहार तथा उत्तर प्रदेश में ऐसा नही किया जाता। इसी तरह पश्चिम बंगाल में सुनरी समुदाय को अनुसूचित जाति माना जाता है। किन्तु बिहार के धनबाद तथा संथाल परगने

[श्री कृष्णचंद्र हल्दर]

में ऐसा नहीं समझा जाता। चित्तरंजन रेलवे वर्क्स में काम करने वाले इन जातियों के लोगों को भी अनुसूचित जाति नहीं माना जाता है। गुजरात, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जातियां है, जिन्हें अनुसूचित जातियां समझा जाता है। किंतु अन्य राज्यों में नहीं। यह नितांत आवश्यक है कि समूचे देश में एक समान तरीका अपनायाजाये। जो भी जाति कही अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति समझी जाती है, उसे वेंसा समुचे देश में समझा जाना चाहिये। इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि पिछली लाकसभा में कतिपय अनुसूचित जनजातियों को सम्मिलित करने तथा निकालने के लिए सभा के समक्ष एक संशोधी विधेयक पेश किया गया था। किंतु उस विधेयक के पारित होने से पूर्व सभा भंग हो गई। अंत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उस विधेयक को पुनः सभा में पश करे ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं दूर की जा सके॥

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कुसमा कृष्णामूर्ति (अमालापुरम) : सर्व प्रथम मैं सरकार को यह महत्वपूर्ण संवैधानिक विधेयक इतनी जल्दी लगाने की आवश्यकता को महसूस करने के लिए बधाई देता हूं। मूल उपबन्ध इस प्रकार है: "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में तथा राज्य विधान सभाओं में स्थानों का आरक्षण संबंधी उपबंध संविधान के लागू होने के 10 वर्ष पश्चात समाप्त हो जायेगा। इस उपबंध को संविधान में नियमित करने से पूर्व भी इस आशय के कुछ संशोधन पेश किए गए थे कि आरक्षण का यह उपबंध समाप्त हो जायेगा बशर्ते कि उन लोगोंको जिनके लिए विधान मंडलों में स्थानों का आरक्षण किया गया है, शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से अन्य वर्गो के लोगों के स्तर तक लाया जाये।

इस संशोधन को रेश करने का आधार यह है कि ये लोग सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए है उनका पिछड़ापन दूर किया जाये। ये लोग इस पिछड़ेपन के कारण शताब्दियों से कष्ट उठा रहे है।

जब आरक्षण के इस विषय पर संविधान सभा में चर्चा हुई थी तो कई माननीय सदस्यों ने यह कहना आरंभ किया था कि उन लोगों के पिछड़ेपन को देखते हुए 10 वर्ष की अवधि अपर्याप्त है। उसके उत्तर में हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरु ने इस संबंधो में एक तर्कसंगत बात कही कि 'यदि इस देश के नेता उन लोगों के उत्थान के लिए एक जुट होकर कार्य करें तो यह अवधि कम नहीं है'।

यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया था कि केवल विधान पारित करने से कुछ नहीं होगा। लोगों के दिलों में मौलिक परिवर्तन होना चाहिए स्वर्गीय पंडित नेहरु ने इस सभा में यह बात स्पष्ट कर दी थी बाद में सभी संशोधनों को अस्वीकार करते हुए डा० अम्बेडकर ने इसे बिलकुल स्पष्ट कर दिया और इस बात पर बल दिया :—

> "यदि 10 वर्षों के पश्चात् अनुसूचित जाति के लोग यह देखते है कि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है या वे इस अवधि का विस्तार करना चाहते है तो उन्हें वह संरक्षण प्राप्त करने के लिए नए तरीके निकालना उनके वश की बात से बाहर न होगा।"

यह स्पष्ट है कि इस संरक्षण की अवधि बढाने की बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है और यह भी बिलकुल स्पष्ट है कि उन लोगों को जिनके लिए यह संरक्षण किया गया है अवधि बढ़ाने की मांग करने का विकल्प दिया जाये। इसलिए 1959 में इस संवैधानिक उपबंध में 10 वर्ष की अवधि बढ़ाने के प्रथम संशोधन पर चर्चा आरंभ करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविन्द

बल्लभ पंत ने सभा में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जिन कारणों से संविधान सभा इस उपबंध को बनाने के लिए प्रभावित हुई थी, वे आज भी समाप्त नहीं हुए हैं।

अंत: मैं यह महसूस करता हूं कि जिन कारणों से संविधान सभा ने यह विधेयक पारित किया था और पुन: इसकी अवधि बढ़ाई थी वे कारण आज भी विद्यमान हैं। दूसरे शब्दो में इस प्रकार कहां जा सकता है कि जिस लक्ष्य के लिए संविधान में आरंभ में यह उपबंध किया गया था, उसकी अभी प्राप्ती नही हुई है। हममें से प्रत्येक जानता है कि भारत में इस गंभीर सामाजिक समस्या के ओर सारे विश्व का ध्यान आकर्षित है। इस तरह की गंभीर समस्या के सामाजिक विकास के बारे में हम व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। हमारा दृष्टिकोन हर प्रकार से शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक है और इस का निर्माण हमारे प्रिय नेता पंडित नेहरु के गतिशील नेतृत्व में हुआ।

यदि देश में यह सामाजिक परिवर्तन संवैधानिक तरीकों से नहीं किया गया तो देश को 'जाति युद्ध' का सामना करना पड जायेगा। अत: इस संबंध में यद्यपि हम सब जातिहीन तथा वर्गहीन समाज चाहते है तथापी कई अंतर्बाधाओं के कारण हम इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाये है और इसी कारण हम पुन: संसद में यह विधेयक लाये हैं।

मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के 24 वे प्रतिवेदन से कई उदाहरण दे सकता हूं कि इन जातियों के लोगों का आज भी दमन हो रहा है और उन्हे उनके नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है: यह उपबंध करने के बावजूद भी उनकों स्तर में उतना सुधार नहीं हुआ जितनी की आशा थी। कई उपबंधों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए एलाया पेरुमल समिति, शिलुआव समिति तथा संसदीय समिति भी बनाई गई थी। इस सबके बाबजूद भी अब आशानुकुल परिणामों की प्राप्ती नहीं कर पाये है क्योंकि इन उपबंधों कार्यान्वियन समुचित ढंग से नही किया जा रहा है। अंत: इस संबंध में मैं सरकार से अनुरोध करुंगा की वह केवल यही सुनिश्चित न करे कि संशोधन पारित हो जाये बल्कि यह भी सुनिश्चित करे की केंद्र में एक पृथक मंत्रालय की स्थापना करके इन उपबंधों का समुचित ढंग से कार्यान्वियन किया जाये। हमें पता है कि विभिन्न राज्यों में हरिजनों के उत्थान के लिए पृथक मंत्रालय हैं। यदि केंद्र में भी ऐसे मंत्रालय की स्थापना कर दी जाये तो फिर वे इस मामले पर पूरी तरह ध्यान दे सकते है और उपबंधों को समुचित ढंग से कार्यान्वित कर सकते हैं। दूसरे यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन अनुरक्षणोंका लाभ अपेक्षित लोगों को हो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में तत्काल उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहिए।

अत: सरकार को इस संशोधन को पेश करते हुए अध्याय 4 के अनुच्छेद 46 को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें कि निदेशक सिद्धांत निहीत है और जिनमें कहा गया है " सरकार कमजोर वर्गो के लोगों विशेषकर अनुसुचित जातियों तथा अनूसुचित जनजातियों के लोगों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की विशेष ढंग से रक्षा करेगी और उन्हे सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से बचायेगी।" अत: क्या किसी सभ्य समाज के लिए यह उचित होगा कि वह उन लोगों को उनके अधिकार देने से इन्कार कर दे जिन्होंने सदियों से यातनाए सही तथा जिनका दमन होता रहा। इस संदर्भ में मै यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं की 10 वर्षों या 30 वर्षो की अवधि का कोई महत्व नही है क्योंकि यह समस्या इतनी गंभीर है कि इसे अल्पावधि में हल नहीं किया जा सकता। अत:आरंभ में पेश किए गए संशोधन को काम में लाना आवश्यक है और ये अनुरक्षण तब तक चलते रहेंगे जब तक की ये लोग जीवन की मुख्य धारा में नही आ जाते और समाज के विकासीत वर्गों के स्तर तक नहीं पहूंच जाते। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री बापुसाहेब परुलेकर

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, आज जितना टाइम आलाट किया है उसमें से सारा का सारा टाइम न चला जाय। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबू जगजीवनराम जरूर इसमें कुछ कहे।

अध्यक्ष महोदय : वे अभी उपस्थित नहीं है। मुझे सभा को सूचित करना है कि संविधान (45 वें संशोधन) विधेयक पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव पर मतदान 3 बजे म० प० के करीब होगा। उसके बाद खंडो और विधेयक को पारित करने संबंधी प्रस्तावों पर उचित समय पर मतदान होगा। अब हम मध्याहन भोजन के लिये सभा को स्थगित करते हैं।

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 14.00 बजे म०प० पर पुनः समवेत हुई। अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।

श्री बापुसाहेब परुलेकर (रत्नागिरी) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय तथा सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस बात को सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 334 के अंतर्गत संरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की कम शिक्षा तथा कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण की गयी है। संविधान समिति तथा संविधान सभा के गठन से पहले अल्पसंख्यकों के बारे सिफारिशें करने हेतु एक सलाहकार समिति बनायी गयी और उस समिति ने 8 अगस्त 1947 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे संविधान सभा के सामने रखा गया। इस रिपोर्ट के अंतर्गत ही अनुच्छेद 334 में व्यवस्था की गयी। उस रिपोर्ट में कहा गया है :—

"अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के बीच शिक्षा की कमी तथा उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण तथा सामाजिक असमर्थताओं के कारण ही राजनैतिक सुरक्षण तथा स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।"

यह बात खेदजनक है कि 33 वर्षों के अंदर हमें संविधान को दो बार संशोधन करने की जरुरत पडी और इस अनुच्छेद को तीसरी बार संशोधित करना पडा। इससे सिद्ध होता है कि सभी सरकारें इस वचन को पूरा करने तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों कि स्थिति को नही सुधार सकीं। इस स्थिति में, सरकार तथा मंत्री से म पूछना चाहूंगा कि क्या उनके विचार में अगले दस वर्षो के अंदर अनुसूचित जाति तथा जनजाति की शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति इतनी सुधर जायेगी कि फिर भविष्य में राजनैतिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं पडेगी। मै मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा कि हजारों वर्षो से सामाजिक असमर्थताओं से पिडीत यह वर्ग क्या अगले दस वर्ष के अंदर इन असमर्थताओं से मुक्त हो जायेगा। यदि हां, तो क्या वे इस बारे कोई गारंटी देंगे ?

मैं मंत्री महोदय का ध्यान श्री हालदार द्वारा उठाये गये एक प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। इसके बारे में मैंने छटी लोक सभा में अनुसूचित जाति संबंधी एक भाषण के दौरान भी चर्चा की थी। जहां तक नवबौधों का संबंध है उन पर अनुसूचित जाति की परिभाषा लागू नही होती। अनुच्छेद 334 की व्यवस्था करते समय वे बौधधर्म में दीक्षित नही हुए थे। उन्होंने अपनी शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया था। अतः मैं मंत्री महोदय तथा सरकार के इस विशेष पहलू की ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। हमारे सामने साधारणतः अनुसूचित जाति आदेश के खंड 3 संबंधी तर्क रखा जाता है। धारा 3 में कहा गया है।

"पैरा 2 में की गयी व्यवस्था के होते हुए कोई व्यक्ति जो हिन्दू तथा सिख धर्म के इलावा अन्य किसी धर्म का पालन करे, उसे अनूसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जायेगा"।

सभी अधिनियमों तथा कानूनों में हिन्दू की परिभाषा बौध तथा सिख कर की गयी है। इसके बारे में कोई उचित तर्क नही है। अतः मैं मंत्री महोदय तथा सरकार से अपील करता हूं कि चुंकी अनुसूचित जाति के उन लोगों की सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ है जिन्होंने बौध धर्म को अपनाया इस लिए उन्हें अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लाये जाये।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान खंड 334 (ख) की ओर दिलाता हूं। मेरी समझ में यह नही आता कि आंग्ल-भारतीयों को सुविधा तथा आरक्षण देने से क्या लाभ है। वे सुसंकृत और बुद्धिमान आमिर लोग है। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या अनुच्छेद (ख) का रखा जाना जरूरी है।

अंत में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाता हूं की क्या आंग्ल भारतीय का नाम निर्देशन होना चाहिये। आंग्ल भारतीय तथा हरिजन के बीच भेदभाव क्यों है? आंग्ल-भारतीय चुनाव लढ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कि एक व्यक्ति 40 वर्षों तक सदस्य बना रहे। यदि हम उन्हें चुने जाने के लिये कहे तो अन्य आंग्ल-भारतीय भी आ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री थाझाई, करुणानिधि।

श्री थाझाई करुणानिधि (नागापट्टिनम) : (तामिल में बोले)

श्री अमर राय प्रधान : अभी कोई भाषांतरकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : फिलहाल कोई भाषान्तरकार नहीं है। श्री करुणानिधि जी आप कृपया प्रतीक्षा करें। श्री बूटा सिंह।

श्री बूटा सिंह (रोपड) : अध्यक्ष महोदय मैं देश के करोडों हरिजनों और आदिवासियों की ओर से श्रीमती इन्दिरा गांधी को बधाई देता हूं की वह पिछले चुनावों में देश की जनता को दिए गए वचनों में एक वचन को पूरा करने के उदेद्श्य से इस विधेयक को लाई है। श्रीमती गांधी भारत के आर्थिक दृष्टि से पिछडे लोगों के हितों का संरक्षक है। इस विधेयक पर चर्चा करते समय हमे जातीय राजनिती में नहीं पडना चाहिए। दुर्भाग्य है कि आरम्भ के वक्ता ने ही कांग्रेस के खिलाफ कुछ अभियोग लगाने आरंभ कर दिए। श्री पारुलेकर से पूर्व के वक्ता ने भी इन कामों को पूरा करने के कांग्रेस के इरादे पर संदेह व्यक्त किया। वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए इस सामाजिक विधान का सारा राष्ट्र समर्थन करता है। सर्वश्री हालदर और परुलेकर ने कहा है कि जिन हरिजनों ने बौद्ध या इसाई धर्म अपना लिया है उन्हें भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। हम उनकी मांग का समर्थन करते है। इस में कोई संदेह नहीं कि किसी धर्म विशेष को अपना लेने पर व्यक्ति आर्थिक रुप से संपन्न नहीं हो जाता इस विधान को सर्वप्रथम और आज भी लाने के पीछे उद्देश्य यह है कि इन पिछडी जातियों का सामाजिक उत्थान किया जाए। जब तक सामाजिक असमानता दूर नहीं की जाती और इन लोगों को देश की अन्य जातियों के समकक्ष नहीं लाया जाता तब तक हम अपने उस उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं कर पायेंगे जो संविधान ने हमें सौंपा है, यानि सरकार कमजोर वर्गों विशेषरुप से अनुसूचित जातीयों और जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष प्रयत्न करेगी। इसमे कोई संदेह नहीं है कि जिन लोगों ने बौद्ध धर्म और इसाई धर्म अपना लिया है आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए है। किंतु श्री पारुलेकर ने केवल बौद्धों की ही हिदायत की है। उन्होंने उनके बारें में एक भी शब्द नहीं कहा जिन्होंने इसाई धर्म अपना लिया है। महाराष्ट्र, केरल आदि जैसे राज्यों में जहां इस जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म या इसाई धर्म अपना लिया है वहां उन राज्योंने ऐसे धर्म

[श्री बूटा सिंह]

परिवर्तीत लोगों की जरुरतों को पूरा करने हेतु कुछ उपाय किए है। पर जब तक समाज में जाति वाद रहेगा और जब तक जाती के आधार पर कुछ लोगों को सामाजिक दृष्टि से नीचा समझा जाता रहेगा तब तक उन जातियों के संबंध में इस विधान में विचार नहीं किया जा सकता इसलिए वर्तमान संविधान के आधार पर यह प्रश्न निरर्थक हो जाता है। हमारी उनके प्रति सहानुभुति है। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा की वह राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके उन लोगों के लिए भी कुछ करें जो बौद्ध या ईसाई बन गए है।

आरक्षण के लिए संविधान में की गई अवधि की व्यवस्था को आगे बढाने का प्रश्न कुछ दिनों से विचाराधीन रहा है। आज हमारे लिए यह थोडी चिन्ता की बात है कि इस अवधि को बढाने का काम कांग्रेस पार्टी के लिए छोड दिया गया। पिछले 29 महीनों में क्या होता रहा। यह सभा पिछले 30 वर्षो से कांग्रेस सरकार की आलोचना करती रही। जनता या लोकदल सरकारें क्या करती रहीं? जिन्हें गरीबों का रखवाला कहा जाता है वे खामोश बैठे रहे। हमारे भाई हमारी बहीने हमारी माताए जिन्दा जला दी गई। दिन-प्रतिदिन अत्याचार बढते गए। जनता और लोक दल सरकारों में ऊंचे पद पर आसीन तथाकथित हरिजन नेताओं के मुख से एक भी शब्द उनकी सहानुभूति में नहीं निकला। मैं तो यह भी कहूंगा कि लोक दल सरकार राजनितिक कारणों से प्रेरित हो कर यह सोच रही थी कि यह कानून रद्द हो जाए और इसकी तारीफ समाप्त हो जाए।

मैं वस्तुत: श्रीमती इन्दिरा गांधी का बहुत आभारी हूं कि वह भारत के पद्दलित लोगों के उथ्यान्न के लिए इस कानून को अपनी सरकार के सर्वप्रथम उपाय के रुप में लाई है। देश में यह गलत धारणा फैलाई गई कि पिछडे वर्षो के हितों की रक्षा किसी वर्ग विशेष के नेता ही कर सकते है और वे ही उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। किसानों और हरिजनों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। पर आज भारत की जनता ने सामान्यत: और हरिजनों ने विशेषरूप से यह निश्चित मत दिया है कि कमजोर वर्गों की एकमात्र नेता केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी ही है और उनके हित इनके हाथों में सुरक्षित है।

महोदय चुनावो के नाम पर क्या कुछ नहीं किया गया। पिछले चुनाव के शिकार कौन बने। केवल कमजोर वर्ग के लोग और विशेषकर अनुसूची जाती और अनुसूचि जनजाति के लोग। मैं अनिर्वाचनक्षत्रों के नामं वता सकता हूं जहाँ आज भी हरिजनों को बोट नहीं डाले दिए जाते। क्या यह सच नहीं है।

कुछ ऐसी वाते हैं जिन पर गृह मंत्री को तुरन्त ध्यान देना चाहिए देश में हरिजन विरोधी कुछ प्रवृत्तियां उभर रहीं है। कुछ राज्यों में लगातार आंदोलन हो रहे जिन्हें राज्यों की राजनितिक सत्ता के किसी वर्ग विशेष और साम्प्रदायी तत्वों द्वारा उकसाया जा रहा है। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गंभिरता से विचार करें क्योंकि जो रीयायते दी जा रही है वे संविधान सम्मत हैं। इसकी भारत के संविधान में व्यवस्था है। जो लोग इनका विरोध करते है उन्हें देशद्रोही माना जाना चाहिए। और उनकी गिनती उन लोगों में की जानी चाहिए जो कमजोर वर्गों की समस्याओं की ओर ध्यान देने के मूल विचार का हि विरोध करते हैं।

सेवाओ के संबंध में मैं उचित समय पर बोलूंगा। पर एक संसदीय समिति का तीन वर्ष तक नेतृत्व करने के नाते मुझे इसका कुछ अनुभव है। इस विषय पर संसदीय समिति ने कुछ प्रतिवेदन पेश किए है सरकार को उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के प्रतिवेदनों पर भी गहराई से विचार किया जाए जिससे कि सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कुछ करने में समर्थ हो सके।

†**श्री थाझाई करुणानिधि** (नागापट्टिनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम अपने प्रिय नेता डा० कलाइनर करुणानिधि और अपने निर्वाचन क्षेत्र की उस जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसने इस महान सभा के समक्ष मुझे अपना पहला भाषण देने का अवसर प्रदान किया है।

मैं द्रमुक की ओर से यह कहना चाहूंगा कि हम सभी अपनी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति आभारी हैं जिन्होंने यह 45 वां संविधान (संशोधन) विधेयक पेश किया है। यह याद करना उचित ही होगा कि एक दशक पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में ही अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को संवैधानिक रूप दिया गया था। आज भी इस विधेयक को पेश करने की जिम्मेदारी उन पर ही आई है जिसके द्वारा इस कानून की अवधि बढ़ाई जानी है।

इस सभा का कोई भी वर्ग इस बात का विरोध नहीं करेगा कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए क्योंकि इसी उपाय के माध्यम से इनकी सदियों पुरानी आर्थिक और सामाजिक दुर्गति दूर की जा सकती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा डा० अम्बेडकर एवं सन्ताई पेरियार, अरिगर अन्ता और डा० कलाइनर करुणानिधि जैसे प्रसिद्ध देशभक्तों ने भारत माता के इन भाग्यहीन पुत्रों के दुख और दर्द के प्रति हमेशा आवाज उठाई और हमेशा चिन्तित रहे। देश आजाद है पर इन लोगों को आर्थिक और सामाजिक दासता से मुक्ति नहीं मिल पाई है। उनके साथ कुत्तों और सुअरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। यह विडम्बना ही है कि कुत्तों और सुअरों के प्रति स्नेह दिखाया जाता है पर इन मानवपुत्रों को उच्चवर्ण के लोग अपने से एक कदम दूर ही रखते हैं। आरक्षण को कानूनी तौर पर स्थायित्व प्रदान करने से ही उनका दुख:दर्द दूर किया जा सकता है। आरक्षण का मामला अधिकारियों की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं में इन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पर प्राइवेट क्षेत्र में यह व्यवस्था नहीं है। जब तक सभी सेवाओं में इनके लिए आरक्षण नहीं होता तब तक हम उनके आर्थिक अवलम्बन को कैसे समाप्त कर सकते हैं। यदि कोई हरिजन मुसलमान बन जाता है तो वह मौलाना हो जाता है। अगर वह इसाई बनता है तो उसे पादरी बनाया जा सकता है। पर हिन्दू होने पर उसे मंदिर का पुजारी नहीं बनाया जाता। अपने शासन काल में डा० कलाइनर करुनानिधि ने कानूनी व्यवस्था करके इस कमी को दूर किया और व्यवस्था की कि एक हरिजन भी मंदिर का पुजारी बन सकता है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कानून को सारे भारत में समान रूप से लागू किया जाए। इसे केन्द्रीय कानून बनाया जाए।

इन शब्दों के साथ अध्यक्ष पीठ का मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी० के० कोडियन (अदूर) : इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

मेरा विचार है कि यह सूचना सदन इस प्रस्तावित संशोधन के साथ सहमत है। संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण प्रदान किये थे, जिस कारण से ऐसा किया गया, वह कारण अभी भी बना हुआ है अर्थात अभी भी सामाजिक पिछड़ापन है। पिछले 30 वर्षों में सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं, इसे मैं मानता हूं किन्तु इन से उन के जीवन स्तर तथा सामाजिक स्तर में कोई मौलिक सुधार नहीं हुआ है। जिन कठिनाईयों को उन्हें रोज मर्रा के जीवन में सामना करना पड़ता है, मुझे उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है।

†तामिल में दिए गए भाषण के अंग्रजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

4—547 LSS/ND/79

[श्री पी० के० कोडियन]

सभी जानते हैं कि अनुसूचित जातियों को आज भी अत्याचारों का शिकार बनाया जा रहा है। अनेक बार तो उन्हें सामाजिक बहिष्कार का भी शिकार होना पड़ता है ।

कई कई दिनों तक उन्हें पानी भरने नहीं दिया जाता और ऊंची जातियों के लोग दूकानदारों को कहते हैं कि अनुसूचित जातियों के लोगों को खाद्यान्न भी न दिया जाए जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हें भुखमारी का शिकार होना पड़ता है । सामाजिक पिछड़ेपन का एक मानदण्ड यह है कि अभी भी छआछुत की बुराई दूर नहीं की जा सकती है। यद्यपि शहरी इलाकों में यह बुराई कुछ कम हुई है, गांवों में छुआछूत अब भी की जाती है ।

शिक्षा से उन्हें जीवन की कुछ अधिक सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं किन्तु जिन्हें यह सुविधाएं प्राप्त हैं उनकी संख्या इन लोगों की भारी जन संख्या में नगण्य ही है । कभी कभी तो शिक्षित लोगों को समुचित आवासिय सुविधाएं नहीं मिलती और उनके साथ भेदभाव बरता जाता है और उनका दूर-दराज के क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में तबादला कर दिया जाता है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर को उठाने के लिए उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाना होगा तथा उन्हें भूमि का आबन्टन करना होगा । उनमें से अधिकांश लोगों तथा हरिजनों और आदिवासी लोगों की भूमि सूदखोरों तथा अन्य निहित स्वार्थो द्वारा हथिया ली गई है । जहां तक आदिवासियों का सम्बन्ध है यद्यपि अधिकांश राज्यों ने उन्हें भूमि वापस दिलवाने के लिए कानून वनाए हैं, उन कानूनों को कहीं भी लागू नहीं किया गया है । मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आदिवासियों को जंगलों में और आगे धकेला जा रहा है और उनसे उनकी भूमि छीनी जा रही है,। जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है यह आशा की गई थी कि भूमि सुधारों के लागू करने के परिणामस्वरूप अनेक लोगों को भूमि मिल जाएगी किन्तु हमारे देश में भूमि सुधारों का लागू करना बड़ा ही कठिन है, अत: लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी हैं । चाहे वह हरिजन हों अथवा आदिवासी, उनमें से अधिकांश लोगों का व्यवसाय कृपि है तथा .....

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना भाषण अब पूरा करिए । आप को दो मिन्ट का समय दिया गया था और आपने पांच मिनट ले लिए हैं ।

श्री पी० के० कोडियन : मुझे यह वात पूरी करने दीजिए कि यद्यपि राज्यों ने न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने सम्बन्धी कानून पारित किए हैं कि उन्हें लागू नहीं किया गया है । मेरा अनुरोध है कि इन कानूनों को लागू किया जाए । मैं श्री परूलकर और श्री बूटा सिंह से इस वात से सहमत हूं कि यह रियायतें उन लोगों को भी दी जाये जो अपना धर्म परिवर्तन कर वौद्ध और ईसाई बन जाते हैं ।

श्री सी० चिन्नास्वामी (गोविचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आल इण्डिया अन्ना डी० एम० के० दल की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं और संविधान (पंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1980 का पूरा समर्थन करता हूं ।

यह विधेयक वहुत ही सही समय पर लाया गया है । मुझे यह नोट करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि यह विधेयक उस बात का प्रतीक है जो मेरे माननीय नेता श्री कीरू एम० जी० आर० का सर्वदा आदर्श रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सांवैधानिक संरक्षण जारी रखा जाए । वास्तव में मेरे दल और मेरे दल के नेता ने स्थानीय निकाय चुनावों में भी सीटें रिजर्व करने का निर्णय लिया है, इस प्रकार की बात भारत भर में अभी तक कहीं नहीं सोची गई है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हुं, धन्यवाद !

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लोर) : स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने की इजाजत दी ।

34 साल इस देश में कांग्रेसी हुकुमत रही । इन 34 सालों में हरिजनों को इतना मिला कि अभी तक वे आजादी के साथ वोट नहीं डाल सकते हैं । मैं आपको पंजाब की हालत बताता हूं । लेण्ड रिफार्म्स न होने की वजह से वहां जमीन वड़े जमींदारों के पास है । मैं हरिजनों की बात कहूंगा ।

अनुरोध से अधिकार नहीं मिला करते । अधिकार तो वलपूर्वक प्राप्त किए जाते हैं । जव तक आप डट कर मुकवला नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा ।

मैं मांग करता हूं कि इसको जल्दी से पास किया जाए ।

मेरी अव जिन्दगी को ठोकरें खाना नहीं आता,
मैं मजबूरे तमन्ना हूं कि मर जाना नहीं आता ।
तेरी वज्म में आ कर हमें जाना नहीं आता,
हवासोहोश खो कर दिल को समझाना नहीं आता ।
हम ही तो इसके मालिक हैं,
कोई बेगाने के घर में बेगाना नहीं आता ।
तेरे मस्ती को साकी शोरे माशर क्या उठाएगा
ये वो हैं जिन को पी कर होश में आना नहीं आता ।

श्री चित्त बसु (वारसाट) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिसके माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा इंग्लो-भारतीय जातियों को संविधान में मिले संरक्षण की अवधि को और दस वर्ष बढ़ाने के लिये व्यवस्था की गई है । अपना समर्थन देने से पहले मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह देश में इन लोगों के जीवन स्तर की जांच करे । यदि आप अनुमति दें तो मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 24 वें प्रतिवेदन में व्यक्त किये गये विचार आपके ध्यान में लाना चाहता हूं––आयुक्त द्वारा वताई गई यह एक भयानक कहानी है :

"वह अव भी भाग्य के भरोसे बैठे अपना जीवन बितातें हैं और हमारे आधारभूत नियमों का कानून का लाभ उन्हें नहीं मिलता । स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारा, जो हमारे देश के संविधान की शोभाश्री है, इन लोगों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है ।'

इसमें आगे कहा गया है :

"राष्ट्र का यह निश्चय कि सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय समान रूप से मिलेगा, मात्र एक वचन है, जिसका अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के मामले में तो अभी पालन नहीं होता, बल्कि, उसका उल्लंघन ही होता है ।"

अत: माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन लोगों में फैली निराशा की भावना को समझे जैसा कि उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होती है । यदि हम देश की स्थिति को सही ढंग से समझने का प्रयास करे तो बड़े भयानक तथ्य सामने आयेंगे । देश में गरीबी स्तर से नीचे रहने वाली जनता की संख्या में दिन-प्रति-दिन वृद्धि होती जा रही है । यह अनुमान लगाया गया है कि शहरी क्षेत्रों में 55 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी के रेखा से नीचे रह रही है । इनमें से अधिकांश जनता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की है ।

[श्री चित्त बसु]

आप इस बात से भी सहमत होंगे कि भारत की स्वतन्त्रता के तीन दशकों के पश्चात भी देश में बन्धक मजूरी की प्रथा आज भी प्रचलित है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनेक प्रकार के शोषण में से यह भी एक ऐसी प्रथा है जिससे इन लोगों का बन्धक मजदूरों के रूप में शोषण किया जाता है।

पांचवीं से आठवीं श्रेणी में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या में भारी गिरावट आई है और यह बात उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में भी लागू होती है। यह इस बात से भी सिद्ध हो जाता है कि 1976–77 में भारत सरकार द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां पाने वाले केवल तीन लाख विद्यार्थी ही थे। विशेष रूप से इन जातियों के सम्बन्ध में शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। यदि आप शिक्षा सम्बन्धी विशेष कर साक्षरता दर संम्बधी तुलनात्मक आंकड़े देखें तो पायेंगे कि जनजातियों में 1961 की तुलना में 1971 में साक्षरता दर में गिरावट आई है। यह बड़ी ही चौकाने वाली बात है। वास्तव में कुछ आदिवासी जातियों में तो साक्षरता का स्तर शून्य पर है। 1961 और 1971 के साक्षरता दर सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़ों से पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार आदि राज्यों में साक्षरता दर में गिरावट आई है।

मैं माननीय गृह मंत्री को डा० अम्बेडकर द्वारा दिए गए भाषण का स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा चल रही थी तो वह दस वर्ष के आरक्षण से सहमत नहीं थे। मुझे यह जानकर वास्तव में बड़ा आश्चर्य हुआ है जैसा कि मेरे मित्र डा० पारूलकर कह रहे थे, कि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक सहायता दिये बिना ही अन्य जनसंख्या के स्तर तक उन्हें उठाया जा सकता है, और क्या इस बात पर विचार करना आवश्यक है।

श्री पी० एम० सुबे (सिक्किम) : आपने जो मुझे अवसर दिया है उसका मैं आपके प्रति बड़ा ही आभारी हूं।

मैं सिक्किम का प्रतिनिधित्व करता हूं और यह राज्य अभी हाल में ही राष्ट्र की प्रमुख धारा में शामिल हुआ है। अतः भारत का नवीनतम राज्य है। मैं अनुरोध करता हूं कि यदि सम्भव हो तो मेरे राज्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सभी मामलों में—आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा हुआ राज्य है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग तो बहुत ही पद-दलित और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए है। वहां के अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। यदि सभी मित्र सहमत हों तो सिक्किम को भी अधिकतम सुविधाएं दी जानी चाहिए।

श्री फ्रेंक एंथनी (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : मैं प्रधान मंत्री और उनके सरकार का इन विधेयक लाने के लिए धन्यवाद करता हूं तथा उन सभी दलों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसका समर्थन किया है।

मैं केवल श्री परूलकर द्वारा इस सुविधा को एंग्लों–भारतीय जाति के लिए जारी रखने पर लगाये गए प्रश्नचिन्ह का उत्तर देना चाहता हूं। उन्हों ने कहा है कि यह जाति प्रवुद्ध और साधन-सम्पन्न है—। वह चाहते हैं कि एंग्लो-भारतीय भी उसी तरह चुनाव लड़ें जिस तरह अनुसूचित जातियों के लोग लड़ते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अनेक सदस्य यह नहीं जानते कि मैंने यह उपबन्ध कैसे करवाया। मुझे गांधीजी का आशिर्वाद और समर्थन प्राप्त था। मैंने उन्हें अपनी जाति की विशेष

कठिनाइयों से अवगत कराया। उन्हों ने मेरा समर्थन किया और कहा कि यद्यपि संविधान सभा में आपको कई स्थान नहीं मिलने चाहिए किन्तु एक या दो नहीं अपितु 3 स्थानों का आश्वासन उन्होंने मुझे दिया था। जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल तथा विशेषकर अल्पसंख्यक अधिकारों सम्बन्धी सलाहकार समिति के सभापति ने मुझे विशेष और शक्तिशाली समर्थन दिया था।

अध्यक्ष महोदय, आपको शायद मूल निर्णय स्मरण न हो। मूल निर्णय यह था कि सभी अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाए किन्तु गांधी जी की हत्या हो गई और तब सारा मामला विचाराधीन हो गया और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण वापस ले लिया गया।

मैंने अपना मामला पुनः प्रस्तुत किया और जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने भी यही कहा था, जिसे मैंने अपनी पुस्तक में भी इस प्रकार पेश किया था :

"आंग्ल-भारतियों का मामला विशेष रूप से कठिन है जिसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं, यह नहीं कि वे पिछडे वर्ग के है। विशेष आरक्षण तथा अनुसूचित जातियों के आरक्षण सुरक्षित ही रहेंगे।"

लेकिन सरदार पटेल ने स्पष्ट कहा था कि इसे चुनाव के लिए क्यों लागू नहीं किया जायेगा।

"हम उनके लिये यह आरक्षण प्रदान नहीं कर सकते .....चुनाव के लिए जो निरर्थक है। वे वहुत कम है और इधर उधर तितर-वितर है। वे उन्हें ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते। यदि हमें उन्हें प्रभावशावली प्रतिनिधित्व देना है तो इसे हम निचले सदन में ही नाम- निर्देशन द्वारा देंगे।"

मैं इस प्रशंसा के लिए आभारी हूं कि हमारा समुदाय बुद्धिमान है लेकिन हमारा समुदाय समृद्ध नहीं है। मेरे समुदाय में बहुत बेरोजगारी है और मेरे अनुमान से आज हमारे समुदाय को 35 और 50 प्रतिशत लोग बेरोजगार है।

श्री अरविंद नेताम (कांकेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि यह विधेयक ठीक समय पर पेश किया गया है।

जहां तक आरक्षण के समय को और दस साल बढ़ाने का सम्बन्ध है, संविधान के निर्माताओं ने इस देश के शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को ये सुविधाएं दी थी। जब भी इस प्रकार का विधेयक सदन में आता है तो हमेशा यह पूछा जाता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि दस सालों में इन लोगों का आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो जाएगा। मैं इस देश के लोगों को, और खासकर समाज के उच्च वर्ग को, कहना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपनी भावनाओं को बदले और दिल से चाहें कि ये दोनों पिछड़े वर्ग आगे बढ़े, तो मैं समझता हूं कि इस रिजर्वेशन और प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं होगी।

माननीय सदस्य, श्री बूटा सिंह, ने कहा है कि इस देश में कुछ ऐसे तत्व है, जो इसका विरोध करते हैं। उनके विरोध का कारण तो समझ में नहीं आता है, लेकिन यह बात सही है कि जिन जातियों पर सैकड़ों हजारों सालों से ज्यादतियां हुई हों, यह असम्भव है कि सिर्फ बीस तीस सालों में उन सब की उन्नति हो जाएं और उन में जागृति आ जाएं। इस लिए मैं चाहता हूं कि समाज के अन्य लोग उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दें। जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे, तब तक महज सरकार की सहायता से वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी भी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए

[श्री रामलाल राही]

विचार करे कि आरक्षण व संरक्षण जाति के आधारपर न होकर गरीवी को आधार मान कर किया जाना चाहिए ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : अध्यक्ष महोदय, भारतीय लोक दल सब से बड़ा विपक्षी दल है लेकिन आपने केवल एक आदमी को ही वोलने का मौका दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभा में दल की सीटों की संख्या के अनुसार समय दिया है । मैं इसे आवन्टित समय के अनुसार देता हूं । इसके लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती ।

श्री बिरधी चन्द्र जन (वाड़मेर) **:** अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । जव हमारी कांस्टीटुएन्ट असेम्वली ने संविधान वनाया था तव दस वर्ष के लिए प्रोटेक्शन दी गई थी । फिर उस को बीस वर्ष किया गया, फिर तीस वर्ष किया गया और अब हम 40 वर्ष करने जा रहे है । परन्तु हमें सोचना यह होगा कि जब हम इस प्रकार मे बढाते जा रहे हैं तो इसके लिए कोई कार्यक्रम भी बनाना होगा । अब हम दस वर्ष के लिए प्रोटेक्शन वढ़ाने जा रहे हैं तो दस वर्ष के लिए कार्यक्रम भी बनाना होगा ताकि आगे इसको वढ़ाने की आवश्यकता ही न रहे । यदि इसी प्रकार से हम प्रोटेक्शन को वढ़ाते जाएंगे और अनुसूचित जाति एवं जनजाति से लोग प्रगति न करें, उनकी गरीवी को न मिटा सकें, उनको ऐसी स्थिति में भी न ला सकें कि वे सरपंच और प्रधान के लिए खडे हों सके तो इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा । आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में जितनी भी वड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टिज हैं वह इस वात की कोशिश करें कि जनरल सीटस पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को टिकट दें और वे उन सीटों से जीतकर इस सदन में आ सकें । यदि हम इस प्रकार से कोई प्लान नहीं बनाते हैं तो हम संरक्षण को वढ़ाते जाएंगे परन्तु उसके पीछे जो एक उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा । दस वर्षों के बाद फिर यहां पर सरकार को इसको आगे बढ़ाने का कारण वताना पड़ेगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए पहले से ही ऐसी व्यवस्था करें कि आगे से फिर यहां पर आकर इस संरक्षण को आगे वढ़ाने के लिए कारण न वताने पड़े ।

अभी आज जानते हैं कि छुआछुत का मामला वना हुआ है । आज भी मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश नहीं हो पाता । हमारे राजस्थान में वाड़मेर, जैसलमेर के जिलों में मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश नहीं है । इसलिए आप ने जो कानून वनाएं है उनको अमली जामा पहनाना पड़ेगा । यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे । पांच वर्ष के लिए यहां पर कांग्रेस (आई) की सरकार बनी है । जनता पार्टी की सरकार ने दस वर्ष का प्लान बनाया था लेकिन वह पांच साल भी नहीं चल सकी । लेकिन हमें विश्वास है कि पांच वर्ष तक कांग्रेस (आई) शासन में रहेगी ।

पांच वर्षों के अन्दर योजना बनानी चाहिए कि किस प्रकार से हम इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति करें, विकास करें, उन की गरीवी को मिटाएं, जिस से आरक्षण का दस वर्ष वाद अवसर देना न पड़े और हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकें ।

श्री उत्तम भाई पटेल (वुलसर) **:** (**कुछ शब्द गुजराती में बोले**) ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इन के भाषण का ट्रान्सलेशन नहीं आ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आज इसके अनुवाद की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है । अगली वार इसके अनुवाद की व्यवस्था की जाएगी । श्री पटेल आप आपना भाषण दो मिनट में समाप्त करें ।

[श्री अरविन्द नेताम]

समाज के दूसरे वर्गों के सहयोग और सहायता की आवश्यकता होती है। मैं चाहूंगा कि इस देश के लोग इन वर्गों को आगे बढ़ानें में मदद करें।

मैं गृह मंत्री महोदय से यह बात खास तौर पर कहना चाहता हूं कि यह देखने में आया है कि बहुत से अदिवासी क्षेत्रों में दूसरे लोगों का काफी संख्या में प्रवेश हो रहा है। इसके कारण आदिम जातियों में जो असुरक्षा या अशान्ति की भावना पैदा हो रही है, गृह मंत्री महोदय उसकी ओर विशेष ध्यान दें। मैं दूसरे लोगों के आदिवासी क्षेत्रों में जाने का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदिम जाति के लोग उनके आने की वजह से असुविधा और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। गृह मंत्री महोदय जानते हैं कि इसके कारण बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर ईस्टर्न स्टेटस में, कई समस्यायें उठ रही हैं, इसलिए वह इस बात का विशेष ख्याल रखें। ये बहुत सेन्सिटिव एरियाज हैं, इस लिए ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां बाहर के कम से कम लोग जाएं, ताकि वहां असुविधा और असुरक्षा की भावना पैदा न हो।

मैं एक बार फिर प्रदान मंत्री और गृह मंत्री को बधाई देता हूं कि वह समय पर इस विधेयक को लाये हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री बाजुबन रियान** (त्रिपुरा-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, पिछले 30 वर्षें के दौरान भारत सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को लोगों के कल्याणार्थ अनेक योजनायें बनाती आ रही है लेकिन मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि इन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप हमारा समुदाय अन्य वर्गों की अपेक्षा सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पीछे है। आज भी हम संसद अथवा राज्य विधान सभा में अपनी मातृ भाषा में बात नहीं कर सकते। जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, केवल पश्चिम बंगाल की बामपंथी मोर्चा सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए इन समुदायों के लोगों को शैक्षणिक योग्यताओं को कुछ कम किया है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा स्थापित उदाहरण का पालन करेंगी? यदि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें सचमुच अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पुनरोत्थान में दिलचस्पी रखती तो ये जातियों 10 वर्षें के अन्दर ही लाभान्वित होती लेकिन मैंने इस बात को खेदपूर्वक नोट किया है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने इस हेतु अनेक आयोगों का गठन किया और इन आयोंगों ने अपने प्रतिवेदन भी दिए लेकिन सरकार ने आयोंगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए उत्साह से काम नहीं लिया। त्रिपुरा की बामपंथी मोर्चा सरकार ने संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए जिला परिषदें गठित करने का सुझाव दिया था और हमारे दल ने इसके लिए आन्दोलन भी किया हमने मांग की थी कि त्रिपुरा ही नहीं देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार की परिषदें गठित करनी चाहिए और जनजाति लोगों को अधिक स्वायतता दी जानी चाहिए। यह बात खेदजनक है कि कांग्रेस (आई) सरकारें हमारी मांगों का विरोध कर रही है। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के परिषदों के गठन का विरोध नहीं करेगी।

श्री राम लाल राही (मिश्रिख) : अध्यक्ष महोदय, मै आप को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि सातवीं लोक सभा में एक महत्वपूर्ण बिल पर आज प्रथम बार मुझे आपने बोलने का अवसर दिया।

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

मैं ने इस बिल में एक संशोधन पेश किया है और उस में यह कहा है कि संविधान की धारा 334 समाप्त कर दी जानी चाहिए। मैं उस के लिए डरते डरते इस सदन में तर्क पेश करना चाहता हूं क्योंकि हर व्यक्ति ने समर्थन दिया है। मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि हमारे हिन्दूस्तान के अन्तर 30 साल की जो राजनीति रही है वह सत्ता की राजनीति रही है। सत्ता के लिए हमने धर्म और जाति के लोगों को संरक्षण और आरक्षण देकर वोट हासिल करने का प्रयास किया है। अब इस देश के अन्दर अगर इस तरीके की राजनीति चलाई गई और इस तरीके की व्यवस्था चलाई गई तो मैं ऐसा मानता हूं कि न हम देश बदल सकते हैं, न समाज बदल सकते है और न गरीबी अमीरी की जो महत्वपूर्ण लड़ाई है उस लड़ाई पर हम विजय पा सकते है। मैं तो यह चाहूंगा कि इस 334 आर्टिकल को हटा कर उस की जगह पर ऐसा न्यूनतम आर्थिक आधार रखना चाहिए जिस आधार से नीचे जो लोग हों उन लोगों को लोक सभा और विधान सभा के अन्दर जाना चाहिए। जब तक पिछड़े और गरीब लोग लोक सभा और विधान सभाओं के अन्दर नहीं आएंगे तब तक गरीबों, छोटे लोगों और कमजोर लोगों के लिए यहां पर न कोई कानून बन सकता है और न उस कानून पर अमल हो सकता है। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, देखेंगे संविधान में इसके नीचे जो आर्टिकिल 335 दिया हुआ है, क्या उस 335 आर्टिकिल की भावना को तीस सालों में पूरा करने का प्रयास किया गया। सरकार नें चाहे जो लोग रहें हों, वह सरकार चाहे जिस की रही हों मोरारजी भाई की चाहे चौधरी चरण सिंह की, चाहे इन्दिरा जी बैठी हो, चाहे कमलापति जी बैठे हों, चाहे बाबू जगजीवन राम बैठे हों, चेहरे वही रहे है, कुर्सियां बदलती रही है, कभी कोई दायें चला गया. कभी बायें चला गया लेकिन हमारे समाज का जो स्वरूप है उस स्वरूप में कोई ठोस आर्थिक या सामाजिक बदलाव नहीं कर पाए। मेरी दरख्वास्त है इस सरकार से, माननीय इंदिरा गांधी जी से कि अब जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ कर उन्हें अमीरी और गरीबी की महत्वपूर्ण लड़ाई को आगे लाना चाहिए जो दो वर्गों के बीच की लड़ाई है। जब देश के अन्तर अमीर और गरीब, इन दो वर्गों की लड़ाई को हम बढ़ाएंगे तब जा कर हम हरिजनों को भी आरक्षण दे सकेंगे, दूसरों को भी आरक्षण दे सकेंगे और ब्राह्मण ठाकुर जो गरीब है उन को भी आरक्षण और संरक्षण दे सकेंगे। मैं कहना चाहता हूं, हरिजनों को आरक्षण दिया गया, ब्राह्मण और ठाकुर उसके लिए हम से कहते है कि भाई, तुम तो सरकार के दामाद हो। हम को कहते है कि तुम तो दामाद हो सरकार के। हमारा नौकरियों में रिजर्वेशन पूरा नहीं है, हम जिला परिषद की चेयरमनी के लिए लड़ना चाहे तो नहीं लड़ सकते। क्षेत्र समिति के लिए, क्षेत्र प्रमुख के लिए, प्रधानी के लिए हम नहीं लड़ सकते हैं। यदि हम चुनाव लडते हैं तो जाति के आधार पर हम हार जाते हैं। समर्थन नहीं मिलता, फिर भी कहा जाता है कि हम सरकार के दामाद है। तो इस प्रकार की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। यहां पर इस सदन में सौ, सवा सो हमारे हरिजन सदस्य होंगे वे सोचते होंगे कि यह व्यक्ति आरक्षण का विरोध कर रहा है लेकिन मैं जानबूझ कर विरोध नही कर रहा हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि अगर आरक्षण और संरक्षण न होता तो मैं यहां कदापि नहीं आ पाता। लेकिन जब मैं यहां पर चुनकर आया हूं तो इसलिए आया हुं कि मैं समाज के लिए कुछ कह सकूं। मैं चाहता हूं कि जिस समाज के लिए मैं यहां पर चुनकर आया हुं उसके लिए कुछ करूं लेकिन मैं क्या कुछ कर पा रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आप आरक्षण और संरक्षण की बात करते तो उसके पीछे जो मूल भावना है उसपर भी अमल होना चाहिए। इस पर बल देवें। जब तक उसपर अमल नहीं होगा तबतक काम नहीं चलेगा। अगर उसपर अमल नहीं करना है तो संरक्षण और आरक्षण देने का कोई लाभ नहीं होगा, फिर क्यों दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अब सरकार

***श्री उत्तमभाई पटेल** : अध्यक्ष महोदय, यह जो 45 वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ है, मैं उस का हार्दिक स्वागत करता हूं । करोड़ों आदिवासियों और हरिजनों में इस आरक्षण अवधि के समाप्त होने पर निराशा के बादल छाये हुए थे, लेकिन इस नयी सरकार ने सत्ता में आते ही यह महत्वपूर्ण संविधान संशोधक विधेयक पेश करके निराशा के बादल हटाने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं इस देश की प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी को धन्यवाद देता हूं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, आज भी इस देश के कई नागरिक अपने मूल अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है । आर्थिक, शैक्षणिक और राजकीय दृष्टि से हरिजन और आदिवासी काफी पिछड़े हुए हैं ।

आज भी गुजरात में धरमपुर जैसे जंगली क्षेत्र में आदिवासियों को पहनने के लिए केवल लंगोटी ही मिलती है ।

बंबई में आरे कालोनी में भैंसों को रखने के लिए जो सुविधा उपलब्ध है, उस से भी काफी बदतर हालत आदिवासियों और हरिजनों की है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक में आरक्षण के लिए जो व्यवस्था की गई है, उस पर पूरा पूरा अमल करने के लिए तथा उसे युद्धस्तर पर प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को चेतावनी दिया जाना आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य की भांति आज भी अन्य राज्य भी हमारे देश में हैं, जहां नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए बाकायदा स्थान सुरक्षित रखे तो जाते हैं, लेकिन प्रथम और दूसरे वर्ग की नौकरियों में आरक्षित स्थानों पर नियुक्तियां ही नहीं की जाती ।

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक करोड़ों आदिवासियों और हरिजनों में नयी चेतना पैदा करेगा ।

अन्त में मैं अपनी ओर से एक नम्र निवेदन करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा ।

इस संशोधन विधेयक में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष की ही रखी गई है । इस के बजाय, और अधिक—20 वर्ष की अवधि—बढ़ाने के लिए हमें सोचना जरूरी होगा । धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय : ज्ञानी जैल सिंह ।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट टाइम दे दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आपका जितना टाइम था उतना डबल डबल टाइम मैंने दे दिया...(**व्यवधान**) आप दूसरी रीडिंग पर बोल लेना...(**व्यवधान**)...ऐसा कीजिये आप दोनों दो दो मिनट बोल लीजिये ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय अध्यक्ष जी, लोक सभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लिये आरक्षण की अवधि बढ़ाई जा रही है और इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने विधेयक पेश किया है । इस सम्बन्ध में आप ने मुझे जो टाइम दिया है, उस के लिये मैं आप का हृदय से आभारी हूं ।

*गुजराती में दिये गये भाषण का हिन्दी रूपांतर ।

[श्री चंद्रपाल शैलानी]

पेश्तर इस के कि मैं इस पर अपने विचार प्रकट करूं, मैं आप का ध्यान अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के लिये सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है, उस की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 32 साल बाद भी आज सरकारी नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का कोटा पूरा नहीं हुआ है। इस का एक मात्र कारण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 है।

"संघ का राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्य-पटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।"

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 ही सारी बुराइयों की जड़ है। अगर इसको डिलिट कर दिया जाए, तो मेरा अपना विश्वास है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए जो नौकरियों में रिजर्वेशन है, वह पूरा हो जाएगा क्योंकि "मेन्टीनेन्स आफ एफीशियेन्सी आफ़ एडमिनिस्ट्रेशन" शब्द हमारे यहां के अच्छे अच्छे काबिल, सुयोग्य और क्षमताशील लोगों को सर्विस में नहीं आने देते और इस वजह से उन को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप काबिल नहीं है। इसलिए यह आर्टिकिल डिलीट होना चाहिए। अगर सर्विसेज में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन पूरा नहीं होगा, तो राजनीतिक रिजर्वेशन का कोई माने नहीं है, उस की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि इस रिजर्वेशन ने जो राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा किये हैं, देखने में यह आया है कि जितनी पालीटीकल पार्टीज है, उन में सवर्ण नेतृत्व है और वह नेतृत्व ही हावी है। जब भी टिकट देने का मसला आता है, तो सवर्ण हिन्दू नेतृत्व, इस बात पर जोर देता है कि जो हमारा बिस्तर ढोने वाले हैं, जी हजूरी करनेवाले और पैर छूने वाले हैं, उन को ही टिकट मिलते है और जो योग्य है, जो पढ़े-लिखे हैं जिन में राजनीतिक चेतना है, सूझबूझ है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते है, उन लोगों की उपेक्षा की जाती है। इस तरह से विधान सभाओं में और लोक सभा में जो रिजर्वेशन है, उस के कारण ऐसे लोग यहां पर आ जाते हैं जो केवल हाथ उठाने का काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्र पाल शैलानी : एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं आप का ध्यान कांस्टीचुयेन्ट एसेम्बली की प्रोसीडिंग्स की तरफ ले जाना चाहता हूं। बाबा साहब डा० आम्बेडकर ने जब शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पोलीटीकल रिजर्वेशन की बात की थी और उस के लिए उन्होंने एक बिल पेश किया था, तो उस वक्त सवर्ण हिन्दू नेतृत्व ने उस का विरोध किया था और यह कहा था कि 10 साल तो ज्यादा होते हैं, इस को पांच साल रखा जाए। मेरे जैसा इन्सान हैरान है, परेशान है कि दस दस साल कर के इस को बढ़ाया जा रहा है। पहले 10-10 साल करके 30 साल बढ़ाया और अब फिर 10 साल के लिए इस को बढ़ा रहे हैं। इस में इन का क्या मंशा है, इन की क्या इंटेंशन्न है, इन की क्या नीति है, यह मेरी समझ से बाहर है क्योंकि हमने यह देखा कि 30 साल के रिजर्वेशन्न के बाद भी जब श्री जगजीवन रामजी डा० संपूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण करने गये, तो उस के बाद उस को गंगा जल से धुलवाया गया।... **(व्यवधान)** ... मैं केवल यह कहना चाहता हूं, मेरी मुख्य बात रह गई है, कि मैं इस बिल का विरोध नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे विरोध करने से कुछ होगा नहीं। जरूरत इस बात की है कि अगर सरकार यह चाहती है कि रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, तो

इस सम्मानित सदन में मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं और मेरा सुझाव यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए एक सेपरेट एलेक्टोरेट होना चाहिए, प्रृथक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए और उन का एक प्रृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए, जिस से सही प्रतिनिधित्व उन का हो सके। अगर ऐसा किया जाएगा तो इस से इन लोगों का भला होगा।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि इन का प्रोपोर्शनल रेप्रेजन्टेशन होना चाहिए। जिस तरह से राज्य सभा में और विधान परिषदों में चुनाव होता है और, रेप्रेजेन्टेशन होता है, उसी तरह से इन के लिए भी होना चाहिए. . (**व्यवधान**) . .तादाद के बल पर आप मेरी आवाज़ को दवाना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप यह चाहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का सही रेप्रेजेन्टेशन हाऊस में हो, तो उन का प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन स्वागत करने के साथ साथ इस बात की तरफ़ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बिल के लाने के लिए ये इनडाइरेक्टली इस बात को एडमिट करते हैं कि पिछले 32, 33 सालों में इन लोगों की हालत में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ, चाहे हुकूमत कोई भी रही हो। मुझे इस सम्बन्ध में एक शेर याद आ रहा है :

"हर चारागर को चारागरी से गुरेज था
वरना हमारा मर्ज कोई लादवा न था"।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि 10 साल के बाद फिर यह बिल लाना न पड़े, उस के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सब से पहली बात तो यह है कि इन की हालत सुधारने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री हरिजनों व आदिवासियों के लिए अलग से बने, जो कि इनके सारे कामों को देखे।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि इन की आबादी 20 फ़ीसदी है, इसलिए बजट का 20 फ़ीसदी रुपया इन के लिए रिजर्व किया जाए और वह इन लोगों की भलाई के कामों में खर्च किया जाए क्योंकि जब तक इन की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सर्विसिज में जो रिजर्वेशन है, वह इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है। जो लोग इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उनके लिए कानून में कोई सजा नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कानून पास किया जाए और उसमें प्राविजन किया जाए कि जो इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उनको सजा मिलेगी। कई असेम्बलीज ने ऐसा कानून पास किया है। वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा सरकारें जब ऐसा कानून पास कर सकती हैं तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं पास कर सकती है? इसलिए इस तरह का कानून पास किया जाए।

चौथा सुझाव यह है कि इस बिल की रेटिफिकेशन स्टेट्स से होनी चाहिए और अगले सेसन से पहले होनी चाहिए। यह बेहतर होगा। इस बात की बड़ी चर्चा है, कहीं किसी गलतफहमी के कारण ऐसा न हो कि इस बिल को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर रिजेक्ट करवा दिया जाए। मेहरबानी करके यह जरूर कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, दो काम और रह गये हैं। एक तो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन का और दूसरा पिछली सरकार ने जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कमीशन बनाया था

[श्री सूरज भान]
उसको कांस्टीच्यूशनल स्टेट्स देने का। इस कमीशन को कास्टीच्यूशनल स्टेट्स दे दीजिए यह भी मेरा सुझाव है।

आखिर में, मैं कहना चाहता हूं की कांग्रेस सरकार ने भी 1968 में रिविजन आफ दी लिस्ट आफ शेड्यूल्ड कास्टस, शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए एक कमेटी विठायी थी और जनता सरकार ने भी वनायी थी जो कि पार्लियामेंट के टूटने के कारण रिवाइज नहीं हो पाई है। एक करोड़ ऐसे हरिजन है जो लिस्ट में नहीं है। वे लोग भी शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल हो जाए, ऐसा इंतजाम और कर दीजिए।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : माननीय सभापति महोदय, इस बिल को पेश करते समय, मुझे खुशी है कि, अपोजीशन की तरफ से यह सूझाव आया कि इस बिल को वगैर डिस्कशन के पास कर देना चाहिए। मै इस बात के लिए भी मशकुर हूं की ज्यादातर मेम्बर साहिवान ने सरकार को इस विल के लिए बधाई दी है और इस विल को खुशी से वेलकम किया है। जहां मेम्बर साहिवान ने इसे वेलकम किया. वहां कुछ सुझाव भी दिये जिनमें से कुछ सुझाव बहुत कीमती हैं। सुझाव जो डिवेट की कापी होगी, उस में अपनी टेविल पल रखूंगा और देखूंगा कि कहां तक इस में कमी रह गयी है जिससे कि उसे दूर कर सकू और मेम्बर साहिवान के जो विचार हैं उनको इम्लीमेंट करने की भी कोशिश करूं।

इस विल पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नही है मगर दो-तीन बातें जो मेंबर साहिबान की तरफ से कही गई है उनका जवाव देना बहुत जरूरी मालूम होता है। जहां इस बिल को दोस्तों ने वेलकम किया वहां दोस्तों ने यह भी कहा की तीस साल तक जव हमारी सरकार शेडयुल्ड कास्ट्स और शेडयुल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ नहीं कर सकी तो वह आइन्दा कैसे करेगी। यह भी कहा गया कि इसके लिए दस साल का वक्त बढ़ाने का मतलब यहीं अडमिट करना है कि इनके लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। आखिर में हमारे दोस्त ने एक शेर भी पढ़ा और बताया कि इस अर्से में भी कुछ होने वाला नहीं है, इसका कोई फायदा उनको नहीं पहुंचेगा। उस तरफ की बेंचों पर बैठने वाले मेरे दोस्त जो ढाई साल तक इस तरफ बैठे रहे, आज उनकी बात को सुन कर आश्चर्य होता है। वे ढाई साल तक इधर की बैंचों पर बैठ कर मुल्क पर राज करते रहे और आज इस तरह की बातें कर रहे हैं।

मैं उन मेम्बर साहिवान से सहमत हूं जिन्होंने यह कहा कि उस दौरान हरिजनों को जिंदा जलाया गया, उनकी वहू-बेटियों की इज्जत लूटी गयी, उनको उनके मकानों से निकाल दिया गया।... (व्यवधान)...मैं इस वात से भी सहमत हूं कि उस वक्त में स्वर्ण जाति के लोगों ने उनके साथ वहुत मजाक किया, उनकी रिजर्वेशन का मजाक उड़ाते हुए जितना जुल्म हो सकता था वह किया। लेकिन मैं आनरेवल मेम्वर्ज़ से अदब से कहना चाहता हूं कि आप गौर से देख लें।

फारश्तो उसको सव वता देना गुनाह मेरा
मगर इतना भी कह देना कि ये बातें सव जवानी की थी।

जितना कुछ भी हुआ हरिजनों के साथ वह उस ज़माने में हुआ जिस जमाने में हम लोग यहां नहीं थे। (इंटरप्शंज)

श्री एडुआरडो फलीरो (मोरमुगाओ) : बाबू जगजीवन राम ने स्वीकार किया है कि जनता पार्टी शासन के दौरान हरिजनों पर अत्याचार वढ़े हैं।

श्री आर० एल० भाटिया (अमृतसर) : इससे आपके गुनाह नहीं छिपते।

श्री ज़ैल सिंह : मैं आपकी मार्फत अपोजीशन ग्रुप्स के लीडर साहिबान से दरख्वास्त करूंगा कि वे अपने मैम्बरों पर कंट्रोल करें। अगर यही रास्ता अखत्यार किया गया तो हाउस की डिगनिटी में फर्क पड़ेगा और किसी के विचार जो हैं वे सामने नहीं आ सकेंगे।

मैं विरोधी दलों के मैम्बरों का बहुत सत्कार करता हूं और हमेशा से सत्कार करने वाला हूं। मैं डैमोक्रेसी में विश्वास रखता हूं। अभी एक मैम्बर ने जो विरोधी दल के बैंचों पर बैठे हुए हैं, कहा कि मैं इस बिल का विरोध नहीं करता इसलिए कि मेरे विरोध करने से कुछ बनता नहीं है। इससे यह जाहिर होता है कि वह विरोध तो करना चाहते थे लेकिन उन्होंने जान लिया कि यह विल तो पास हो ही जाएगा, इसलिए इसका उन्हें विरोध नहीं करना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह शंका प्रकट की है कि इस रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिये, इस रिजर्वेशन से कुछ होता नहीं है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि तीस साल के अर्से में स्वर्गवासी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और आज की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन सब चीजों को इम्प्लेमेंट करने के लिए ही इस सभा में आ कर इससे यह विधान बनवाया था। डा० अम्बेडकर इसके कर्ता धर्ता थे। उस ज़माने में रिजर्वेशन का दस साल के लिए प्रावधान किया गया था और इस खयाल से हुआ था कि हम लोग तेजी के साथ इन लोगों को अपने साथ मिला सकें। दस साल के लिए इसको बढ़ाया गया। यह दस साल के लिए पंडित जी के जमाने में इसको वढ़ाया गया। और दस साल के लिए इंदिरा गांधी जी के ज़माने में बढ़ाया गया। अब जो दस साल के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है यह फिर श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में ही वढ़ाया जा रहा है।.. (इंटरप्शंज़) मैं अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि वे बिल्कुल खामोश रहें, कुछ न कहें। बड़े दिल और छोटे दिल का सबूत उस वक्त मिलता है जब आदमी मुसीबत में होता है या ताकत में होता है। आप ताकत में रह चुके हैं। अब अपोजीशन में वैठे तो बड़ा दिल बना कर बैठें।

स्पीकर साहब, मैं आपको बताऊं हमको इस बात की खुशी है कि जब आप ट्रेज़री बैंचेज़ में रहे हम समझते थे कि वह एक डेमोक्रेसी की करामत थी। और अब भी डेमोक्रेसी की करामत है कि उन्होंने आपका इंतजार नहीं किया और पाच साल भी आपको नहीं दिए और उस तरफ बैठा दियां।..(व्यवधान)..

श्री बापूसाहेब परुलेकर (रत्नागिरी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह एक व्यवस्था का प्रश्न रखने को खड़े हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : उन्हें नियम का उल्लेख करने दें।

श्री बापूसाहेब परुलेकर : मैं नियम का उद्धरण करूंगा। मेरा उनसे निवेदन है कि अध्यक्ष का कार्य हाथ में न लें। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कई बातें उठाई गई... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम के अनुसार आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री बापूसाहेब परुलेकर : वाद-विवाद में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर मंत्री महोदय को देना होता है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। यह नियम विरुद्ध है।

श्री ज़ैल सिंह : स्पीकर साहब, मैं बड़े दिल की बात करता हूं और विरोधी दल के नेताओं का सत्कार करता हूं। लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उनका जिक्र न करूं तो यह अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तो उनके शब्दों के मुताबिक ही कहा है। आपको बहुत बड़ा दिल दिखाना चाहिये। वहां बैठकर हमने भी बहुत सुनी है।

[श्री ज़ैल सिंह]

इस बिल का सब तरफ़ से स्वागत हुआ। मगर एक विरोधी दल के नेता ने कहा कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं विरोध इसलिये नहीं करता क्योंकि मेरे विरोध करने से कुछ बनता नहीं। इस बात से उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि वे बहुत देर तक मैजारिटी में और हुकूमत में रहे, लेकिन उन्होंने इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया। फिर लोक दल की सरकार बनी और वह पार्लियामेंट में ही नहीं आई।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अच्छे कार्य करने के लिए हम उन्हें वहां चाहते हैं।

श्री ज़ैल सिंह : आनरेबल मेम्बर ने जो शब्द कहे हैं, मैं जानता हूं कि वह किस ख़याल से कहे हैं। उन्होंने परफ़ार्मेन्स की बात कही है। मैं उनकी परफ़ार्मेन्स को भी अच्छी तरह से जानता हूं। यह भी मैं जानता हूं कि जब उन्होंने पायंट आफ़ आर्डर उठाना होता है, तो वह डिसआर्डर पैदा करने के लिए उठाते हैं।

लफ्ज़ों की जगलरी से कुछ नहीं बनता है। हम एक सही बिल पास कर रहे हैं, जिसको यहां पर सब लोगों ने वैलकम किया है। मैं कुछ लोगों के संदेह को दूर करने के लिए ये बातें कह रहा हूं। मेरे ख्याल से यह कहना ग़लतफहमी है कि तीस सालों में कुछ नहीं हुआ है। बहुत कुछ हुआ है। भारत-वर्ष में सैंट्रल गवर्नमेंट हो, प्रांतीय सरकार हो या यूनियन टेरिटरी की सरकार हो, रिज़र्वेशन की वजह से कोई भी सरकार नहीं बन सकती है, अगर वहां पर हाउस में हरिजनों और आदिम जातियों को शामिल नहीं किया जाता है। लोक सभा में शेड्यूल्ड कास्ट्स के 79 मेम्बर्ज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के 40 मेम्बर्ज़ हैं, इसी तरह स्टेट एसेम्बलीज़ में शेड्यूल्ड कास्ट्स के 556 मेम्बर्ज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के 303 मेम्बर्ज शामिल होते हैं, तभी ये हाउस मुकम्मल होते हैं, वर्ना नहीं। बहुत सी आर्थिक समस्यायें हैं, जिनके बारे में राजनैतिक सत्ता मिलने के कारण शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की सहायता हुई है। मगर यह काम बहुत ज्यादा है। हम इसको पूरा करने की कोशिश करते रहे हैं और करना चाहते हैं।

कुछ मेम्बर साहबान ने ज़िक्र किया है कि हरिजनों से ज़मीनें छीनी गई। किस वक्त छीनी गई? मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 20-पायंट प्रोग्राम लागू हुआ, तो हिन्दुस्तान के उन तमाम खेत मज़दूरों को, एग्रीकल्चरल लेबर को, जिनके पास घर नहीं था, मकान बनाने के लिए चार चार मरले का प्लाट एलाट किया गया। इसके अलावा बांडिड लेबर को खत्म किया गया। सरकार इन बातों पर ध्यान दे रही थी, लेकिन बीच में कुछ विघ्न पड़ा और उसकी वजह से आज फिर हमको दस साल का वक्त और बढ़ाना पड़ा है, ताकि हम इन जातियों के सम्मान, इज्ज़त, आर्थिक दशा और राजनैतिक दशा के मामले में दूसरों के बराबर ले आये।

कुछ दोस्तों का यह खयाल है कि दस साल और बढ़ाने से कुछ नहीं बनेगा, फिर दस साल बढ़ाना पड़ेगा। इस बात में काफ़ी वज़न है। हमने इस बात को देखना है। लेकिन अगर आज ही हम इस बात की चिन्ता, फिक्र, करने लगेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए यह कोशिश करनी चाहिए कि सरकार दस साल में यह काम करे, और अगर फिर जरूरत पड़ती है, तो इस मुद्दत को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि हम इस प्राविज़न को खत्म कर दें।

एक मेम्बर साहब ने कहा है कि रिज़र्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है, इसको खत्म कर देना चाहिए।... (व्यवधान) मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ए० आई० ए० डी० एम० के०,

डी० एम० के० और जनता पार्टी के बहुत से दोस्तों ने इसको वैलकम किया है। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है। एक दोस्त ने विरोध किया था, इसलिए मुझे कुछ कहना पड़ा है।

एक आनरेबल मेम्बर ने यह कहा था कि ऐंग्लो इंडियन को नामजदगी दी जाती है उस की अब जरूरत नहीं रही। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब तो यह बात ठीक थी, अब ठीक नहीं है। लेकिन मैं इस के ऊपर भी यह कहना चाहता हूं कि ऐंग्लो इंडियन बहुत कम गिनती में हैं, उन की संख्या बहुत थोड़ी है और वह भी हमारी सोसाइटी के अंग हैं। हमारी भारत सरकार की नीति और हमारे नेता की नीति यह है कि हिन्दुस्तान में किसी भी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए और कोई भी यह महसूस न करे कि उस का ख्याल नहीं रखा गया है।

मेम्बरों ने यह बात बिलकुल दुरुस्त कही है कि बिलो पावर्टी लाइन जो लोग हैं उन में ज्यादातर हरिजन और आदिवासी आते हैं। इसलिए भी यह जरूरी है कि यह पोलिटिकल रिजर्वेशन हो ताकि वह सर्विसेज़ में भी रिजर्वेशन ले सकें और वह इस बात का ध्यान रखें कि आर्थिक दृष्टि से जो काम सरकार करती है उस का फायदा सिर्फ अर्बन क्लास को ही नहीं होता है बल्कि इन को भी होता है। जो लोग यह कहते हैं कि रिजर्वेशन से कुछ फायदा नहीं हुआ उन से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तम जाति के कमलापति जी जहां बैठते हैं, वहां पर बाबू जगजीवन राम जी उन से आगे बैठते थे। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की देन है और इस को इम्प्लीमेंट करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी हैं।

मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं मैम्बर साहबान का फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत वैल्यूएबल सजेश्चंस दिए हैं, अपनी राय दी है और इस बिल को वेलकम किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं विधेयक पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं क्योंकि यह संवैधानिक संशोधन है इसलिए मतदान मत-विभाजन द्वारा होगा। अभी तक सदस्यों को डिवीजन संख्या आवंटित नहीं किये गये, इसलिए स्वचालित मत रिकार्डिंग मशीन द्वारा मत लेना संभव नहीं है। अब मतदान पर्ची पद्धति द्वारा किया जायेगा। सदस्यों को, उनके स्थान पर 'हां' या 'न' की पर्चियां हिन्दी और अंग्रेजी में दे दी जायेंगी, 'हां' वाली पर्ची एक और हरे रंग में छपी है तथा 'न' वाली पर्ची उलटी तर्फ लाल रंग में छपी है। सदस्य कृपया इन पर्चियों पर अपने हस्ताक्षर करें, नाम, निर्वाचित क्षेत्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा तिथि पर्ची में दिये गये स्थान पर साफ साफ लिखें। जो सदस्य तटस्त रहना चाहें वे 'तटस्थता' पर्ची ले सकते हैं जोकि पीले रंग में है। जैसे ही सदस्य अपनी मत पर्ची भर लेता है वह अपनी पर्ची मतगणना लिपिक को दे दें जोकि उसे सदस्यों के स्थान से लेकर सभा पटल अधिकारियों को दे देगा।

अब दीर्घाएं खाली कर दी जायें।

प्रश्न यह है :

'कि संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार किया जाय।"

(लोकसभा में मत-विभजान हुआ)

पक्ष में—416   विपक्ष में—कोई नहीं

मत विभाजन संख्या 15.27 बजे

पक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश चन्द्र
अन्सारी, श्री जियाउर रहमान
अन्सारी, श्री शफीकुल्लाह

पक्ष में

अनवर अहमद, श्री
अनवर, श्री शाह तारिक
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

पक्ष में

अप्पालानायडु, श्री एम० आर० ए० एस०
अब्बासी, श्री काजी जलील
अवेदिन, श्री जायनल
अर्जुनन, श्री के०
अराक्कल, श्री एक्सवेयर
अरुणाचलम, श्री एम०
अहमद, बैरिस्टर गुलशेर
अहमद, श्री मोहम्मद असरार
अहमद, श्री मो० कमालुदीन
आचार्य, श्री भगवान देव
आजम, श्री गुंफरान
आजमी, श्री ए० यू०
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आठरे, श्री चन्द्रभान बालाजी
आनन्दराव, श्रीमती बी० राधाबाई
आनन्दसिंह, श्री, उर्फ अन्नुभय्या
इन्द्रा कुमारी, श्रीमती
इम्बीची बावा, श्री ई० के०
इमाम, श्री अजीज
इरा, श्री मोहन, उर्फ राममोहन आर०
ईरा, श्री अनबारासू
उरांव, श्री कार्तिक
एंथनी, श्री फ्रैंक
एक्का, श्री क्रूस्टोफेर
कंडास्वामी, श्री एम०
कर्णसिंह, डा०
कमलनाथ, श्री
कमलापति, श्री
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कल्पनाथ, श्री
कलानिधि, श्री ए०
कश्यप, श्री जयपाल सिंह
कादरी, श्री एस० टी०
कामावशय्याह, श्री ओड्डोवारापु
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कुंवर राम, श्री
कुन्दनथाई रामलिंगम, श्री एन०

पक्ष में

कुन्हम्बू, श्री के०
कुमार, श्री गिरि सुधीर
कुमारी, श्रीमती कमला
कुलन्दईवेलू, श्री वी०
के० एस० नारायण, श्री
कैयूर भूषण मथुराप्रसाद, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कोचक, श्री गुलाम रसूल
कोडियन, श्री पी० के०
कोम्मुस, श्री अप्पालास्वामी
कौर, श्रीमती गुरबिन्द्र
कौर, श्रीमती सुखबंस
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री गय्यूर अली
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मलिक मु० मुशीर अ०
गधावी, श्री भेरावदन खेतदांजी
गमित, श्री छोतुभाई देवजीभाई
गरचा, श्री देविन्द्र सिंह
गहलोत, श्री अशोक
गांधी, श्रीमती इंदिरा
गांधी, श्री संजय
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव नानासाहब
गायकवाड़, श्री रणजीतसिंह जी प्रतापसिंह जी
गिरधारी लाल, श्री
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
गोहिल, श्री गोगाभाई भावुभाई
गौजगिन, श्री
गौडर, श्री सेनापति ए०
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे
घोष, श्री निरेन
घोष, श्रीमती विभा गोस्वामी
चक्रधारी, श्री
चक्रवर्ती, श्री सत्यसपन

पक्ष में

चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रसेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्रसेखर मूर्थी, श्री एम० वी०
चरणजित सिह श्री
चव्हाण, श्री यशवंतराव बलवंतराव
चव्हाण, श्री शंकरराव भाऊराव
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोड़ाभाई
चिगवांग, कोंयक, श्री
चिरंजीलाल शर्मा, श्री
चैन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी
चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बाराव
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
चौधरी, श्री मोतीभाई रणछोड़भाई
चौधरी, सुन्दरसिंह
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौधरी, श्री त्रिदिब
चौबे, श्री नारायण
जगजीवन राम, श्री
जगन्नाथ, श्री
जफ्फर शरीफ, श्री सी० के०
जयनारायण, श्री
जलगाम, श्री कोंडाला राव
जाड्वा, श्रीमती राण सरदेसाई संयोगिता
जेठमलानी, श्रीराम
जेना, श्री चिंतामणि
जैन, श्री भीकूराम
जैमुल बशर, श्री
जैल सिंह, श्री
जोसेफ, श्री जार्ज
झा, श्री कमलनाथ
झारखंडे, श्री
झाला, श्री दिग्विजय सिंह प्रतापसिंह
टाईटलर, श्री जगदीश
टिरकी, श्री पियूस

पक्ष में

टुडू, श्री मनमोहन
डागा, श्री वकील मूलचन्द
डेन्निस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
तिवारी, श्री के० के०
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि
तिवारी, श्री नारायण दत्त
तेइयेंग, श्री सावेगं
थाझाई, श्री करूणानिधि
थुंगोन, श्री प्रेम खाण्डु
थुम्मालापल्ली, श्री दामोदर रेड्डी
दंडवते, श्रीमती प्रमिला मधु
दंडवते, प्रो० मधु
दण्डपाणि, श्री सी० टी०
दाभी, श्री अजीतसिंह फूलसिंहजी
दामोर, श्री सोमजीभाई पंजाभाई
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री रेनुपाडा
दुबे, श्री बिन्देश्वरी
दुबे, श्री रामनाथ
देव, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री बी०
देसाई, श्री बी० बी०
दोराई, सेबस्तोयान, श्री एस० ए०
घोरपाड़े, श्री आर० वाई०
नय्यर, श्री बी० के०
नरहर, श्री गाडगिल विठ्ठल
नागरत्नम, श्री टी०
नाडार, श्री ए० नील लोहिया दसन
नाथूराम, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नायक, श्री मृत्युन्जय
नायक, श्री सुरूपसिंह एच०
नायडू, श्री पी० राजगोपाल
नारायण चन्द, श्री
नाहटा, श्री भंवरलाल राजमल
निखरा, श्री रामेश्वर
निर्मला कुमारी, श्रीमती

पक्ष में

नेगी, श्री त्रेपन सिंह
नेताम, श्री अरविन्द
पटनायक, श्री जानकी बल्लव
पट्टाभी रामाराव, श्री एस० वी० पी०
पट्टुस्वामी, श्री डी०
पटेल, श्री अमरील मोहनलाल
पटेल, श्री अहमदभाई मोहम्मदभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई हरजीभाई
पटेल, श्री छगनभाई देवाभाई
पटेल, श्री शांतुभाई चुनीभाई
परमार, श्री हीरालाल रणछोड़दास
परसराम रामप्रसाद, श्री
परूलेकर, श्री बापूसाहेब
पलानीअप्पन, श्री सी०
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद
पाइलेट, श्री राजेश
पाटिल, श्री बसन्तराव बंदुजी
पाटिल, श्री विजयकुमार नवल
पाटिल, श्री शिवराज विश्वनाथ
पाटिल, श्री शंकरराव बाजीराम
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाठक, श्री नन्द
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पांडेय, श्री केदार
पाणिका, श्री राम प्यारे
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पामुलापटी, श्री अंकिनीडू प्रसाद राव
पार्थसार्थी, श्री पी०
पारधी, श्री केशोराव आत्मारामजी
पालस, श्री बर्मन
पासवान, श्री रामविलास
पुजारी, श्री जनार्दन
पुत्ते गोवडा, श्री डी० एम०
पुली, श्री वेंकट रेड्डी
पुल्लैय्या, श्री दरूर
प्रताप भानू कृष्णगोपाल, श्री

पक्ष में

प्रधान, श्री अमरराय
प्रधानी, श्री खगपति
प्रभु, श्री आर०
प्रसन्नकुमार, श्री एस० एन०
प्रसाद, श्री महावीर
प्रसाद, कु० जितेन्द्र
पेंचालय्याह, श्री पास्पला
पोटडुखे, श्री शांताराम
पोटिया, श्री माहाला रामजी
फर्नांडिस, श्री ओस्कर
फर्नांडिस, श्री जार्ज
फैलीरो, श्री एडुआर्डो मारतिन्हो
बनतवाला, श्री जी० एम०
बन्सीलाल, श्री
बरवे, श्री जतीराम चेतराम
बहादुर, राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र
बरोड़, श्री मगनभाई
बहेरा, श्री राम बिहारी
बसु, श्री चित्त
बसु, श्री ज्योतिर्मय
बसुदेव, श्री आचार्य
बहादुर, श्री हरिकेश
बापूराव, श्री मुत्तेबार
बालन, श्री ए० के०
बालनन्दन, श्री
बालेश्वर राम, श्री
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह, श्री
बूटा सिह, श्री
बैठा, श्री डुमरलाल
बैरवा, श्री बनवारी लाल
बैरो, श्री ए० ई० टी०
बोस, श्री अल्लुरी सुभाषचन्द्र
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपालराव
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री बलिराम
भगवान, श्री थोरट संदीपन

पक्ष में

भट्टाचार्य, श्री सुशील कुमार
भीखा भाई, श्री
भूरिया, श्री दिलीपसिंह
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोये, रेशमा मोतीराम, श्री
भोले, आर० आर०, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाणा, श्री नरसिंहभाई करसनभाई
मनफूल सिंह, श्री
मतिराम, श्री हंसदा
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मनी, श्री के० वी० एस०
मल्लाना, श्री के०
मल्लिकार्जुन, श्री
मसूद, श्री रशीद
महराउल, श्री जयदीपसिंहजी सुभगसिंहजी
महाजन, श्री यादव शिवराम
महाजन, श्री विक्रम चन्द
महाता, श्री चित्तरंजन
म्हालगी, श्री रामचन्द्र काशीनाथ
महेन्द्र प्रसाद, श्री
माल्लु, श्री अनन्थारामुलु
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मूर्थी, श्री कुसुमा कृष्णा
मुरूगेयान, श्री
मुहम्मद इस्माइल, श्री
मेहता, श्री अजित कुमार
मेहता, श्री महिपात्रे मूलशंकर
मैत्रा, श्री सुनील
मोतीलाल सिंह, श्री
मोरे, श्री रामकृष्ण सदाशिव
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन्ती, श्री ब्रजमोहन

पक्ष में

मोहिते, श्री यशवन्तराव जिजावा
मोहेन्द्रा, श्री नगनगोम
याजदानी, डा० गोलाम
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री रामसिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री सुभाष
युसुफ, श्री मु०
येल्लैयाहा, श्री नन्दी
रंगा, श्री एन० जी०
रवाणी, श्री नवीनचन्द्र परमानन्ददास
रहीम, श्री ए० ए०
राउत, श्री भोला
राकेश, श्री रामनिहार
राजदा, श्री रतनसिंह गोकुलदास
राजन, श्री ए० के०
राजशंकर मूर्ति, श्री एम०
राजामाल्लु, श्री के०
राजू, श्री पुसापति विजयरागा गजापथी
राठवा, श्री अमरसिंहभाई वीरयाभाई
राठोड़, श्री उत्तमराव वलीरामजी
रामकुमार, श्री
राम, श्री रामस्वरूप
रामामूर्ति, श्री के०
रामुलु, श्री एच० जी०
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रामन्ना
राय, श्री नारायण
राय, श्री सरदीश
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री जगनाथ आर०
राव, श्री मेदुरी नागेस्वर
राह्री, श्री रामलाल
रियान, श्री वाजुवन
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

पक्ष में

रोथुआमा, डा० आर०
लकप्पा, श्री के०
लस्कर, श्री निहार रंजन
लक्ष्मनन, श्री जी०
लारेंस, श्री एम० एम०
लाल, श्री रघुनन्दन
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
वाघ, प्रताप देवराम, श्री
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद
वर्मा, श्री जयराम
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वायरल, मधुसूदन आत्माराम, श्री
वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र, श्री
वासप्पा, श्री सिदनाल शनमुखप्पा
विखे, श्री एकनाथराव विठलराव
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विरदा राम, श्री
विरधी चन्द, श्री
विश्वास, श्री अजय
व्यारीचेरला, श्री किशोरचन्द्र सूर्यनारायण
वेंकटरामन, श्री आर०
वेलू, श्री ए० एम०
शमन्ना, श्री टी० आर०
शमीनुद्दीन, श्री
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्रीनन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री मुन्दर
शर्मा, श्री विश्वनाथ
शर्मा, डा० शंकरदयाल
शाक्य, श्री रार्यसिंह
शायवार, श्री नाथूराम
शास्त्री, श्री धर्मदास
शास्त्री, श्री रामावतार
शास्त्री, श्री हरी किशन
शिंगदा, श्री डी० वी०
शिवप्रकाशम, श्री डी० एस० ए०

पक्ष में

शिवशंकर, श्री पी०
शैलानी, श्री चन्दपाल
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
संगमा, श्री पुरनो ए०
संजीवीराव, श्री एम० एस०
सईद, श्री पी० एम०
सज्जन कुमार, श्री
सत्यगोपाल, श्री मिश्रा
सपैरो, जनरल रजिन्दर सिंह
समद, श्री अब्दुल
सलीम, श्री काजी
साठे, श्री वसंतराव
सावंत, श्री त्र्यम्बकराव मारोतराव
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री नारायण
सिंगारावाडीवल, श्री एस०
सिद्रमप्पा, श्री कुचल गंगाधर
सिन्हा, श्री धर्मवीर
सिंह, कु० पुष्पा देवी
सिंह, प्रो० सत्यदेव
सिंह, श्री अजीत प्रताप
सिंह, श्री अमरोन्द्र
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण
सिंह, श्री गिरिराज
सिंह, श्री गुरचरण
सिंह, श्री चन्द्रपाल
सिंह, श्री चन्द्रशेखर
सिंह, श्री जयपाल
सिंह, श्री डूंगर
सिंह, श्री तपेश्वर
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, श्री धर्मगज
सिंह, श्री निहाल चंण्ढ़ौली
सिंह, श्री फतेह भानु
सिंह, श्री वी० डी०
सिंह, श्री रणजीत

पक्ष में

सिंह, श्री रणवीर

सिंह, श्री राजेश कुमार

सिंह, श्री विजेन्द्रपाल

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह, श्री शिवकुमार नवलसिंह

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर

सिंह, श्री सतीश प्रसाद

सिंह, श्री सूर्यनारायण

सिंह, श्री हरीश चन्द्र

सिंह, श्री हाकम

सिंह, श्रीमती राम दुलारी

सुखाड़िया, श्री मोहनलाल

सुन्दरराजन, श्री एन०

सुब्बैया, श्री पेन्देकांति वेंकट

सुभा, श्री पहाल मान

सुम्ब्रूई, श्री बागुन

पक्ष में

सूरजभान, श्री

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेठी, श्री प्रकाशचन्द

सेलवाराजू, श्री एन० वी० ई०

सैयद, श्री मसुदल ह्योस्पेस

सोनू, श्री छोटेलाल

सोलंकी, श्री नटवरसिंहजी केसरसिंहजी

सोलंकी, श्री बाबूलाल

हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र

हुल्ला, श्री नरसिंह

हुसैन, श्री अशफाक

हुसैन, श्री तय्यब

होरो, श्री निरल एनेम

क्षीरसागर केशरबाई सोनाजीराव, श्रीमती उर्फ काकू

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है; पक्ष में 416, विपक्ष में कोई नहीं। 'हां' वाले जीत गये। प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2

अब हम खण्ड 2 को लेते हैं। इसमें कुछ संशोधन हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8 में,—

'चालीस वर्ष' के स्थान पर 'साठ वर्ष' प्रतिस्थापित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री राम लाल राही अपना संशोधन रख रहे हैं।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : मैं उसे नहीं रख रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा। क्या आप अपना संशोधन रख रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन नहीं रख रहा। परन्तु मैं एक मिनट लेना चाहता हूं।

श्री राम विलास पासवान : अभी दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने जोर जोर से कहा कि हरिजनों का रिजर्वेशन होना चाहिये। यह भी कहा कि हरिजनों के हित के जितने काम होने चाहिये नहीं हो सके। आप चाहे सरकारी नौकरियों के आंकड़ों को देख ले या हरिजनों आदि पर होने वाले अत्याचारों को देख लें इन में कमी नहीं आ रही है, ये बढ़ रहे हैं और नौकरियों में भी इनके अधिकार इनको नहीं मिल सके हैं। तमाम सुझाव दिए जा रहे हैं। इनको जीव जन्तु ही समझा जाता है। चारो शंकराचार्य पुरी में बैठे हुए हैं। वहां से वे फरमान जारी करते हैं कि अछूत पेट से ही अछूत के रूप पैदा हुआ है और उस पर अमल होता है। श्री जगजीवन राम से बढ़ कर कोई हरिजनों

[श्री राम विलास पासवान]

का बड़ा नेता नहीं हो सकता है। उनके हाथों डा० सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का जब अनावरण किया जाता है तो उस मूर्ति को फिर से धोया जाता है और यह काम उन लोगों के द्वारा किया गया था जो उधर बैठे हुए हैं (इंटरप्शन)

एक माननीय सदस्य : आप के राज्य में यह सब हुआ था ।

श्री राम विलास पासवान : हम लोक चाहे जनता पार्टी में थे या लोक दल में आप प्रोसीडिंग्ज उठा कर देख लें, जब कभी हरिजनों, अनुसूचित जातियों या जनजातियों का मामला आया साठे साहब तथा दूसरे मित्र जानते हैं कि हम लोगों ने एक स्वर से उसका समर्थन किया था, हम लोगों ने किसी से कम आवाज़ नहीं उठाई थी । इस बात का हमें गर्व है। हम चाहते हैं कि हरिजन, आदिवासी, जन जाति आदि के जितने भी माननीय सदस्य हैं वे चाहे किसी भी ओर बैठे हों, सभी इन जातियों के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हों। हम को बांडिड लेबर, बंधवा मजदूर नहीं बनाना चाहिये। मैंने जो संशोधन दिया है मैं चाहता हूं कि विरोधी दल के तथा सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य उसका एक स्वर से समर्थन करें। मैंने अपने संशोधन में कहा है कि सरकार जो दस साल के लिए इस रिजर्वेशन को बढ़ा रही है इसको बढ़ा कर के आपको तीस साल कर देना चाहिये। यह संशोधन मैंने इसलिए दिया है ताकि कहीं कल को आपकी इंटेंशन, आपका मोटिव गलत न हो जाए, आपकी नीयत गलत न हो जाए। मैं चाहता हूं कि सारा सदन एक स्वर से इसको पास करे ।

श्री जैल सिंह : आनरेबल मैम्बर के सुझाव को मैंने बड़े गौर से देखा है। लेकिन इसको मैं मंजूर नहीं कर सकता क्योंकि इसको मंजूर करने से ढिलाई पैदा हो जाएगी। काम में सुस्ती रहेगी। हमको दस साल इसलिए रखना है कि हम उनको दस साल के अन्दर अपने बराबर लाना चाहते हैं, दूसरी जातियों के बराबर लाना चाहते हैं। और वे नहीं आते है तो और समय भी दिया जा सकता है, कोई इसमें बाधा नहीं है। इस अवधि को बांधा नहीं जा सकता है। लेकिन आज हमको सिर्फ दस साल ही इस अवधि को बढ़ाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार आप इस पर आग्रह करना चाहते हैं।

श्री राम विलाल पालवान : जी हाँ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राम विलास पासवान द्वारा खण्ड में संशोधन संख्या एक को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 2 पर मतदान किया जाना है । यदि सभा सहमत हो तो मैं खण्ड एक और दो को एकसाथ मतदान के लिए रखता हूँ क्यों कि खण्ड एक में कोई संशोधन नहीं है।

इससे पूर्व कि खण्ड एक और दो को मतदान के लिए रखा जाये, मैं करना चाहता हूँ कि मतदान मत विभाजन द्वारा होगा क्योंकि यह संवैधानिक संशोधन है। दीर्घाएं खाली कर दी जायें।

अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं ।

प्रश्न यह है :

'कि खण्ड दो और एक विधेयक का अंग बनें ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है : पक्ष में 421, विपक्ष में कोई नहीं।

मत विभाजन संख्या 2　16.00 बजे

पक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश चन्द्र
अन्सारी, श्री जियाउर रहमान
अन्सारी, श्री शफीकुल्लाह
अनवर अहमद, श्री
अनवर, श्री शाह तारिक
अनूरागो, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडु, श्री एम० आर० ए० एस०
अव्वासी, श्री काजी जलील
अवेदिन, श्री जायनल
अर्जुनन, श्री के०
अराक्लक, श्री एक्सवेयर
अरुणाचलन, श्री एम०
अहमद, बेरिस्टर गुलशेर
अहमद, श्री मोहम्मद असरार
अहमद, श्री मो० कमालुद्दीन
.आचार्य, श्री भगवान देव.
आखम, श्री गुंफरान
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आठरे, श्री चंद्रमान बालाजी
आनंदराव, श्रीमती बी० राधाबाई
आनंदसिंह, श्री उर्फ अन्नुभय्या
इम्बीची बावा, श्री ई० के०
इमाम, श्री अजीज
इरा, श्री मोहन, उर्फ राममोहन आर०
इरा, श्री अनबारासू
उरांव, श्री कार्तिक
एंथनी, श्री फ्रैंक
एक्का, श्री क्रुष्टोफेर
ओडेदरा, श्री भालदेवजी मंडलीकजी
कंडास्वामी, श्री एम०
कर्णसिंह, डा०
कमलनाथ, श्री
कमलापति, श्री
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कल्पनाथ, श्री
कलानिधि, श्री ए०
कश्यप, श्री जयपाल सिंह

पक्ष में

कादरी, श्री एस० टी०
कामावश्ययाह, श्री ओड्डेवारापु
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कंवर राम, श्री
कुन्दनथाई रामलिंगम, श्री एन०
कुन्हम्बु, श्री के०
कुमार, श्री गिरी सुधिर
कुमारी, श्रीमती कमला
कुलन्दवेलू, श्री वी०
कृष्णा, श्री जी० वाई०
के० एस० नारायण, श्री
केयूर भूषण मथुराप्रसाद, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कांचक, श्री गुलाम रसूल
कांडियन, श्री पी० के०
कोम्मुस, श्री अप्पालास्वामी
कौर, श्रीमती गुरविन्द्र
कौर, श्रीमती सुखवंस
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री गय्यूर अली
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मलिक मु० मुशीर अ०
गधावी, श्री भेरावदन खेतदांजी
गमित, श्री छोतुभाई देवजीभाई
गरचा, श्री देविन्द्र सिंह
गहलोत, श्री अशोक
गांधी, श्रीमती इंदिरा
गांधी, श्री संजय
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव नानासाहब
गायकवाड़, श्री रणजीतसिंह जी प्रतापसिंह जी
गिरधारी लाल, श्री
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
गोहिल, श्री गोगाभाई भावुभाई
गौजगिन, श्री

पक्ष में

गोडर, श्री सेनापति ए०
गोडा, श्री एच० एन० नन्जे
घोष, श्री निरेन
घोष, श्रीमती विभा गोस्वामी
चक्रधारी, श्री
चक्रवर्ती, श्री सत्यसपन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रसेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्रसेखर मूर्थी, श्री एम० वी०
चरणजीत सिंह, श्री
चव्हाण, श्री यशवंतराव बलवंतराव
चव्हाण, श्री शंकरराव भाउराव
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोड़ाभाई
चिगवांग, श्री
चेन्नुपति, श्री विद्या
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बाराव
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
चौधरी, श्री मोतीभाई रणछोड़भाई
चौधरी, सुन्दरसिंह
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौबे, श्री नारायण
जगजीवन राम, श्री
जगन्नाथ, श्री
जफ्फर शरीफ, श्री सी० के०
जयनारायण, श्री
जलगाम, श्री कोन्डाला राव
जाइवा, श्रीमती राण सरदेसाई संयोगिता
जेठमलानी, श्रीराम
जेना, श्री चिंतामणि
जैन, श्री भीकूराम
जैमुल बशर, श्री
जैल सिंह, श्री
जोसेफ, श्री जार्ज

पक्ष में

झा, श्री कमलनाथ
झारखंडे, श्री
झाला, श्री दिग्विजय सिंह प्रतापसिंह
टाईटलर, श्री जगदीश
टिरको, श्री पियूस
टुडू, श्री मनमोहन
डागा, श्री वकील मूलचन्द
डेन्निस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
तिवारी, श्री के० के०
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि
तिवारी, श्री नारायण दत्त
तेइयेंग, श्री सावेर्ग
थापाई, श्री करूणानिधि
थुंगोन, श्री प्रेम खाण्डु
थुम्मालापल्ली, श्री दामोधर रेड्डी
दंडवते, श्रीमती प्रमिला मधु
दंडवते, प्रो० मधु
दण्डपाणि, श्री सी० टी०
दाभी, श्री अजीतसिंह फूलसिंहजी
दामोर, श्री सोमजीभाई पंजाभाई
दास, श्री अनादिचरण
दास, श्री रेनुपाडा
दुबे, श्री बिन्देश्वरी
दुवे, श्री रामनाथ
देव, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री वी०
देसाई, श्री वी० वी०
दोराई, संवस्तोयान, श्री एस० ए०
घोरपड़े, श्री आर० वाई
नय्यर, श्री बी० के
नरहर, श्री गाडगिल विठल
नागरत्नम, श्री टी०
नाडार, श्री ए० नोल लोहिया दसन
नाथूराम, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नायक, श्री मृत्युन्जय

पक्ष में

नायक, श्री सुरूपसिंह एच०
नायडू, श्री पी० राजगोपाल
नारायण चन्द, श्री
नाहटा, श्री भंवरलाल राजमल
निखरा, श्री रामेश्वर
निर्मला, कुमारी, श्रीमती
नेगी, श्री त्रेपन सिंह
नेताम, श्री अरविन्द
पटनायक, श्री जानकी बल्लभ
पट्टाभी रामाराव, श्री एस० वी० पी०
पट्टुस्वामी, श्री डी०
पटेल, श्री अमरीत मोहनलाल
पटेल, श्री अहमदभाई मोहम्मदभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई हरजीभाई
पटेल, श्री छगनभाई देवा भाई
पटेल, श्री शांतुभाई चुनीभाई
परमार, श्री हीरालाल रणछोड़ दास
परसराम रामप्रसाद, श्री
परूलेकर, श्री बापूसाहेब
पलानीअप्पन, श्री सी०
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद
पाइलेट, श्री राजेश
पाटिल, श्री वसन्तराव बंदुजी
पाटिल, श्री विजयकुमार नवल
पाटिल, श्री शिवराज विश्वनाथ
पाटिल, श्री शंकरराव बाजीराम
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाठक, श्री आनन्द
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पांडेय, श्री केदार
पाणिका, श्री राम प्यारे
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पामुलापटी, श्री अंकिनोडू प्रसाद राव
पार्थीसार्थी, श्री पी०
पारधी, श्री केशोराव आत्मारामजी
पालस, श्री वर्मन

पक्ष में

पासवान, श्री रामविलास
पुजारी, श्री जनार्दन
पुत्ते गोवडा, श्री डी० एम०
पुली, श्री वेंकट रेड्डी
पुलेय्या, श्री दरूर
प्रताप भानू कृष्णगोपाल, श्री
प्रधान, श्री अमरराय
प्रधानी, श्री खगपति
प्रभु, श्री आर०
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
प्रसाद, श्री महावीर
प्रसाद, कु० जितेन्द्र
पेंचालय्याह, श्री पारूपला
पोटडुखे, श्री शांताराम
पोटिया, श्री माहाला रामजी
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फर्नान्डीस, श्री जार्ज
फैलीरो, श्री एडुआर्डो मारतिन्हो
बनतवाला, श्री जी० एम०
बन्सीलाल, श्री
बरवे, श्री जतीराम चेतराम
बहादुर, राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र
बरोड़, श्री मगनभाई
बहेरा, श्री राम बिहारी
बसु, श्री चित्त
बसु, श्री ज्योतिर्मय
बसुदेव, श्री आचार्य
बहादुर, श्री हरिकेश
बापूराव, श्री मुत्तेबार
बालन, श्री ए० के०
बालनन्दन, श्री
बालेश्वर राम, श्री
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
बैठा, श्री डुमरलाल
बैरवा, श्री बनवारी लाल
बैरो, श्री ए० ई० टी०

पक्ष में

बोस, श्री अल्लुरी सुभाषचन्द्र
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपालराव
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री बलिराम
भगवान, श्री थोरट संदीपन
भट्टाचार्य, श्री सुशील कुमार
भीखा भाई, श्री
भीमसिंह, श्री
भीमन्ना, श्री चौधरी कलिंगप्पा
भूरिया, श्री दिलीपसिंह
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोये रेशमा मोतीराम
भोले, आर० आर०
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाणा, श्री नरसिंहभाई करसनभाई
मनफूल सिंह, श्री
मणि, श्री के० वी० एस०
मतिराम, श्री हंसदा
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मल्लाना, श्री के०
मल्लिकार्जुन, श्री
समूद, श्री रशीद
महराउल, श्री जयदीपसिंहजी सुभगसिंह जी
महाजन, श्री यादव शिवराम
महाजन, श्री विक्रम चन्द
महाता, श्री चितरंजन
म्हालगी, श्री रामचन्द्र काशीनाथ
महेन्द्र प्रसाद, श्री
माल्लु, श्री अनन्थारामुलु
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मूर्थी, श्री कुसुमा कृष्णा
मुरुगयन, श्री

पक्ष में

मुहम्मद इस्माइल, श्री
मेहता, श्री अजित कुमार
मेहता, श्री महिपाल मूलशंकर
मैत्रा, श्री सुनील
मोरे, श्री रामकृष्ण सदाशिव
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन्ती, श्री ब्रजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव जिजावा
मोहेन्द्रा, श्री नगनगोम
याजदानी, डा० गोलाम
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री रामसिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री सुभाष
यामु, श्री शिंगडा
युसुफ, श्री मु०
यैल्लैयाहा, श्री नन्दी
रंगा, श्री एन० जी०
रवाणी, श्री नवीनचन्द्र परमानन्ददास
रहीम, श्री ए० ए०
राउत, श्री भोला
राकेश, श्री रामनिहार
राजदा, श्री रत्नसिंह गोकुलदास
राजन, श्री ए० के०
राजशंकर मूर्ति, श्री एम०
राजामाल्लु, श्री के०
राजू, श्री पुसापति विजयरामा गजापथी
राठवा, श्री अमरसिंहभाई दोरयाभाई
राठोड़, श्री उत्तमराव बलीराम जी
रामकुमार, श्री
राम, श्री रामस्वरूप
रामामूर्ति, श्री के०
रामुलु, श्री एच० जी०
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रामन्ना
राय, श्री नारायण
राय, श्री सरदोश

पक्ष में

राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री जगन्नाथ आर०
राव, श्री मेदुरी नागेसवर
राही, श्री रामलाल
रियान, श्री बाजुबन
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल
रेड्डी, श्री कासु ब्रम्हानन्द
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
रोथुआमा, डा० आर०
लकप्पा, श्री के०
लस्कर, श्री निहार रंजन
लक्ष्मनन, श्री जी०
लारेंस, श्री एम० एम०
लाल, श्री रघुनन्दन
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
वर्मा, श्री चन्द्रदेव, प्रसाद
वर्मा, श्री जयराम
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वायरले मधुसुदन आत्माराम श्री
वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र श्री
वासप्पा, श्री सिदनाल शनमुखप्पा
विखे, श्री एकनाथराव विठलराव
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विरदा राम, श्री
विरधी चन्द, श्री
विश्वास, श्री अजय
व्यारीचेरला, श्री किशोर चंद्र सूर्यनारायण
वेंकटरामन, श्री आर०
वेलू, श्री ए० एम०
शंकरानन्द, श्री बी०
शमन्ना, श्री टी० आर०
शमीनुद्दीन, श्री
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्रीनन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर

पक्ष में

शर्मा, श्री मुन्दर
शर्मा, श्री विश्वनाथ
शर्मा, डा० शंकरदयाल
शाक्य, श्री रार्यसिंह
शायवार, श्री नाथुराम
शास्त्री, श्री धर्मदास
शास्त्री, श्री रामावतार
शास्त्री, श्री हरी किशन
शिंगदा, श्री डी० बी०
शिवप्रकाशम, श्री डी० एस० ए०
शिवशंकर, श्री० पी०
शुक्ल, श्री विद्याचरण रविशंकर
शैलानी, श्री चन्दपाल
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
संगमा, श्री पुरनो ए०
संजीवीराव, श्री एम० एस०
सईद, श्री पी० एम०
सज्जन कुमार, श्री
सत्यगोपाल, श्री मिश्रा
सपैरो, जनरल रजिन्दर सिंह
समद, श्री अब्दुल
सलीम, श्री काजी
साठे, श्री वसंतराव
सावंत, श्री त्र्यंबकराव मारोतराव
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री नारायण
सिंगारावाडीवल, श्री एस०
सिद्रमप्पा, श्री कुचल गंगाधर
सिन्हा, श्री धर्मवीर
सिंह, कु० पुष्पा देवी
सिंह, श्री अजीत प्रताप
सिंह, श्री अमरीन्द्र
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण
सिंह, श्री गिरिराज
सिंह, श्री गुरचरण
सिंह, श्री चन्द्रपाल

पक्ष में

सिंह, श्री चन्द्रशेखर
सिंह, श्री जयपाल
सिंह, श्री डूंगर
सिंह, श्री तपेश्वर
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, श्री धर्मगज
सिंह, श्री निहाल
सिंह, श्री फतेह भानु
सिंह, श्री वी० डी०
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री रणजीत
सिंह, श्री रणवीर
सिंह, श्री राजेश कुमार
सिंह, श्री लेहना
सिंह, श्री विजेन्द्रपाल
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री शिवकुमार नवलसिंह
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह, श्री सतीश प्रसाद
सिंह, श्री सूर्यनारायण
सिंह, श्री हरीश चन्द्र
सिंह, श्री हाकम

पक्ष में

सिंह, श्रीमती राम दुलारी
सुखाड़िया, श्री मोहनलाल
सुन्दरराजन, श्री एन०
सुब्बैया, श्री पेन्देकांति वेंकट
सुभा, श्री तहाल मान
सुम्बरूई, श्री बागुन
सूरजभान, श्री
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सेठी, श्री प्रकाशचन्द्र
सेलवाराजू, श्री एन० वी० ई०
सैयद, श्री मसुदल होस्पेस
सोनू, श्री छोटेलाल
सोलंकी, श्री नटवरसिंह जी केसर सिंह जी
सोलंकी, श्री बाबूलाल
स्वामी, डा० सुब्रम्हण्यम
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र
हुल्ला, श्री नरसिंह
हुसैन, श्री अशफाक
हुसैन, श्री तय्यब
होरो, श्री निरल एनेम
क्षीर सागर केशरबाई सोनाजीराव, श्रीमती उर्फ काकू

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 421. विपक्ष में कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और एक विधेयक में जोड़ दिये गये

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

*मत विभाजन खण्ड दो और एक पर पृथक-पृथक रूप से लागू होता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भाषणों को पूरे ध्यान से सुना है परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि जन-जातियों का विशेषत: नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और त्रिपुरा में रह रहे लोगों का कोई उल्लेख नहीं हुआ। इनकी की दूरी, संचार साधनों का अभाव, आर्थिक क्रियाकलाप और विकास का अभाव तथा नितान्त गरीबी की जो दशा मैंनें अपनी पिछली यात्रा के दौरान वहां पर देखी वह किसी को भी विचलित कर सकती है। वहां की स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है तथा इसका लाभ विदेशी ऐजेंसिया उठा रही हैं। यही समय है कि सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर ध्यान दें क्योंकि इन लोगों की पिछले बत्तीस वर्ष के शासन में उपेक्षा की गई है। श्रीमान जी हरिजनों की स्थिति बहुत खराब है।

[श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुये]

श्री भोला पासवान शास्त्री तो मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नही है, वह तो साम्यवादी भी बिलकुल नही है। वह भी पश्चिम बंगाल गये थे। उन्होंने वहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है कि जब से पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे की सरकार सत्ता में आई है, हरिजनों के लिए वहां जो कुछ किया गया है उसकी तुलना देश के किसी अन्य राज्य से नही की जा सकती। उन्होने इसका पूरा प्रमाण-पत्र दे दिया है। हमारे हरिजन तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग भूमि पर निर्भर करते है। जन-जातियों के लोग जंगलों पर निर्भर रहते है। परन्तु अब उन्हें जंगलों के संसाधनों पर निर्भर करने तथा उनसे अपनी जीविका अर्जित करने से वंचित कर दिया गया है। मैं बार बार सदन में यह कहता रहा हूं कि हमें जन-जाति के लोगों को जीवन ज्ञापन के अन्य संसाधन उपलब्ध कराने चाहिये परन्तु अभी तक ऐसा नही किया गया है। अभी तक भूमि सुधार को उसके सही तथा सार्थक अर्थो में लागू नही किया गया है। उनके लिए स्थानों के आवंटन तथा अन्य जो कुछ हम कर रहे है, से उन्हें तब तक कोई लाभ नही होने वाला है जब तक कि हम उनके लिए वह न करे जिसकी कि उन्हें आवश्यकता है, उन्हें भूमिकी आवश्यकता है, उन्हें उसमें उत्पादन करने के लिए अपेक्षित उपकरणों तथा उन की आवश्यकता है। यह सभी कुछ उनके लिए अपेक्षित है। इस समय राव वीरेन्द्र सिंह यहां बैठे हुये है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला के परिणामों का लाभ किसानों तक कभी नहीं पहुंच पाया है। आप किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति से जाकर यह पूछ लीजिये कि उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिस पर कि आप प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये खर्च कर रहे है, से क्या लाभ हुआ है। श्रीमान जी मैं $2\frac{1}{2}$ वर्ष तक इसकी प्रबन्ध परिषद का सदस्य रहा हूं तथा इसके कार्यकरण को देखकर मुझे गहरा आघात हुआ है। इसका विशेष सर्वेक्षण करके पता लगाइये।

श्रीमान जी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जिन लोगों ने, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है या मुसलमान, नवबौद्ध या अन्य अल्पसंख्यांक मतों को स्वीकार कर लिया है, उनके बारे में भी विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिये। मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यांक लोगों की भी इस क्षेत्र में अवहेलना की जाती है। मंत्री महोदय को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि आगे उनकी अवहेलना न की जाये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मोरमुगाओ) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं विधेयक के तीसरे पठन पर बोल रहा हूं। मैं आपको अवसर नहीं देना चाहता।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : व्यवस्था के प्रश्न पर तो आपको मुझे अपनी बात कहने या अवसर देना ही पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अध्यक्ष पीठ के आदेश का पालन करूंगा ।

श्री शिवराज वी० पाटील (लातूर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं । नियम 94 में इस प्रकार लिखा है :

"इस प्रस्ताव पर कि विधेयक, या विधेयक संशोधित रूप में, यथास्थिति, पारित किया जायें, चर्चा विधेयक के समर्थन में या उसे अस्वीकार करने के लिये दिये गये प्रतकों तक सीमित होगी । भाषण करते समय सदस्य विधेयक के ब्यौरे का उससे अधिक निदेश नहीं करेगा जितना कि उसके प्रतकों के प्रयोजन के लिये आवश्यक है जो कि सामान्य रूप से होंगे ।"

सभापति महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । खण्डों को पहले ही पारित किया जा चुका है और अब हम अंतिम चरण में है । अब तो विधेयक का तीसरा पठन चल रहा है । अत: आप का व्यवस्था का प्रश्न ही पैदा नही होता । आप कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान जी मैं तो समाप्त करने जा रहा हूं । मैं केवल माननीय सदस्य महोदय को यही बताना चाहता हूं कि तीसरे पठन में उन पहलुओं के बारे कहा जा सकता है, जिनके बारे पहले न कहा गया हो । इसके साथ ही श्रीमान आपकी बात मानते हुये में समाप्त करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मैं भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं । इस विधेयक के समर्थन में हिन्दुस्तान के तमाम लोगों ने अपनी आवाज़ लगाई है, वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो—सब नें तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन किया है—यहां भी और इस सदन के बाहर भी । ऐसी स्थिति में यहां यह कहना कि इसका सारा श्रेय हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री—श्रीमती इन्दिरा गांधी को है, यह गलत है (**व्यवधान**) यह गलत है ।

मैं समझता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को खुद इस स्थिति को कबूल नहीं करना चाहिए, यह पूरी जनता की आवाज है, किसी एक व्यक्ति का करिश्मा नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो बिल लाया गया है यह पूरे राष्ट्र की आवाज़ है और पूरे राष्ट्र के लोगों को इसका श्रेय मिलना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए केरला की सरकार न, पश्चिम बंगाल की सरकार ने और त्रिपुरा की सरकार ने जितना काम किया है, उतना काम कांग्रेस ने 32 साल की अपनी हुकुमत में भी नहीं किया है ।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने हरिजनों एवं आदिवासियों के आन्दोलन का नेतृत्व किया है और हम आगे भी इन लोगों का नेतृत्व करते रहेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : होम मिनिस्टर ।

गृहमंत्री (श्री जैल सिंह) : सम्मानीय सभापति जी, आनरेबल मेम्बर श्री ज्योतिर्मय बसु ने बहुत कीमती बातें बताई हैं । उन्होंने एक बात तो यह बताई है कि हरिजनों पर उत्तर प्रदेश में, बिहार में...

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब, आप बाद में जवाब दे दीजिए । अभी एक मेम्बर को और बोलना है ।

श्री केयूर भूषण ।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया है।

मैं मध्य प्रदेश से आया हूं जहां पर जनता पार्टी का शासन है, मगर इस चीज़ को कहने के लिए मैं जरा भी झिझक नहीं रहा हूं कि वहां पर हरिजनों की जो स्थिति है, वह बहुत दयनीय है। हमारे यहां गुरु घासी दास एक महान् संत हुए हैं। उन के स्मारक के लिए वहां पर जो जमीन एलाट हुई थी कांग्रेस के राज्य में, ढाई सालों के प्रयत्नों के बाद भी वह अभी तक नहीं मिल पाई है। मुझे इस की पुरी जानकारी है क्योंकि मैं हरिजन सेवक संघ का एक लम्बे समय से कार्य करता रहा हूं। वहां ज़मीन मिलने में काफी कठिनाई हरिजनों को हो रही है और जो जमीनें उन्हें मिली हैं, उन पर भी पूरी तरह से कब्जा नहीं दिया गया है। वहां के हरिजनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और आप को विशेष कर उस प्रदेश की ओर देखना होगा। हमारे प्रधान मंत्री जी की हरिजनों को सुविधाएं देने के बारे में बहुत बड़ी भूमिका रही है, इस बात को मानना पड़ेगा और जो 10 साल का मौका इन्होंने और दिया है, उस के लिए वे बधाई की पात्र हैं।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं, वहां पर वे लोग तथा हरिजन भाई बंधकों की तरह जी रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों की तरफ माननीय मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए और हम सब को यहां मिल कर उन लोगों के लिए कहना चाहिए कि उन के लिए विकास कार्य किये जाएं। हमारे कम्युनिस्ट साथी किसी एक वर्ग की ही बात को न लें बल्कि भारतवर्ष में, जहां पर जातिगत व्यवस्था है, वहां जो पिछड़ी हुई जातियां और लोग हैं, उन को विशेष अवसर विकास करने के लिए देने होंगे और इस क्षेत्र में हम सब पूरी तरह से सहयोग करें, जिस से उन लोगों को अपने हक मिल सकें।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : सम्माननीय उपसभापति जी, श्री ज्योतिर्मय बसु ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा है कि उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश में जो ट्राइबल एरियाज हैं हरिजनों पर, आदिमजातियों पर बहुत जुल्म हुए हैं, उनके साथ बहुत बेइंसाफी हुई है। मैं बसु साहब से इस बात के लिए एग्री करता हूं कि पिछले दो सालों में बहुत कुछ हुआ होगा। (**व्यवधान**)।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हारबर) : जैल सिंह जी मैंने 32 साल बोला है, दो साल नहीं बोला है।

श्री जैल सिंह : मैं श्री ज्योतिमय बसु साहब के साथ इस बात के लिए भी इत्तिफाक करता हूं कि बहुत से गरीब लोग ईसाई, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स का मजहब बदलने की वजह से इस कैटेगरी में नहीं आते। क्योंकि यह स्टेट सब्जैक्ट है, इसलिए उनके लिए हम प्रान्तीय सरकारों से कहेंगे कि वह बैकवर्ड क्लासिज के लिए कुछ करें। मैंने तकरीबन सभी गवर्नरों से बात की है और मैंने उनके थ्रू सभी को कंवे कर दिया है कि हरिजनों, गरीबों और वीकर सैक्शंस पर जोराबारों के जो जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ जो मार–पिटाई की जा रही है, उनके साथ विन्डिक्टीवनेस का सलूक किया जा रहा है, वह फौरन बंद किया जाए। अगर यह सब बंद नहीं होता है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि यह सरकार, जब यह देखेंगी कि कहीं गरीबों को नहीं बचाया जा सकता है तो बड़े से बड़ा कदम उठाने में भी कोई गुरेज नहीं करेगी। यह सरकार को एहसास है कि ला एण्ड आर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। (**व्यवधान**)

[श्री जैल सिंह]

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अपने दोस्तों से प्रार्थना करता हूं कि वे हरिजनों की भलाई की बात सुनने में तो नाराज न हों।

मैं ज्योतिमय बसु का इसके लिए भी बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने यहां यह बता दिया कि उनकी रक्षा के लिए, उनको जमीनें देने के लिए, धन देने के लिए जो सुविधाएं रखी गयी हैं वह उन हरिजन और गरीब भाइयों को नहीं मिलती हैं, इसलिए सरकार को उनकी ये सुविधाएं दिलानी चाहिएं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकारों की तरफ से हरिजन कल्याण के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए जो कारपोरेशन बनाये गये हैं, उनको पूरी सहायता दी जायगी और उनके बारे में सरकार पूरा ध्यान रखेगी।

एक बात उन्होंने कही कि पश्चिम बंगाल में जो हरिजनों के लिए किया गया वह कहीं नहीं किया गया। उसके बारेमें मैं कुछ नहीं कहता। वह तो सब रिकार्ड में है और हम उस रिकार्ड को भी देखेंगे।

[माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

श्री ज्योतिर्मय बसु : कुछ नार्थ इस्टर्न रीजन के बारे में भी कहेंगे ?

श्री जैल सिंह : मैंने पहले अपनी तकरीर में इस हाउस में एक बात कही है कि आनरेबल मेम्बर साहेबान ने जो सुझाव दिये हैं, उस सारी डिबेट की कापी मेरी टेबिल पर रहेगी और मैं उन्हें देखूंगा। क्योंकि इस मसले का सम्बन्ध मुझसे है। आनरेबल सी० पी० आई० के मेम्बर ने बड़े जजबात से एक बात कही, मैं उसकी कद्र करता हूं।

हम भी इस में शामिल हैं। लेकिन इसका श्रेय प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिये यह भी उन्होंने कहा। मैं कहना चाहता हूं कुदरत या खुदा के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनको तो इसका श्रेय चला ही गया है। आपको भी मौका मिला था और आप भी ये सारी बातें करवा सकते थे। लेकिन आप ने नहीं करवाई। अढ़ाई साल आप हम लोगों को गालियां देते रहे। हमारे दोस्त थे, हमारे साथ थे लेकिन उधर चले गए थे। वे चाहते तो इसका श्रेय चौधरी साहब को दिला देते या श्री मोरारजी भाई को दिला देते। हमें क्या नुकसान था ? लेकिन हमें ही उन्होंने इसका श्रेय दिलाना था और दिलाया है।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी बिना मेरी अनुमति के कहा जाता है, उसे कार्यवाही वृन्तात में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

श्री जैल सिंह : मने पहले भी प्रार्थना की थी। सम्माननीय विरोधी दलों के नेताओं का मैं बड़ा सत्कार करता हूं, बड़ी इज्जत उनको देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जरुरत से ज्यादा करने लगें हैं।

श्री जैल सिंह : उनकी बात को मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं, हम सब ट्रेझरी बैंचिज़ के लोग सुनते हैं लेकिन उनको भी जरा फराखदिली से हमारी बातों को सुनना चाहिये। आपको मालूम होगा कि जब श्री मोरारजी भाई प्राईम मिनिस्टर थे और आनरेबल मैम्बर बहुत से जो आज

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उन बेंचों पर बैठे हुए हैं, वे तव मिनिस्टर थे और तव विहार में हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया था, उनको—गोली मार दी गई थी और तव एक अकेली श्रीमती इंदिरा गांधी जिन के पास कोई सत्ता नहीं थी और जिन के खिलाँफ मुकदमे ही मुकदमे चल रहे थे वहां गई थीं और लोगों के साथ उन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतनी ही प्रार्थना अपने दोस्तों से करना चाहता हूं कि अपने गुनाह देखने के लिए किसी गैर की आंखे चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं विधयक को सदन मे मतदान के लिए रखू, चूंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है तथा इसमें मतदान, मतविभाजन द्वारा किया जाना अपेक्षित है, अतः प्रश्न यह है :

"कि विधायक पारित किया जाय।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 3 16.34 बजे

पक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश चन्द्र
अन्सारी, श्री जियाउर रहमान
अन्सारी, श्री शफीकुल्लाह
अनवर, अहमद, श्री
अनवर, श्री शाह तारिक
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडु, श्री एम० आर० ए० एस०
अब्बासी, श्री काजी जलील
अवेदिन, श्री जायनल
अर्जुनन, श्री के०
अराक्कल, श्री एक्सवेयर
अरुणाचलम, श्री एम०
अहमद, बेरिस्टर गुलशेर
अहमद, श्री मोहम्मद असरार
अहमद, श्री मो० कमालुदीन
आचार्य, श्री भगवान देव
आजम, श्री गुंफरान
आजाद, श्री गुलाम नवी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्दराव, श्रीमती वी० राधावाई
आनन्दसिंह, श्री, उर्फ अन्नभय्या
इम्बीची वावा, श्री ई० के०
इमाम, श्री अजीज
ईरा, श्री मोहन, उर्फ राममोहन आर०
ईरा, श्री अनवारासु

पक्ष में

उरांव, श्री कार्तिक
एंथनी, श्री फ्रैंक
एक्का, श्री क्रिष्टोफेर
ओडेदरा, श्री भालदेवजी मंडलोकजी
कंडास्वामी, श्री एम०
कर्णसिंह, डा०
कमलनाथ, श्री
कमलापति, श्री
वर्मा, श्री लक्ष्मण
कल्पनाथ, श्री
कलानिधि, श्री ए०
कश्यप, श्री जयपाल सिंह
कादरी, श्री एस० टी०
कामावशय्याह, श्री ओड्डोवारापु
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कुंवर राम, श्री
कुन्दनवाई रामलिंगम, श्री एन०
कुन्हम्बु, श्री के०
कुमार, श्री गिरि सुधीर
कुमारी, श्रीमती कमला
कुलन्दईवेलू, श्री वी०
कृष्ण, श्री जी० वाई०
के० एस० नारायण, श्री
कयुर भूषण मथुराप्रसाद, श्री
कैलाशपति, श्रीमती

6—547 LSS/ND/79

पक्ष में

कांचक, श्री गुलाम रसूल
कोडियन, श्री पी० क०
कोम्मुस, श्री अप्पालास्वामी
कौर, श्रीमती गुरबिन्द्र
कोर, श्रीमती सुखबंस
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री गय्यर अली
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मलिक मु० मुशीर अ०
गधावी, श्री भैरावदन खेतदांजी
गमित, श्री छीतुभाई देवजीभाई
गरचा, श्री देविन्द्र सिंह
गहलोत, श्री अशोक
गांधी, श्रीमती इंदिरा
गांधी, श्री संजय
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव नानासाहब
गायकवाड, श्री रणजीतसिंह जी प्रतापसिंह जी
गिरधारी लाल, श्री
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
गोहिल, श्री गोगाभाई भावुभाई
गौजगिन, श्री
गौडर, श्री सेनापति ए०
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे
घोष, श्री निरेन
घोष, श्रीमती विभा गोस्वामी
चक्रधारी, श्री
चक्रवर्ती, श्री सत्यसपन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भूज, श्री
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रसेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्रसेखर मूर्थी, श्री एम० वी०
चरणजीत सिंह, श्री

पक्ष में

चरण सिंह, श्री
चव्हाण, श्री यशवंतराव बलवंतराव
चव्हाण, श्री शंकरराव भाऊराव
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोड़ाभाई
चिंगवांग, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेन्नुपति, श्री विद्या
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
चौधरी, श्री मोतीभाई रणछोड़भाई
चौधरी, सुन्दरसिंह
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौधरी, श्री बिदिब
चौबे, श्री नारायण
जगजीवन, राम, श्री
जगन्नाथ, श्री
जफ़र शरीफ, श्री सी० के०
जयनारायण, श्री
जलगाम, श्री कोन्डाला राव
जाड़वा, श्रीमती राण सरदेसाई संयोगिता
जेठमलानी, श्रीराम
जेना, श्री चिंतामणि
जैमुल बशर, श्री
जैन, श्री भीकूराम
जैल सिंह, श्री
जोसेफ, श्री जार्ज
झा, श्री कमलनाथ
झारखंड, श्री
झाला, श्री दिग्विजय सिंह प्रतापसिंह
टाईलर, श्री जगदीश
टिरकी, श्री पियुस
टुडु, श्री मनमोहन
डागा, श्री वकील मूलचन्द
डेन्निस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
तिवारी, श्री के० के०
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि
तिवारी, श्री नारायण दत्त

पक्ष में

तेइयेंग, श्री सावेर्ग
थाझाई, श्री करुणानिधि
थुंगोन, श्री प्रेम खाण्डु
थुम्मालापल्ली, श्री दामोधर रेड्डी
दंडवते, श्रीमती प्रमिला मधु
दंडवते, प्रो० मधु
दलबीरसिंह, श्री
दण्डपाणि, श्री सी० टी०
दाभी, श्री अजीतसिंह फूलसिंह जी
दामोर, श्री सोमजीभाई पंजाभाई
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री रेनुपाडा
दुबे, श्री बिन्देश्वरी
दुबे, श्री रामनाथ
देव, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री वी०
देसाई, श्री वी० वी०
दोराई, सेवस्तीयान, श्री एस० ए०
घोरपाड़े, श्री आर० वाई०
नय्यर, श्री वी० के०
नरहर, श्री गाडगिल विठ्ठल
नागरत्नम, श्री टी०
नाडार, श्री ए० नील लोहिया दसन
नाथूराम, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नायक, श्री मृत्युन्जय
नायक, श्री सुरूपसिंह एच०
नायडू, श्री पी० राजगोपाल
नारायण चन्द, श्री
निखरा, श्री रामेश्वर
निर्मला, कुमारी, श्रीमती
नेगी, श्री वेपन सिंह
नेताम, श्री अरविन्द
पटनायक, श्री जानकी बल्लभ
पट्टाभी रामाराव, श्री एस० बी० पी०
पट्टुस्वामी, श्री डी०
पटेल, श्री अमरीत मोहनलाल
पटेल, श्री अहमदभाई मोहम्मदभाई

पक्ष में

पटेल, श्री उत्तमभाई हरजोभाई
पटेल, श्री छगनभाई देवा भाई
पटेल, श्री शांतुभाई चुनीभाई
परमार, श्री हीरालाल रणछोड़ दास
परसराम, रामप्रसाद, श्री
परुलेकर, श्री बापूसाहेब
पलानीअप्पन, श्री सी०
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद
पाइलेट, श्री राजेश
पाटिल, श्री वसन्तराव बंदुजी
पाटिल, श्री विजयकुमार नवल
पाटिल, श्री शिवराज विश्वनाथ
पाटिल, श्री शंकरराव बाजीराव
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाठक, श्री आनन्द
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पांडये, श्री केदार
पाणिका, श्री राम प्यारे
पामुलापटी, श्री अकिनीडू प्रसाद राव
पार्थीसार्थी, श्री पी०
पारधी, श्री केशोराव आत्मारामजी
पालस, श्री बर्मन
पासवान, श्री रामविलास
पुजारी, श्री जनार्दन
पुत्ते गोवडा, श्री डी० एम०
पुलो, श्री वेंकट रेड्डी
पुलैय्या, श्री दरुर
प्रधान, श्री अमरराय
प्रधानी, श्री खगपति
प्रभु, श्री आर०
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
प्रसाद, श्री महावीर
प्रसाद, कु० जितेन्द्र
पेंचालय्याह, श्री पास्पला
पोटडुखे, श्री शांताराम
पोटिया, श्री माहाला रामजी

पक्ष में

फकरुद्दीन साब हुसेनसाब, श्री मोहसिन
फर्नांडिस, श्री ओस्कर
फर्नांडिस, श्री जार्ज
फैलोरो, श्री एडुआर्डो मारतिन्हो
बनतवाला, श्री जी० एम०
बन्सीलाल, श्री
बरवे, श्री जतीराम चेतराम
बहादुर, राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र
बरोड़, श्री मगनभाई
बहेरा, श्री राम बिहारी
बसु, श्री चित
बसु, श्री ज्योतिर्मय
बसुदेव, श्री आचार्य
बहादुर, श्री हरिकेश
बापूराव, श्री मुत्तेवार
बालन, श्री ए० के०
बालनन्दन, श्री
बालेश्वर राम, श्री
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह श्री
बूटा सिंह, श्री
बैठा, श्री डुमरलाल
बेरवा, श्री बनवारी लाल
बैरी, श्री ए० ई० टी०
बोस, ी अल्लुरी सुभाषचन्द्र
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपालराव
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री बलिराम
भगवान, श्री थोरट संदीपन
भट्टाचार्य, श्री सुशील कुमार
भीखा भाई, श्री
भीमसिंह, श्री
भीमन्ना, श्री चौधरी कलिगंप्पा
भुरिया, श्री दिलीपसिंह
भोई, डा० कृपासिन्धु
भाये रेशमा मोतीराम, श्री
भोले, आर० आर०, श्री

पक्ष में

मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाणा, श्री नरसिंहभाई करसनभाई
मनफूल सिंह, श्री
मणि, श्री के० बी० एस०
मतिराम, श्री हंसदा
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मल्लाना, श्री के०
मल्लिकार्जुन, श्री
समूद, श्री रसीद
महराउल, श्री जयदीपसिंहजी सुभगसिंह जी
महाजन, श्री यादव शिवराम
महाजन, श्री विक्रम चन्द
महाता, श्री चित्तरंजन
म्हालगी, श्री रामचन्द्र काशीनाथ
महेन्द्र प्रसाद, श्री
माधुरीसिंह, श्रीमती
माल्लु, श्री अनन्थारामुलु
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री हरिनाथ
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुर्थी, श्री कुसुमा कृष्णा
मुरुगेसान, श्री एस०
मुहम्मद इस्माइल, श्री
मेहता, श्री अजित कुमार
मेहता, श्री महिपात्न मूलशंकर
मैत्रा, श्री सुनील
मोरे, श्री रामकृष्ण सदाशिव
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन्ती, श्री ब्रजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव जिजाबा
मोहेन्द्रा, श्री नगनगोम
याजदानी, डा० गोलाम
यादव, श्री चन्द्र जीत
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

पक्ष में

यादव, श्री रामसिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री सुभाष
यामु, श्री शिंगडा
युसुफ, श्री मु०
यैल्लैयाहा, श्री नन्दी
रंगा, श्री एन० जी०
रवाणी, श्री नवीनचन्द्र परमानन्ददास
रसीम, श्री ए० ए०
राऊत श्री भोला
राकेश, श्री रामनिहार
राजदा, श्री रत्नसिंह गोकुलदास
राजन, श्री ए० के०
राजशंकर मूर्ति, श्री एम०
राजामाल्लु, श्री के०
राजु, श्री पुलापति विजयरामा गजापथी
राठवा, श्री अमरसिंहभाई बीरयाभाई
राठोड़, श्री ऊत्तमराव बलीराम जी
रामकुमार, श्री
रामधन, श्री प्रभूनारायन
राम, श्री रामस्वरुप
रामामूर्ति, श्री के०
रामुलु, श्री एच० जी०
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रामन्ना
राय, श्री नगीना
राय, श्री नारायण
राय, श्री सरदोश
राय, श्रीमती सहोदरावाई
राव, श्री एम० सत्यानारायण
राव, श्री जगनाथ आर०
राव, श्री भेदुरी नागेसवर
राही, श्री रामलाल
रियान, श्री बाजुबन
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल
रेड्डी, श्री संदुला बाबुल
रेड्डी, श्री कासु ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

पक्ष में

रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा
रोथुआमा, डा० आर०
लकप्पा, श्री के०
लस्कर, श्री निहार रंजन
लक्ष्मनन, श्री जी०
लारेंस, श्री एम० एम०
लाल, श्री रघुनन्दन
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
वाघ प्रताप देवराम, श्री
वर्मा, श्री चन्द्रदेव, प्रसाद
वर्मा, श्री जयराम
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
वायरले मधुसूदन आत्माराम, श्री
वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र, श्री
वासप्पा, श्री सिदनाल शनमुखप्पा
विखे, श्री एकनाथराव विठ्ठलराव
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विरदा राम, श्री
विरधी चन्द, श्री
विश्वास, श्री अजय
व्यारीचेरला, श्री किशोरचन्द्र सूर्यनारायण
वेंकटरामन, श्री आर०
वेलू, श्री ए० एम०
शमन्ना, श्री टी० आर०
शमीनुद्दीन, श्री
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्रीनन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री मुन्दर
शर्मा, श्री विश्वनाथ
शर्मा, डा० शंकरदयाल
शाक्य, श्री रायसिंह
शायवार, श्री नाथूराम
शास्त्री, श्री धर्मदास
शास्त्री, श्री रामावतार
शास्त्री, श्री हरी किशन
शिंगडा, श्री डी० बी०

पक्ष में

शिवप्रकाशन, श्री डी० एस० ए०
शिवशंकर, श्री पी०
शुक्ल, श्री विद्याचरण रविशंकर
शैलानी, श्री चन्दपाल
श्री निवास प्रसाद, श्री वी०
संगमा, श्री पुरनो ए०
संजीवीराव, श्री एम० एस०
सईद, श्री पी० एस०
सज्जन कुमार, श्री
सत्यगोपाल, श्री मिश्रा
समेरो, जनरल रजिन्दर सिंह
समद, श्री अब्दुल
सलीम, श्री काजी
साठे, श्री वसंतराव
सावंत, श्री त्र्यम्बकराव मारोतराव
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू श्री नारायण
सिंगारावाडीवल, श्री एस०
सिद्रमप्पा, श्री कुचल गंगाधर
सिन्हा, श्री धर्मवीर
सिंह, कु० पुष्पा देवी
सिंह, प्रो० सत्यदेव
सिंह, श्री अजीत प्रताप
सिंह, श्री अमरीन्द्र
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण
सिंह, श्री गिरिराज
सिंह, श्री गुरचरण
सिंह, श्री चन्द्रपाल
सिंह, श्री चन्द्रशेखर
सिंह, श्री जयपाल
सिंह, श्री डूंगर
सिंह, श्री तपेश्वर
सिंह, श्री दलवीर
सिंह, श्री धर्मगंज

पक्ष में

सिंह, श्री निहाल
सिंह, श्री फतेह भानु
सिंह, श्री वी० डी०
सिंह, श्री रणजीत
सिंह, श्री रणबीर
सिंह, श्री राजेश कुमार
सिंह, श्री लेहना
सिंह, श्री विजेन्द्रपाल
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री शिवकुमार नवलसिंह
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह, श्री सतीश प्रसाद
सिंह, श्री सूर्यनारायण
सिंह, श्री हरीश चन्द्र
सिंह, श्री हाकम
सिंह, श्रीमती राम दुलारी
सुखाड़िया, श्री मोहनलाल
सुब्बैया, श्री पेन्देकांति वेंकट
सुभा, श्री पहाल मान
सूरजभान, श्री
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सेठी, श्री प्रकाशचन्द
सेलवाराज, श्री एन० वी० ई०
सैयद, श्री मसुदल होस्पेस
सोनू, श्री छोटेलाल
सोलंकी, श्री नटवरसिंह जी केसरसिंह जी
सोलंकी, श्री बाबूलाल
स्वामी, डा० सुब्रामण्यम
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र
हुल्ला, श्री नरसिंह
हुसैन, श्री अशफाक
हुसैन, श्री तय्यब
होरो, श्री निरल एनेम
क्षीर सागर केशरबाई सोनाजीराव, श्रीमती
उर्फ काकू

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में: 423   विपक्ष में: शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विवादास्पद विधेयक नहीं है । यह भी उसी विधेयक की तरह ही विवादास्पद विधेयक नहीं है जिस पर कि सदन में इससे पहले विचार किया जा रहा था । इस विधेयक का उद्देश्य भी 1979 के अध्यादेश को कानूनी मात्रा पहनाना ही है और मुझे आशा है कि इससे पहले कि अध्यादेश समाप्त हो, सदन द्वारा यह विधेयक पारित कर दिया जायेगा । अन्यथा इससे उन कर्मचारियों के लिए कठिनाईयां उत्पन्न हो जायेंगी, जिन्हें इस अध्यादेश के अन्तर्गत बोनस नहीं दिया गया है ।

इस विधेयक का सीमित उद्देश्य 1979 के अध्यादेश को असली मात्रा पहनाना ही है । इस अध्यादेश के अनुसार, 1978 लेखा वर्ष के लिए ही बोनस का भुगतान किया जायेगा । श्रमिकों के बहुत बड़े वर्ग को इससे पहले ही भुगतान कर दिया गया है और शेष श्रमिकों को भुगतान किया जाना है । जब तक इस विधेयक को पारित नहीं किया जाता तब तक शेष रह रहे श्रमिकों को, जिन्हें कि बोनस का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें बोनस नहीं दिया जायेगा या उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक सभा के विचार हेतु प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1977 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुज़फ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी ने आर्डिनेन्स के समर्थन में जिस बयान को यहां पर दिया और उसके पहले इस सदन के सामने रखा था उसमें, इस विधेयक की क्या जरूरत पड़ी, इसके विषय में जिक्र है । असल में इस विधेयक का और उस आपातकाल का बहुत गहरा रिश्ता है । इसकी शुरूआत असल में 25 सितम्बर, 1975 को हुई थी जब उस समय के बोनस के कानून में संशोधन किया गया था, एक अध्यादेश के जरिए से, और बरसों के संघर्ष से मजदूरों ने जिस अधिकार को हासिल किया था उसपर कुठाराघात करने का काम किय गया । लगातार दो साल तक वह

[श्री जॉर्ज फर्नांडिस]

अध्यादेश और उसके बाद 1976 में कानून में किया हुआ संशोधन जारी रहा। 1977 में जब नयी सरकार बनी तो उसने आपातकाल में मजदूरों द्वारा खोए हुए अधिकारों को फिर से वापिस लौटाने का काम किया था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने सरकार क्यों छोड़ी ?

श्री जार्ज फर्नांडीस : अध्यक्ष महोदय, इस समय हम बोनस के विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, हमने मंत्रिमण्डल क्यों छोड़ा, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य उसकी चर्चा करना चाहेंगे तो वह चर्चा करने के लिए भी हम तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर इस समय हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य महोदय को अपनी बात कह लेने दीजिये।

श्री जार्ज फर्नांडीस : अगर मेरा समय इस तरह से लिया जाता है तो वह समय मुझे मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिये। समय बहुत कम है। हमारे पास अभी एक और विधेयक है।

श्री जार्ज फर्नांडीस : आज इस विधेयक के माध्यम से उन अधिकारों को फिर से लौटाने का जो इन्तज़ाम किया जा रहा है उसकी हमको खुशी है। सदन में सभी तरफ से इसको समर्थन है और विशेषकर उन्हीं लोगों ने आज इस विधेयक को यहां पर पेश करने का काम किया है जिन्होंने कुछ वर्षों पहले एक अध्यादेश के जरिए और फिर बाद में कानून के जरिए मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया था। (व्यवधान) मजदूरों के जिन अधिकारों को आप लोगों ने खत्म किया था उसको लौटाने का काम आपने किया। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमोगोंवा) : हमें भविष्य की ओर भी देखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाये। उन्हें अपनी बात कहने दीजिये। आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : जिस प्रकार के काम इन्होंने किए थे उनको देखकर शर्म आती है।

श्री जार्ज फर्नांडीस : मुझे खुशी है कि शर्म आने की स्थिति आप में है।

अध्यक्ष महोदय : हमें व्यंगात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिये। हमें केवल अपने विषय के बारे में ही कहना चाहिये।

श्री जार्ज फर्नांडीस : अध्यक्ष जी, हमें आप का संरक्षण चाहिये, इस तरह से सदन का काम नहीं चल सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा मत डालिये।

श्री जार्ज फर्नांडीस : हम को आप की तरफ से इस विधेयक पर बोलने की इजाज़त है और हम इस पर बोलना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से सदन में हरकत करेंगे तो हम कैसे बोलें ?... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा मत डालिये।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली-सदर) : ये उन्हीं मजदूरों की बात कर रहे हैं जो गाड़ियां चलाते थे और जिनकी गाड़ियों को ये उड़वाते थे, उनको मरवाते थे... **(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा मत डालिये। बिना मेरी अनुमति के कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।... **(व्यवधान)**...**

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष महोदय, इस पर एक बार फैसला हो जाय। आज हम सुबह से इस सदन में देख रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : आप शुरू करें।

श्री जार्ज फर्नांडीज : आप पहले फैसला कीजिये, इस तरह से नहीं चल सकता है। हम एक विषय पर बोल रहे हैं। अगर किसी सदस्य को कोई आपत्ति है तो उन को बोलने का अधिकार है, वे अपने भाषण में बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात रखिये, इन को क्यों छेड़ते हैं। अब बाधा मत डालिये। हमें सदन की कार्यवाही चलने दीजिये। ...**(व्यवधान)**...आपने अपनी बात कह ली। अब उन्हें अपनी बात कहने दीजिये।

श्री नरसिंह मकवाना (धांधुका) : वह ज़रूर बोलें, हमें उन को सुनना चाहिये, लेकिन इन्होंने जो अध्यादेश जारी किया—बोनस के बारे में, उस में इतनी देर क्यों की ? इस को वह पहले क्यों नहीं कर पाये ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात बाद में कह दीजियेगा। अब बीच में बाधा मत डालिये। ...**(व्यवधान)**...

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा था कि इस विधेयक की शुरूआत आपातकाल के साथ जुड़ी है। मज़दूर वर्षों से जिस लड़ाई को कर रहे थे...उन के उस अधिकार को छीन लिया गया था।...

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप कह चुके हैं, इस के आगे बढ़िये।

श्री जार्ज फर्नांडीज : इस कानून के चलते उन के उस अधिकार को एक बार फिर से देने की बात हो रही है, जिस का अध्यादेश कुछ महीने पहले, जब चौधरी चरण सिंह प्रधान मंत्री थे, जारी किया गया था। उस अध्यादेश के ज़रिये उन के उस अधिकार को देने का काम किया गया।

असल में बोनस का सवाल बहुत पेचीदा सवाल है—इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। एक अर्से से इस मसले पर हम लोग लड़ते रहे हैं—इस सदन के भीतर भी लड़ाई चली और बाहर भी चली —विशेषकर मज़दूरों के आन्दोलन के माध्यम से... **(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी प्रकार की बाधा मत डालिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आप इस हाउस को चला रहे हैं। कुछ लोग आप की बात नहीं मानते हैं। आप बार-बार प्रार्थना कर रहे हैं। कि सदस्य अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। फिर भी इस हाउस में अगर कोई सदस्य बोलेगा तो क्या हस्तक्षेप करने वालों के डिक्टेशन पर बोलेगा ? क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है—यह माननीय सदस्य का अधिकार है। अगर आप के बार-बार प्रार्थना करने के बाद भी शासक दल के कुछ सदस्यगण बोलने नहीं देंगे, तो सदन का काम कैसे चलेगा ? मैं आखरी बार प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इन को समझाइये कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं बार-बार अपील कर रहा हूं कि हाउस की कार्यवाही को चलने दें। अब तो बहुत हो गया। हमें कुछ युक्तिसंगत होना चाहिये। आप सब को बारी-बारी से टाइम मिलेगा, उस वक्त आप अपने विचार व्यक्त कीजिये। इस वक्त आप उन के विचार सुनिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई आदमी हाउस में गलत बात कहे, तो उस को हम नहीं सुन सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए अवसर दूंगा परन्तु इस प्रकार नहीं। इस प्रकार बाधा मत डालिये।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं जानता हूं—कुछ सदस्य नये हैं, उन को सदन के नियमों की जानकारी नहीं है।

श्री सी० पी० एन० सिंह (पदरौना) : जब हम व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो हमें उसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : जब व्यवस्था का प्रश्न होता है तो आपको उसकी अनुमति दी जाती है। अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब तो केवल उनके द्वारा अपने विचार व्यक्त करने का प्रश्न है। आपको भी इसका अवसर मिलेगा। अब बहुत हो गया। हमें युक्तिसंगत ढंग से कार्य करना चाहिये।

श्री सी० पी० एन० सिंह : जब हमारे मंत्री बोलते हैं, तब ये लोग भी ऐसा ही करते हैं।... **(व्यवधान)**...

श्री जार्ज फर्नांडीज : सभापति महोदय, जो कानून यहां पर आज फिर स्वीकृति के लिए मंत्री महोदय ने पेश किया है, जैसा कि मैं कह रहा था, उस कानून के चलते एक वर्ष के लिए मज़दूरों के उस अधिकार को फिर से लौटाने का इन्तजाम हो रहा है। यह एक पेचीदा समस्या है और एक अर्से से हम इस सदन के भीतर और बाहर भी इस देश के मज़दूर संगठन अपने ढंग से आवाज़ उठाते रहे हैं और संघर्ष करते रहे हैं। वह संघर्ष एक व्यवस्था के खिलाफ हमेशा चलाना पड़ा और उस संघर्ष के चलते मज़दूरों ने बोनस के अधिकार को हासिल किया था लेकिन आज भी उस में कई समस्याएं हैं, जिन का हल होना बहुत जरूरी है।

आप को मालूम है कि रेल मज़दूरों की बोनस की मांग है। डाक और तार विभाग के कर्मचारियों और रक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, उन की भी बोनस की मांग है और असल में अभी अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं, उन चुनावों के दरमियान तमाम सरकारी कर्मचारियों की ओर से जब इस सवाल को उठाया गया था, तो मुझे याद है कि दिल्ली वालों को कम से कम, हम को अफ़सोस है कि वे माननीय सदस्य आज सदन में नहीं हैं और वे चुनाव हार गये हैं, मगर हमारे मित्र श्री सी० एम० स्टीफन ने दिल्ली में कई आम सभाओं में, केन्द्रीय कर्मचारियों को यह कहा था कि उन का बोनस मांगने का अधिकार बिल्कुल जायज है और अगर हमारी सरकार चुनी जाती है, तो उस को स्वीकार करने का काम हम करेंगे। मैं इसलिए इस का जिक्र यहां पर कर रहा हूं क्योंकि स्टीफ़न साहब यहां पर नहीं हैं।... **(व्यवधान)**... मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सभी मज़दूरों की एक अर्से से यह मांग रही है। समूचे देश में कि बोनस के कानून को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में लागू न करते हुए सारे देश के मज़दूरों, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों, निजी क्षेत्र में हों या सार्वजनिक क्षेत्र में हों, सरकारी विभागों में काम करने वाले हों या सचिवालय आदि में काम करने वाले हों, पर लागू हो और सभी लोग उस के अधिकारी हों। इस मसले पर अविलम्ब विचार कर के इस को हल करना चाहिए। इस दिशा में हमारी सरकार बढ़ रही थी और जब हम शासन में थे तो रेल मज़दूरों के मसले को हम ने हल किया था और अन्य क्षेत्रों

के कर्मचारियों के मसले को हल करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे थे। अगर हम कुछ समय और रहते, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह समस्या हल हो गई होती। यह नीति का सवाल था। इस मसले का हल उस समय नहीं हो पाया। हम यह उम्मीद जरूर करना चाहेंगे कि अब अविलम्ब यह मसला हल होगा और इस मसले को हल करने की दिशा में कदम बढ़ेंगें।

इस के साथ ही साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए में एक बात और कहना चाहूंगा। बार बार यह बात चलती है कि मजदूरों के लिए जब बोनस देने का सवाल आता है, तो एक हल्ला होता है, मालिक वर्ग की तरफ से यह कहा जाता है कि मजदूरों को अगर बोनस दिया जाएगा, तो तमाम चीजों, के दाम बढ़ जाएंगे। मुझे याद है कि 1975 में जब अध्यादेश का ऐलान किया गया था, उस समय मैं भूमिगत था तो उस अध्यादेश के संबंध में भी यही कहा गया था। उस अध्यादेश के समर्थन में यह कहा या था कि इस अध्यादेश की जरुरत इसलिए पड़ी कि एन्टीइंफलेशनरी कदम उठाने थे। एन्टीइंफलेशनरी कदम उठाने की बात भी मजदूरों पर हमला कर के की गयी। जब आप एन्टी-इंफलेशनरी कदम उठाये तो कम से कम मजदूरों पर तो हमला न करें।

मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश का जो बडा पूंजीपती वर्ग है उसकी बीमार कंपनियों मे, आपके बैंकों के जरियें से, आपके हाथों एक हजार करोड़ रुपया डूबा हुआ है। पूंजीशाही को बचाने के लिए, उनमे डूबे हुए देश के रुपये से इस मुल्क को बचाने के लिए आपको मजदूरों पर हमला करना होता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को पास करते समय आप इस बात को देखे कि आगे से ऐसी परिस्थिति न आने पावे जिससे कि मजदूरों पर हमला हो।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः इस विषय के बारे में बोनस विधान के इतिहास को यहां याद करना अपेक्षित होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह तो पुनरावृत्ति होगी। आपको कोई नई बात कहनी चाहिये। इसका इतिहास तो पहले ही बताया जा चुका है। इसको दोहरा कर आप बात को अधिक महत्वपूर्ण नहीं बना पायेंगे। **(व्यवधान)** मैं चाहता हूं कि आपकी बात उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिये। केवल अपनी बात कहिये।

श्री निरेन घोष : कई बार ऐसा कहा जाता है कि मजदूरों को मजूरी बढ़ाने के लिए आन्दोलन करना चाहिये क्योंकि पश्चिमी देशों में तो ऐसा नियम ही है। परन्तु हम यह कहते हैं कि हमारे यहां आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी नहीं है यद्यपि 15वें श्रमिक सम्मेलन में इसकी मंजूरी दी गई थी। सरकार उससे पीछे हट गई। मजूरी में कटौती तथा मजूरी की कम दर के कारण, बोनस को भी स्थगित मजूरी माना जाता है। हमें इस अवसर पर यह बात याद रखनी चाहिये।

इसके साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि श्रीमती गांधी की सरकार ने रेल कर्मचारियों को एक वर्ष के लिए बोनस देने की मंजूरी वाला विधान प्रस्तुत किया है। हमें मालूम नहीं है कि बाद में क्या होगा। श्रीमती गांधी के शासनकाल में तथा आपातस्थिति के दौरान मजदूर वर्ग पर फासिस्ट हमले किये गये थे। आपात स्थिति की घोषणा से पहले ही, रेल कर्मचारियों को बोनस सम्बन्धी हड़ताल को समाप्त करने के लिए मजदूर वर्ग पर हर प्रकार से हमले किये गये तथा उन्हें उनके बोनस के अधिकार से वंचित रखा गया। मुझे याद है कि विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ हुई बैठक में, मने श्रीमती गांधी से,—जब कि स्वर्गीय श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने हड़ताल का समझौता करवाने का फार्मुला प्रस्तुत किया था,—बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह पूछा था कि क्या आप वास्तव में बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि बातचीत का अर्थ यही होता कि वह रेल कर्मचारियों को बोनस का कुछ

[श्री निरेन घोष]

अंश देने के लिए तो तैयार होती । उस बैठक में श्रीमती गांधी ने साफ कह दिया था कि वह ऐसा नहीं करना चाहती और यही कारण है वह हड़ताल चलती गई । इस हड़ताल को पूरी तरह से कुचल दिया गया । अब मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में और कुछ कर पाना सम्भव नहीं था क्योंकि इस बीच घटनाक्रम पूरा घूम गया है तथा अब इस पर विधान बनाना ही पड़ना था । परन्तु हमें सरकार की आगे की कार्यवाही के बारे कुछ नहीं बताया गया है ।

बोनस अधिनियम के वर्तमान बोनस फार्मूले में और अधिक सुधार किया जाना चाहिये । अधिकतम सीमा समाप्त कर दी जानी चाहिये । वर्तमान अधिनियम के अनुसार कोई भी मजदूर 20 प्रतिशत से अधिक बोनस प्राप्त नहीं कर सकता है । अधिकतम बोनस 20 प्रतिशत है । सम्पूर्ण मजदूर संघ आन्दोलन इस बात की मांग करता है कि उसको अधिकतम-सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिये । यह 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत तक भी हो सकता है । जब किसी संगठन को 100 प्रतिशत या 150 प्रतिशत या फिर 200 प्रतिशत या उससे अधिक का लाभ प्राप्त होता है तो फिर इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, बोनस की सीमा 20 प्रतिशत ही क्यों रखी जाये । क्या कम्पनियों के लाभ पर कोई रोक लगाई गई है ? क्या करापवंचन तथा काले धन को बढ़ाने पर कोई रोक है ? प्रत्येक वर्ष 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ रुपये का करापवंचन होता है । लगभग 30,000 करोड़ रुपये का काला धन हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ चल रहा है जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है । उस पर कोई आक्रमण नहीं किया जाता है । आक्रमण तो केवल मजदूर वर्ग, मजूरी करने वाले लोगों पर ही किया जाता है चाहे वह लोग गांवों में रहते हो या शहरों में । सरकार द्वारा इसी कार्यवाही का अनुसरण किया जा रहा है ।

इसके साथ ही स्लेब की व्यवस्था की गई है कि यदि किसी कर्मचारी की आय 1800 से अधिक या उसके आसपास हो तो वर्तमान अधिनियम के अनुसार उसे बोनस नहीं मिल सकता । यह समाप्त किया जाना चाहिये । प्रबन्धक वर्ग को छोड़कर सभी कर्मचारियों को बोनस प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये । जहां तक सभी को बोनस देने के मामले का प्रश्न है, उसके बारे में हमारा कहना है कि बोनस सभी विभागीय उपक्रमों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सभी केन्द्रीय सरकारी तथा राज्य कर्मचारियों को बिना किसी अपवाद के दिया जाना चाहिये । यही हमारी मांग है ।

रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादिकता से सम्बद्ध बोनस की स्वीकृति दी गई है । हमारा दल इसका विरोध करता है । बोनस स्थगित भुगतान माना जाना चाहिए । इसे उत्पादिकता से जोड़ने की मांग बड़े-बड़े धनी उद्योगपतियों की है । हम इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते । हम इसका पूरी तरह विरोध करेंगे । यद्यपि रेल कर्मचारियों के लिए बोनस स्वीकार कर लिया गया है तथापि हमारा दल उत्पादिकता से सम्बद्ध बोनस को स्वीकार नहीं कर सकता ।

अंत में, यह कहना कि बोनस देने से तथा मजूरी बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है, निराधार है । इस बारे में अर्थशास्त्र के नियम का पता होना चाहिए । यदि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सामान्य रूप से मजूरी में वृद्धि हो तो फिर कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो सकती । यह अर्थशास्त्र का एक नियम है । हमें इसका पता होना चाहिए । मुद्रास्फीति नियोजकों, सरकार की नीतियों तथा करापवंचन तथा काले धन के कारण होता है । आप इन बुराइयों को तो समाप्त नहीं कर रहे हैं बल्कि उल्टे केवल मजदूर वर्ग पर ही प्रहार कर रहे हैं जो कि भारत में सर्वाधिक संख्या में हैं । आप जन-विरोधी तथा मजदूर वर्ग-विरोधी हैं । मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि इस तरह का नीति से

मजदूरों के साथ टकराव होगा। हम इसका सामना करेंगे। हम काफी समय से इसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। हम आनेवाले वर्षों में संसद में तथा संसद के बाहर समुचित बोनस प्रणाली तथा बोनस नियम के लिए संघर्ष आन्दोलन आदि के द्वारा लड़ते रहेंगे। जो भी कदम आवश्यक हैं, हम एक होकर उठायेंगे। मुझे आशा है कि इस बात पर सभी कार्मिक संघ एक होकर काम करेंगे और आन्दोलन कमजोर न हो, इसके लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में सभा के समक्ष यह विधेयक सीमित क्षेत्र वाला है। सभा के समक्ष इस विधयक में बोनस की व्यापक समस्या से सम्बन्धित सभी बातें नहीं हैं, जिन्हें हम लाना चाहते हैं। अतः मैं बोनस की समस्या के सभी पहलुओं की गहराई में नहीं जाना चाहता। यही कहना पर्याप्त है कि बोनस का सिद्धांत निर्वाह मजूरी तथा वर्तमान मजूरी के बीच विद्यमान अंतर के कारण उत्पन्न हुआ है। आंशिक रूप से यह सिद्धांत इस अंतर को दूर करने के लिए सामने आया है।

अब प्रश्न यह है कि यह विशेष विधेयक इस बोनस लाभ को केवल किसी विशेष अवधि तक सीमित रखने के लिए है। मैं केवल इतना सुझाव देना चाहता हूं कि इस देश में मजदूरों ने यह अधिकार बहुत लम्बी लड़ाई के पश्चात् प्राप्त किया है उनके राजनीतिक सम्बन्ध को आप छोड़िये। बोनस का सिद्धांत इस देश में काफी लम्बे समय तक संघर्ष करने के पश्चात् सामने आया है विभिन्न केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन बोनस के सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या इसका विस्तार किया जायेगा और क्या इस विधेयक का विस्तार किया जायेगा। इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी को एक ठोस सुझाव यह दूंगा कि केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन की एक बैठक बुलाई जाये और इन मामलों पर उसमें विचार किया जाये। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समस्या का कोई न कोई हल निकल आयेगा। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि आपात स्थिति के दौरान इस अधिकार को, जो लगातार कई संघर्षों के पश्चात् प्राप्त किया गया था, छीन लिया गया था। किन्तु मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि यद्यपि यह अधिकार छीन लिया गया था और बाद में पुनः मजदूरों को दे दिया गया था तथापि इस सम्बन्ध में पुनः एक विधेयक लाया गया है। विधेयक चाहे कोई भी लाये। जहां तक हमारा, जो कि मजदूरों तथा किसानों के रक्षक है, सम्बन्ध है, हम इस बात को कोई महत्व नहीं देते कि विधेयक किस पक्ष की ओर से लाया गया है। यदि कोई विधेयक मजदूरों तथा किसानों और अन्य लोगों के हित में है तो हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। जिस ढंग से यहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया है, उससे पता चलता है कि कतिपय ऐसे मामले होते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर के होते हैं और जिनका सभी पक्ष समर्थन करते हैं। उसी भावना से मैं चाहता हूं कि बोनस की समस्या को एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या समझा जायेगा और उस भावना को बनाए रखते हुए मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि पारस्परिक दोषारोपण न किया जाये। कुछ लोग हमारी बातें पसंद न करे किन्तु वे अपने विचार व्यक्त करे सकतें हैं। इस सभा की यह परम्परा रही है कि यहां स्वतंत्र रूप से वादविवाद होता रहा है और मुझे आशा है कि चाहे श्री जार्ज फर्नानिडिस अपने विचार व्यक्त कर रहे हों या प्रो० रंगा, इस सभा में सबके विचार सुने जाये। मैं चाहता हूं कि यह सभा वोल्टयर की उस भावना को अपना ले जिसमें उन्होंने कहा, "आपने जो कुछ कहा है, मैं उससे बिलकुल भी सहमत नहीं हूं किन्तु यह सब कहने के आपके अधिकार की मैं अंत तक रक्षा करूंगा।" इसी भावना से यहां स्वतंत्र रूप से वादविवाद चलना चाहिए और बोनस के मामलों पर भी इसी तरह चर्चा होनी चाहिए। हमसे जो लोग सरकार में हैं वे भी भलीभांति जानते हैं कि इस विधेयक का सीमित उद्देश्य है। इसलिए मैं इस विशेष चरण पर इसके क्षेत्र का विस्तार नहीं

[प्रो० मधु दंडवते]

करना चाहता किन्तु श्रम मंत्री को कवल चेतावनी देता हूं कि व्यापक मामलों को हल किया जाना है और उनका समाधान टकराव से नहीं बल्कि मजदूर वर्ग से बातचीत तथा विचार-विमर्श से ही संभव है।

मुझे आशा है और विश्वास है कि केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों तथा विभिन्न महासंघों के विचारों को ध्यान में रखा जायगा और इस विधेयक के क्षेत्र को व्यापक बनाकर बोनस की समस्या हल की जायेगी ।

[श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुए]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं बोनस के बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हुं । मेरे से पूर्व यहां पर जिस प्रकार के विचार प्रकट किये गये बोनस के संबंध में और इमरजेंसी के समय में बोनस के सम्बन्ध में जो विचार उन्होंन प्रकट किये उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश में जब से ट्रेड यूनियन मूवमेंट चला है कांग्रेस ने उसका समर्थन किया है । सदैव मज़दूरों को आगे बढ़ाने में कांग्रेस योगदान देती रही है ।

कांग्रेस ने बोनस के विषय को सबसे पहले देश में लागू करने की व्यवस्था की । 8.33 प्रतिशत बोनस कांग्रेस ने ही तय किया । मिनिमम बोनस की स्थापना में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है । जो लोग आज बोनस के सम्बन्ध में कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा कर मज़दूरों को बोनस देने से रोक दिया, वह निश्चित रूप से दुर्भावना से प्रेरित हैं । कांग्रेस ने कभी भी यह नहीं चाहा कि मज़दूरों को बोनस न दिया जाये । हम समझते हैं कि बोनस मज़दूर का डेफ़र्ड वेज है और उसको हर हालत में मिलना चाहिए । कोई भी शक्ति मज़दूर के बोनस को नहीं रोक सकती है । जिन लोगों ने बोनस के सिद्धांत को लागू किया है और मज़दूरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की बात कही है, उनके सम्बन्ध में इस प्रकार की बात करना इस बात का द्योतक है कि ये लोग दुर्भावना से प्रेरित हैं ।

जब उनके पास शासन था, तो उन्होंने मज़दूरों का क्या हित किया ? शासन में आने से पहले वह ऊंची ऊंची डींगें हांका करते थे कि हम रेलवे मज़दूरों को ज्यादा से ज्यादा बोनस दिलायेंगे, और अगर नहीं दिला सके, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । लेकिन शासन में आने के बाद उन्होंने इस्तीफे का नाम तक नहीं लिया । उन्होंने रेलवे के मज़दूरों को बोनस नहीं दिया, बल्कि उनको ज्यादा से ज्यादा शोषित और पीड़ित करने में बहुत ज्यादा योगदान किया । इस तरह के लोग मज़दूरों का शोषण करते हैं और उनका कोई हित नहीं करते हैं । आज जिन परिस्थितियों में से हमारा देश गुज़र रहा है, कांग्रेस और खास तौर से इंटक की यह धारणा है कि बोनस मज़दूर का डेफ़र्ड वेज है और उसको निश्चित रूप से मिलना चाहिये । इसमें कोई दो राये नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इस बात का ठेका नहीं है कि मज़दूरों को सिर्फ 8.33 परसेंट बोनस मिले, उससे ज्यादा मिलना चाहिए, इंडस्ट्री को जितना प्राफिट हो, उसके हिसाब से मज़दूर को बोनस मिले । हम इस भावना का समर्थन करते हैं । कांग्रेस और इंटक ने इसका समर्थन किया है । जैसा कि श्री दंडवते ने कहा है, यह एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, बल्कि सब सैंट्रल ट्रेड यूनियन्ज़ को मिल कर इसके सम्बन्ध में कोई निर्णय लेना चाहिए और लेबर मिनिस्टर के समक्ष रखना चाहिए, जिससे तमाम मज़दूरों को प्रोत्साहन मिले, वे इस देश को और शक्तिशाली तथा मज़बूत बनाने में अपना योगदान कर सकें और हमारी इंडस्ट्रीज़ में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सकें । यह व्यवस्था हमारे लिए बहुत सुखद होगी ।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि लेबर मिनिस्टर साहब इस पर और ज्यादा ध्यान देंगे ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी इस बिल को सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं एक दो रिमार्क्स इस के बारे में करना चाहता हूं ।

चूंकि एक एड हाक आर्डिनेंस था, इसलिए यह एड हाक बिल आया है । लेकिन मज़दूरों के लिए एड हाक तरीके से काम कब तक चलता रहेगा ? रोज़ कुंआं खोदो और रोज़ पानी पिओ, इस तरह एक एक साल के लिए व्यवस्था कब तक की जाती रहेगी ? हम लोग चाहते हैं कि इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल जल्द से जल्द पास होना चाहिए । कामरेड दंडवते ने कहा है कि लेबर मिनिस्ट्री सब लोगों की मीटिंग कर के एक काम्प्रिहेंसिव बिल जल्द से जल्द लाये ।

हम लोग जानते हैं कि बोनस हमारा डेफ़र्ड वेज है—यह हमारी नीति है । हम लोग यह भी जानते है कि बोनस छीन लिया गया था । हम यह भी जानते हैं कि बोनस छीनने के बाद क्या हालत हुई । मज़दूरों का बोनस छीने जाने से वे एन्टी-गवर्नमेंट हो गये थे । हम जानते हैं कि इनटक बराबर हमारे साथ रहा है । यह प्रमाणित हो गया है कि जो हमसे टकरायेगा, वह चूर चूर हो जायेगा । सरकार चूर चूर हो गई, क्योंकि उसने मजदूर का बोनस छीन लिया था ।

इस कानून के मुताबिक 20 परसेंट से ज्यादा बोनस किसी को नहीं मिल सकता है । हम ोग चाहते हैं कि सैक्शन 34(1) में यह संशोधन किया जाये कि बाहर से नेगोशिएट कर के बोनस को बढ़ाया जा सकता है । हम सीटू के दोस्तों के साथ इस बारे में एकमत हैं कि रेलवेमैन को बोनस इस प्रिंसिपल पर देना होगा कि बोनस डेफ़र्ड वेज है । अगर बोनस को प्राडक्टिविटी के साथ के सम्बद्ध किया जायेगा, अगर सरकार ने एक बार प्राडक्टिविटी के साथ सम्बद्ध कर के बोनस देने का निश्चय कर लिया, तो प्राईवेट सैक्टर वाले ज़रूर इससे फायदा उठायेंगे और सरकार जो स्टैचुटरी बोनस देने के बारे में बातचीत कर रही है, जिसमें बोनस को डेफ़र्ड वेज की हैसियत से मन्जूर किया गया है, वह हमारे हाथ से निकल जायेगा । इसलिए रेलवेमैन, पोस्टल और डिफ़ेंस एम्पलाईज़ और सभी सरकारी कमचारियों को दिय जाने वाले बोनस को प्राडक्टिविटी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, और उन सब को बोनस मिलना चाहिए, यह हमारी मांग है ।

लास्ट प्वाइंट मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अगर नहीं हुआ तो अतीत हम लोग जानते हैं । यह सरकार अगर एडहाक तरीके से चलती चली जायगी तो हमारे सरकारी कर्मचारियों से शुरू कर के और जितने सेक्टर इस को मानने क लिए तैयार नहीं हैं, उन सब के कर्मचारी इस के लिए आवाज उठाएंग । इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि सरकार कंट्रोवर्सी में न जा कर इस को सुधारे । यही मुझे आप से कहना है ।

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं सम्माननीय सभा तथा माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक का उदारता से समर्थन किया है । यहां तक उन लोगों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है, जो कि अकारण ही इस सरकार के आलोचक हैं । इस विधेयक का उद्देश्य अध्यादेश को कानूनी रूप देना है ।

मैंने बताया है कि इस विधेयक का सीमित उद्देश्य है । इसका प्रयोजन 1979 के अध्यादेश का स्थान लेना है और संसद का एक अधिनियम पारित करना है जिसके बिना इस देश के कई मजदूर वर्ग अपने अधिकारों से वंचित रह जायेंगे । मैं बहुमूल्य सुझाव देने के लिए माननीय सदस्यों का धन्यवाद

[श्री जे० बी० पटनायक]

करता हूं विशेषकर प्रो० दंडवत का, जिन्होंने रेल कमचारियों को बोनस का वचन दिया था किन्तु अपन वचन का पालन नहीं कर सके। उन्होंने ठीक ही कहा है कि बोनस नीति तयार करते समय सरकार को देश के सभी कार्मिक संघों तथा अन्य सम्बन्धित लोगों से विचार विमश करना चाहिए। मैं उनके सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं।

जैसा कि मैं बार-बार कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं—यह एक तदथ अधिनियम है। हम तदर्थ समाधानों में विश्वास नहीं करते। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए तदर्थ समाधान किए जा रहे हैं। दुर्भाग्य से मजदूरों की समस्याओं का यह तदर्थ समाधान भतपूर्व दो सरकारों का है–लोकदल सरकार का तथा जनता सरकार का. . . (व्यवधान)। उन्होंने यह तदथ समाधान 1977 तथा 1979 में किया था. . . (व्यवधान)। श्रीमान इस देश में मजदूरों के कल्याणार्थ जो भी प्रगति की गई है, मैं निमीकता तथा बिना किसी विवाद के यह कह सकता हूं कि वह कांग्रस के 30 वर्षों के शासनकाल के दौरान की गई। यहां तक कि 1965 का बोनस अधिनियम भी कांग्रस सरकार की ही देन थी। कांग्रेस सरकार ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति की थी और उस समिति की सिफारिशें कांग्रेस सरकार ने स्वीकार की थी जिसके फलस्वरूप 1965 के बोनस अधिनियम का जन्म हुआ। अत: मजदूरों को बोनस देने का श्रेय स्वयं लेने का प्रयास मत कीजिए। मजदूरों को विभिन्न तरीकों तथा 1965 के बोनस अधिनियम के माध्यम से बोनस देने का श्रय कांग्रस को ही जाता है।. . (व्यवधान) . . यदि हम इसी तरह दोषारोपण करते रहें तो ऐसी कई बातें होंगी जो कि हम अन्य सरकारों के विरुद्ध कह सकते हैं।

श्री जाज फर्नानडिस, जो मजदूरों को बोनस देने के बारे में इतना शोरशराबा मचाते थे, ने धमकी दी थी कि यदि मजदूरों को बोनस न दिया गया तो वह स्वयं त्यागपत्र दे देंगे किन्तु उनकी कथनी और करनी में अंतर था।

हमें पारस्परिक छींटाकसी नहीं करन चाहिएं क्योंकि इससे न तो मजदूरों को लाभ पहुंचेगा और न ही उनके समर्थन में बोलने वालों को। इस बोनस नीति के कतिपय अन्य पहलू भी हैं जिनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। एक तो यह है कि हम एक व्यापक बोनस नीति तैयार कर रहे हैं। हम कई प्रस्तावों पर विचार करेंगे। जब हम इस सम्बन्ध मे कार्मिक संघों के नेताओं से विचार विमर्श करेंगे तो हम माननीय सदस्यों के सुझावों को भी ध्यान मे रखेंगे।

इस अधिनियम के क्षेत्र के विस्तार, बोनस की अधिकारिता के लिए वेतन सीमा बढ़ाने, न्यूनतम देय बोनस को बढ़ाने, जब लाभ न हो तो न्यूनतम बोनस समाप्त करने, बोनस की अधिकतम सीमा दूर करने, उस अधिनियम के अन्तर्गत फार्मूले से भिन्न फार्मूले पर बोनस संदाय सम्बन्धी उपबन्ध में समुचित संशोधन करने या उसे पूरी तरह हटा देने, घाटे में चल रहे प्रतिष्ठानों को अधिनियम के अंतर्गत बोनस देने से छूट देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने तथा अन्य मामलों के बारे में सरकार को कई प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। सरकार इन सब प्रस्तावों पर खुले दिल से गुणावगुण के आधार पर विचार करना चाहती है और सभी सम्बन्धित संगठनों आदि से इस सम्बन्ध में विचार करने के पश्चात् व्यापक रूप से समुचित निर्णय लेना चाहती है।

जहां तक बोनस फार्मूले के बारे में श्री नीरेन घोष के इस सुझाव का सम्बन्ध है कि मजदूरों को दिया जाने वाला बोनस स्थगित मजूरी समझा जाना चाहिए, इस पर सरकार गहराई से विचार करेगी।

जहां तक रेल तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों को बोनस देने का सम्बन्ध है, मैं पुनः यही कह सकता हूं कि सरकार इस पर खुले दिल से विचार करेगी। जहां तक रेल कर्मचारियों को बोनस देने सम्बन्धी वचन का सम्बन्ध है, हम इस वचन का पालन करेंगे। जहां तक इसे अन्य विभागों पर लागू करने का सम्बन्ध है, इस पर और अधिक जांच करने की आवश्यकता है। हम इस पर उदारता से विचार करेंगे ।

श्रीमान् इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि विधेयक पर विचार किया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1977 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2

सभापति महोदय : अब हम खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

खण्ड 2 के लिये श्री जी० एम० बनातवाला का एक संशोधन है। क्या आप उसे पेश करना चाहते हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : सभापति महोदय, मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं :

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 11 तथा 12,—

"और सन् 1978 में किसी भी दिन को प्रारंभ होने वाले लेखा वर्ष के बारे में के" **स्थान पर**

"सन् 1978 में किसी भी दिन को प्रारम्भ होने वाले लेखा वर्ष के बारे में और तत्पश्चात् प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष में किसी भी दिन को प्रारम्भ होने वाले उस पश्चात्वर्ती वर्ष के बारे में"

प्रतिस्थापित किया जाय ।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन की पारिभाषिकता को विस्तृत न किया जाये। मैं इन बातों को अच्छी तरह से समझता हूं। संशोधन देने का मेरा अभिप्राय केवल यही है कि बोनस की अदायगी के सम्बन्ध में अपनायी गई तदर्थ नीति का विरोध प्रकट करूं।

महोदय, हमारे राष्ट्रीय जीवन में विपत्ति का यही कारण है। प्रत्येक राजनैतिक दल ने चुनावों से पहले तथा बाद में बोनस का भुगतान करने का वचन दिया। लेकिन सरकार बनने के तुरन्त पश्चात् ही सरकार ने इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति अपनाई है। इसलिये सभी दलों के सम्बन्ध में चाहे जनता पार्टी हो लोकदल हो अथवा चाहे कांग्रेस ही क्यों न हो जो कि इस समय सत्ता में है सभी का एक जैसा ही रवैया है। सरकार द्वारा बहुत से सुझाव प्राप्त किये गये हैं। आदरणीय मंत्री महोदय ने सदन को यह आश्वासन दिया है कि उन सुझावों पर स्पष्ट रूप से विचार किया जायेगा। उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया है कि एक विशद नीति अपनाई जायेगी। उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया है कि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से परामर्श लिया जायेगा। महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि बोनस के भुगतान करने के प्रश्न का और अधिक विलंब असहनीय है। अब इस प्रकार की सभी तदर्थ नीतियों को समाप्त किया जाना चाहिये। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस मूल तथ्य को मानने में कोई विवाद नहीं है कि जो वेतन दिये जा रहे हैं वे न्यूनतम जीवन-निर्वाह वेतन नहीं है। इस प्रकार बोनस के सम्बन्ध में जो प्रवृत्ति अपनाई जाती है वह केवल आस्थगित वेतन के रूप में है और जब इस प्रकार की बात है तब तदर्थ नीति को अपनाना तथा इस मामले में विलंब करने का कोई अर्थ नहीं है ।

[श्री जी० एम० बनातवाला]

इसलिये मैं कहता हूं कि इस प्रश्न की ओर तत्परता से ध्यान दिया जाना चाहिये। बोनस का भुगतान सत्तारूढ़ दल की दया पर निर्भर नहीं करना चाहिये। प्रत्येक वर्ष काफी शोर-शराबे के पश्चात् सरकार अधिनियम में संशोधन करती है। इस समय सरकार से मैं यह निवेदन करता हूं कि बोनस के भुगतान के प्रश्न को आस्थगित वेतन के रूप में माना जाये तथा इस मामले को तुरन्त स्वीकार किया जाना चाहिए। अन्य विभिन्न सुझावों के सम्बन्ध में सरकार एक विस्तृत विधेयक ला सकती है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में यह स्वीकार करने में क्या कठिनाई है कि बोनस आस्थगित वेतन के अलावा कुछ भी नहीं है। निःसंदेह रूप से यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अर्थात् 1976, 1977 तथा 1978 में अधिनियम का संशोधन किया गया तथा प्रत्येक वर्ष कानूनी तौर पर न्यूनतम बोनस को स्वीकार किया गया। यदि उस आधार पर किसी विशेष वर्ष में न्यूनतम बोनस को स्वीकार किया जाता तब बोनस के बारे में स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति इस सिद्धांत की तात्कालिक स्वीकृति की अपेक्षा कर सकता है। जिसके लिये अधिकतर सदन के प्रत्येक दल द्वारा आंदोलन किया गया है।

इसलिये मेरा यह मत है कि बोनस अदायगी के प्रश्न को सत्तारूढ़ दल, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। बोनस भुगतान के सिद्धांत की सांविधिक मान्यता होनी चाहिए। मजदूर वर्ग के ऊपर प्रत्येक वर्स जो क्रूर मजाक किया जाता है उसे समाप्त किया जाये तथा इसके सिद्धांत को तुरंत सांविधिक मान्यता दी जानी चाहिए। बोनस के लिये ग्राह्य वेतन की धनराशि इत्यादि के संशोधन करने के विभिन्न अन्य प्रश्नों पर बाद में विचार किया जा सकता है। लेकिन इस मूल सिद्धांत को हमेशा स्थगित नहीं रखना चाहिये। प्रत्येक वर्ष काफी आंदोलन होने के उपरांत सरकार किसी विशेष विधेयक को लाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक क्रूर मजाक है जो मजदूर वर्ग के साथ किया जाता है। इसको समाप्त करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि एक विस्तृत विधेयक को लाया जायेगा। लेकिन कब लाया जायेगा, इसकी हमें जानकारी दी जाये। इसके बारे में मजदूर वर्ग के प्रत्येक वर्ग को आश्वासन दिया जाना चाहिए। रेलवे, डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों, रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों, तथा सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य मजदूर वर्गों को बोनस देने के प्रश्न पर तुरंत निर्णय लिया जाना चाहिए। सरकार भी इन लोगों से तदर्थ कार्य की अपेक्षा ठीक प्रकार से कार्य करने की अपेक्षा करती है। फिर आप उनको तदर्थ आधार पर बोनस देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? यह एक बहुत ही अनुचित बात है। माननीय मंत्री महोदय को संशोधन की परिचालिकता तथा विधेयक को लाने की योजना तथा मेरे संशोधन से सम्बन्धित अन्य सभी बातों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिये। उनको सदन में स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देना चाहिये कि वे एक विस्तृत विधेयक को सदन में ला रहे हैं। जो बोनस के सम्बन्ध में सांविधिक अधिकार को मान्यता देने के बारे में हो। अब कोई भी विलंब असह्य है। इसी अभिप्राय के लिये मैंने अपना संशोधन पेश किया है तथा मैं इसकी स्वीकृति के लिये सदन को सिफारिश करता हूं। धन्यवाद।

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मेरे माननीय मित्र श्री बनातवाला ने काफी लम्बा भाषण दिया है लेकिन उन्होंने ऐसा कोई नया मुद्दा नहीं उठाया है जिसका मैंने अपने भाषण में जिक्र न किया हो। उन्होंने केवल एक बात नई कही है और वह यह है कि सरकार आवश्यक विधेयक को सदन में कब लायेगी। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि त्योहारों के मौसम आने से पूर्व विधेयक को सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत कर दिया

जायेगा। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कोई भी विधेयक तदर्थ आधार पर नहीं लाया जायेगा। सरकार किसी भी प्रकार के तदर्थ विधान में विश्वास नहीं करती है।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस आश्वासन से मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं। मैं अपने संशोधन को वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा इस बात से सहमत है कि श्री बनातवाला द्वारा पेश किये गये संशोधन को वापिस लिया जाये।

संशोधन को सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 तथा 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधयक में जोड़ दिये गये।

श्री ज० बी० पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

अब श्री रामावतार शास्त्री बोलेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं।

मंत्री महोदय को और सरकार को यह स्पष्ट हो चुका होगा इस सदन की बहस से कि अस्थाई व्यवस्था का अंत यथाशीघ्र होना चाहिए और एक स्थायी कानून बोनस के बारे में इस सदन के सामने पेश किया जाना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि बोनस का जो यह अधिकार है, यह हिन्दुस्तान के श्रमजीवी वर्ग को किसी सरकार की कृपा से नहीं मिला है। हिन्दुस्तान के मजदूरों ने बडे-बडे संघर्ष किये हैं, बडी-बडी कुर्बानियां की हैं और सरकार को विवश किया है कि वह इस तरह का कानून बनावे। उसी का फल है कि आप यह कानून ले कर आज हमारे सामने उपस्थित हुए हैं।

तीसरी बात म यह कहना चाहता हूं की बोनस की जो व्यवस्था रेल मजदूरों, डाक-तार के कर्मचारीयों और रक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए उत्पादकता की शर्त लगा कर की गयी है, वह गलत है। उस शर्त को मानने के लिए न रेल मजदूर, न डाक-तार के मजदूर और न रक्षा विभाग के मजदूर तैयार हैं। उनमें बहुत भयंकर असंतोष है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस उत्पादकता की शर्त को समाप्त कर 8.33 परसेंट बोनस उन्हें भी दें। अगर आप यह शर्त रखेंगे कि 1977-78 की उत्पादकता के बराबर वे काम करेंगे तो उनको 25 दिन का बोनस मिलेगा तो इससे उनका अहित होगा। आज कोयला नहीं मिल रहा है, डिजल नहीं मिल रहा है जिसका असर मजदूरों की उत्पादकता पर भी पड़ता है। इन चीजों की कमी की जवाबदेही मजदूरों पर नहीं है लेकिन इनकी कमी की वजह से, मुझे भय है, उत्पादकता के नाम पर उनका बोनस कट जाएगा और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वे बोनस के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं की इसमें संशोधन कर के इस शर्त को हटा दिया जाए और उन्हें भी दूसरे मजदूरों की तरह 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाए।

[श्री रामावतार शास्त्री]

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकारों के कर्मचारी, आल इंडिया रेडियों में, अस्पतालों में, विश्वविद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी भी बोनस की मांग कर रहे हैं। सरकार को इनके प्रतिनिधियों, इनकी युनियनों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए और उन्हें बोनस देने का सिद्धांत स्वीकार करना चाहिए। उनके लिए भी कोई रास्ता निकाल कर उनके असंतोष को समाप्त किया जा सकता है। आपको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि आपको इतना बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ है। आपको राइटिंग आन दि वाल को समझना चाहिए। आप भूलिए मत कि जिन्होंने आपको गद्दी पर विठाया है, वही लोग आप को उठा कर फेंक भी सकते हैं। इसका नतीजा आपने 1977 में देख लिया है। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि आप ऐसा इरादा ले कर काम किजिए जिससे सभी मजदूर वर्ग को बोनस का अधिकार प्राप्त हो, तभी आप मजदूर वर्ग का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप को सुबुद्धी आयी तो मुझे आशा है कि आप हमारी बात पर विचार करेंगे।

श्री जे० बी० पटनायक : महोदय, यदि श्री रामावतार शास्त्री मेरी बात को भली भांति सुनते तो उन्हें अपना भाषण देने की आवश्यकता नहीं थी। उनके द्वारा उठाये गये सही मुद्दों पर मैंने अपने पूर्व के भाषण में जिक्र किया है,लेकिन वे एक राजनैतिक भाषण देना चाहते थे और इसी कारण से वह भाषण दिये बिना न रह सके। मैं उनको केवल इतना बता सकता हूं कि उन मजदूरों, जिनका की उनकी पार्टी प्रतिनिधित्व करती है अथवा विपक्ष की अन्य पार्टियां जिनका प्रतिनिधित्व करती है, के कल्याण के लिये यह सरकार अधिक वचनबद्ध है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं श्री रामावतार शास्त्री तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों को उस समय ध्यान में रखा जायेगा जबकि सरकार एक व्यापक बोनस विधेयक को तैयार करेगी और श्रमिक नेताओं तथा अन्य नेताओं से बातचीत करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के अधीन पांडीचेरी, गोवा, दमन और दीव, मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों में विधान-सभाएं हैं और अपनी संचित निधियां हैं। संघ राज्य क्षेत्र के संचित कोष से विनियोग विधान-सभा द्वारा बनाये गये कानून द्वारा ही किया जा सकता है। संघ राज्यक्षेत्र पांडीचेरी की विधानसभा को 12-11-1978 को भंग किया गया था और इसलिए 30-9-1979 तक का लेखा अनुदान संसद् द्वारा पास कराया गया था। बाद में 27-4-1979 को गोवा, दमन और दीव की विधान सभा को भंग कर दिया गया था। उस समय उस संघ राज्यक्षेत्र की विधान-सभा ने केवल दो मास की अवधि तक का लेखा अनुदान पास किया था। गोवा, दमन और दीव के लिए 30-10-1979 तक का अगला लेखा अनुदान संसद द्वारा पास कराया गया था।

महोदय, उस समय यह आशा की गई थी कि इन राज्य क्षेत्रों के संपूर्ण बजट उनकी विधान-सभाओं द्वारा यदि उन तारीखों से पहले उनका पुनर्गठन हो जाता है तो या संसद द्वारा पास किए जा सकते हैं। कुछ भी हो छठी लोकसभा को 22-8-1979 को भंग कर दिया गया और यह निर्णय किया गया कि नई विधान सभाओं के चुनाव भी लोक सभा के चुनावों के साथ कराये जाने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 357(1)(ग) के समान संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में अधिकार प्रदान करने वाला ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, एतद् उन तिथियों से आगे, जिनका लेखा अनुदान संसद मंजूर कर चुकी है, इन संघ राज्यक्षेत्रों के संचित कोषों से किसी प्रकार की धन-राशि निकालना सम्भव न था। अतः राष्ट्रपति ने संघ राज्यक्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 1979 को 25-9-1979 को जारी कर दिया। इस अध्यादेश ने कथित अधिनियम में संघ राज्यक्षेत्र के संचित कोष से राष्ट्रपति को खर्चा करने का प्राधिकार प्रदान करने वाला नवीन खंड 52 जोड़ा।

महोदय, यह उस अध्यादेश को जिसे राष्ट्रपति पहले ही प्रस्थापित कर चुके थे अध्यादेश से बदलकर कानून का पूर्ण दर्जा देना है। यह विधेयक केवल उसी उद्देश्य से लाया गया है। मैं इस विधेयक की सदन से सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 को और आगे संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमुगाओ) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि विधान का यह एक औपचारिक अंश हैं परंतु फिर भी यह संघ राज्यक्षेत्रों की जनता और सदन में उनके प्रतिनिधियों को अपनी शिकायतें रखने का अवसर तो प्रदान करता है और उन क्षेत्रों के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांगों पर तीव्रता से ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है।

जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है मेरा कहना है कि जबकि शेष सारा देश संविधान में प्रदत्त वास्तविक लोकतंत्र का आनन्द ले रहा है तो इन दूरस्थ क्षेत्रों के लोग, उन छोटे क्षेत्रों के लोग अनेक दृष्टिकोणों से अर्ध-उपनैवेशिक स्थिति में—रह रहे हैं। बात ऐसी है कि यह विधेयक और इसके उपबंध हमारे समक्ष और सदन के मानस में यह बात ला देंगे कि अनेक दृष्टिकोणों से ये लोग आज भी दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह रहे हैं और उन्हें इस महान देश के अन्य नागरिकों की तरह सुविधाएं और विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। इस विधेयक में संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 51 का उल्लेख किया गया है। और इस अधिनियम में भी धारा 51 अप्रत्यक्ष रूप से संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की बात कहती है। राष्ट्रपति शासन सदैव सत्ता की कार्यवाही होती है। यह एक ऐसी कार्यवाही है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन करती है। परंतु फिर भी यह एक ऐसी कार्यवाही है जो परिस्थितिवश संवैधानिक तन्त्र के विगड़ जाने पर यह अपरिहार्य हो जाता है। परंतु आप देखेंगे कि राज्यों में लागू किए गए राष्ट्रपति शासन और संघ राज्य क्षेत्र में लागू राष्ट्रपति शासन में अंतर होता है। जब यह राज्यों में लागू किया जाता है तो संविधान का अनुच्छेद 356 लागू होता है। और जब यह संघ राज्यक्षेत्र में लागू होता है तो अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता और न ही संविधान बीच में आता है। यहां पर तो एक ऐसा उपबन्ध लागू किया जाता है जो भारत सरकार को विस्तृत, भेदभावपूर्ण और पूर्णतया मनमानी शक्तियां प्रदान करता है अर्थात् संघ राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम की धारा 51।

[श्री एडुआर्डो फलीरो]

राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तन्त्र निष्क्रय कर देता है और अनेक प्रकार से यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के अधिकारों को छीन लेता है । परंतु जब यह राज्य पर लागू किया जाता है तो इस पर नियन्त्रण रखा जाता है अर्थात् इस बड़ी तानाशाही शक्ति के लागू किए जाने पर अनुच्छेद 356 के प्रावधान द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है । जब हम उस अनुच्छेद का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भारत सरकार की गुंजाइश को सीमित कर देता है । अनुच्छेद 356 में बताया गया है कि भारत सरकार या औपचारिक रूप से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन केवल तभी लागू कर सकता है, "राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर अथवा इस बात से संतुष्ट होने पर कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती ।" अतः किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने में कार्यकारिणी और भारत सरकार पर जो सीमाएं लगाई जाती हैं वे ये हैं जैसे—यह तभी लागू किया जा सकता है और जब राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि किसी राज्य विशेष की सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार अब और आगे नहीं चल सकती और किसी अन्य परिस्थिति में यह लागू नहीं किया जा सकता ।

संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में होता क्या है ? संघ राज्यक्षेत्र के मामले में, अनुच्छेद 356 तो लागू होता नहीं है । इनके मामले तो संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम की बड़ी ही अनिष्टकर धारा 51 लागू होती है । जो बिल्कुल भिन्न है, जो भारत सरकार को संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कही बड़ी, निरंकुश, भेदभाव भारी शक्तियां प्रदान करती है । और धारा 51 में कहा गया है :

"यदि राष्ट्रपति संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक से रिपोर्ट मिलने पर अथवा अन्यथा संतुष्ट है—

(क) कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता..."

इस उपबन्ध का तो मैं विरोध नहीं करता परंतु एक (ख) उपबन्ध भी है जिसमें कहा गया है :

"या (ख) कि संघ राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक है या वांछनीय है,"

अतः यदि भारत सरकार अनुभव करती है कि किसी संघ राज्यक्षेत्र विशेष पर राष्ट्रपति शासन लागू करना उनके हित में है, यदि कोई प्रधान मन्त्री यह अनुभव करता है कि किसी विधान सभा की चालू नीतियों से वह सहमत नहीं हैं तो उस संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा को भंग कर दिया जाए तो तब यह भारत सरकार को छूट मिल जाती है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए यहां उस स्थिति का वर्णन किया गया है जो संघ राज्य क्षेत्र, गोवा में उत्पन्न हुई ।

इस उपबन्ध अर्थात् धारा 51 की अनिष्टकर प्रकृति को दर्शा कर ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया । गोवा में जो सरकार थी नामशः महाराष्ट्रावादी गोमन्तक दल सरकार । वह इसलिए गिर गई क्योंकि इसका बहुमत नहीं था । उसके बाद हम विपक्ष वालों ने बहुमत प्राप्त किया और हमने बताया, "हमें सरकार बनाने दी जाए और हमें भारत सरकार की अनुमति मिलनी चाहिए ।" एक शिष्टमंडल यहां आकर प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई से मिला तो उन्होंने उन्हें बताया "लोकसभा में आपका प्रतिनिधि श्री फैलीरो सदैव मेरा विरोध करते

रहते हैं।" मेरी दाहिनी ओर बैठे लोगों की ऐसी मनोवृत्ति थी और ऐसी भावना मेरी बांई और बैठे लोगों की भी बन सकती है। चूंकि श्री मोरारजी देसाई यहां संघ राज्य क्षेत्र गोवा के प्रतिनिधि के विचारों से सहमत नहीं थे और मोरारजी देसाई यह समझते थे इसमें कांग्रेस (इ०) के ऐसे तत्व सम्मिलित होंगे जो सरकार के प्रभारी होंगे तो स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से उन्होंने वहां कांग्रेस सरकार नहीं बनने दी।

यह तो एक अनिष्टकारी प्रकार का उपबन्ध है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या दल उत्तरदायित्व विहीन होकर मनमाने ढंग से काम कर सकता है ?

सभापति महोदय : क्या आप और समय लेंगे ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जी हां।

सभापति महोदय : आप कल भी अपना भाषण जारी रख सकते हैं। सदन अब कल ग्यारह बजे प्रातः समवेत होने के लिए स्थगित होता है।

तत्पश्चात् 6.01 मध्यान्ह पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 25 जनवरी, 1980/5 माघ, 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई।

भा०स०मु०ना०—से० 8—547 एल०एस०एस० (एन०डी०) 79—3-3-80—210.